वर्तमान समय में निमार्ण महिला मजदूरों की स्थिति व अनुभव: दिल्ली का अध्ययन

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एम.फिल.की उपाधि के हेतु प्रस्तुत लघु-शोध-प्रबन्ध

रजनी

महिला अध्ययन केन्द्र

सामाजिक विज्ञान संस्थान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

नई दिल्ली-110067

2018

CENTRE FOR WOMEN'S STUDIES
School of Social Sciences-II
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067
Tel. : 91-11-26704166
E-mail wonmenstudiesprogramme@gmail.com

Date: 20-7-2018

DECLARATION

I, Rajni, hereby declare the thesis entitled **"वर्तमान समय में निर्माण महिला मजदूरों की स्तिथि व अनुभव:दिल्ली का अध्ययन"** submitted by me for the award of the degree of **Master of Philosophy** of Jawaharlal Nehru University is my own work. The thesis has not been submitted for any other degree of this University or other university.

Rajni

RAJNI

CERTIFICATE

We recommend that this thesis be placed before the examiners for evaluation.

Lata Singh

DR. LATA SINGH
(CHAIRPERSON, CWS)

Lata Singh

DR. LATA SINGH
(SUPERVISOR, CWS)

आभार

मैं अपने एमफिल शोधकार्य के लिए कई लोगों के प्रति व्यकितगत और बौद्धिक रूप से ऋणी हूं। मेरी शोध निर्देशक डां. लता सिंह से लगातार हुए संवाद से ही इस शोध विषय का चयन मैं ने किया। अपनी अकादमिक एंव सामाजिक गतिविधियों की व्यस्ततम दिनचर्या में से इस शोध पर विचार-विमर्श के लिए मुझे काफी समय दिया। मैं जब भी उनसे मिलता थी ,तो न ही मेरी समझ हर बार बढ़ती थी बल्कि अपने काम को नये परिपेक्ष्य में देखने का नया नजरिया भी मुझे उनसे मिलता था। इन मुलाकातों ने मेरी अंदर गहराई से छानबीन करने की प्रवृत्ति का विकास किया। उनकी क्लास में भी जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया उससे महिलाओं की समस्याओं के विषय में मेरी समझ और अधिक गहरी हुई। मैं उनके प्रति इसलिए भी अभारी हूं कि उन्होंने मुझपर पूरा विश्वास किया और मुझे अपने तरीके से काम करने की पूरी आजादी दी और उनके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना इस कार्य का न तो प्रारम्भ संभव था और न पूर्ण होना ही।

अपने विचारों ,सुझावों और स्त्रोत सामग्री से मुझे अपने विभाग में प्रो ,अरूणिमा.जी .मलारिका सिन्हा राय ,पापोरी बोरा और नवनीता मौकी से काफी मदद मिली। जीअरूणिमा और पापोरी बोरा . राय के प्रति मैं जितना भी अभार प्रकट करूं ,कम है ,जिन्होने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उनके हस्तक्षेप के बिना कई महत्वपूर्ण पहलू अनछुए रह जाते। मलारिका सिन्हा राय और नवनीता मौकी के महत्वपूर्ण सुझाव में मेरे द्वंद को कम करते और विषय को समझने का नया नज़रिया मुझको देते। शोध की परिकल्पना में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही ,उनके सुझाव और दिशा निर्देश ने शोध की रूप-रेखा तय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त विभाग में हो रहे सेमिनारों के विषय इतने प्रासंगिक रहे कि वो मुझे अपने शोध कार्य के चिंतन को एक निश्चित राह मिल गई। सुभाष भटनागर और मौसमी बासु का मेरे काम में विशेष योगदान रहा जो निमार्ण महिला मजदूरों के संबंध में मेरी समझ को विकसित करने में मददगार रहे। अंबर अहमद मैम की मैं विशेष रूप से अभारी हूं जिन्होंने मेरा मार्गदशन मेरे कार्य के लिए किया।

यह कहना औपचारिकता मात्र है कि कोई भी प्रबंध मित्रों के बिना नहीं लिखा जा सकता है। मित्रों के कारण ही जटिल कार्य करने के लिए दिन-प्रति दिन हौसला मिलता है। विभाग के सीनीयर प्रत्युष प्रशांत एंव मनोज कुमार और सहपाठी जेपी-आरूषि ने समय ,गीता ,समय पर मेरे काम पर मूल्यवान टिप्पणियां कीं और आलोचना करने में कभी पीछे नहीं रहे ,समय-समय पर चर्चाएं होती रहीं हो काफी उपयोगी रहीं। उनके व्यावहारिक अनुभव और महिलाओं की समस्याओं पर उनकी व्यावहारिक समझ ने मुझे अपने विषय को नये परिपेक्ष्य में देखने की चुनौति प्रदान की।

अपने विभाग में कार्यरत कर्मचारी कंचन मान और धीरेन्द्र सिंह रावत)धीरूभाई (मेरे कार्य में मेरे अंदर तमाम उतार चढ़ाव के साक्षी रहे है मैं विशेष रूप से इन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं मेरा काफी सहयोग किया। इस कार्य को खत्म करने में उनकी महतवपूर्ण भूमिका है।

इस शोध कार्य में मैं अपने परिवार में अपनी नानी और दोनों मामा का विशेष रूप से अभारी हूं , जिनके हौसलाअफजाई और विश्वास के कारण मैं इस अकादमीक कार्य को कर सकी। मैं जिन्होंने मेरा आत्मविश्वास बनाए रखा ,विशेषरूप से रोहित वर्मा और उसके परिवार की अभारी हूं और मुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया।

धन्यवाद।

विषय-सूची

परिचय i-x

अध्याय-1 1-27

श्रम व लिंग में जुड़ाव का ऐतिहासिक अध्ययन

अध्याय-2 28-70

निर्माण मज़दूरों से संबंधित कानूनी प्रावधान

2.1 भवन निर्माण मज़दूर 30-32

2.2 भवन निर्माण कार्यक्षेत्र में महिला मज़दूरों की कार्यस्थिति 32-49

2.3 निर्माण मज़दूर कानूनों के लिए संघर्ष 50-56

2. 4 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली में निर्माण कार्य क्षेत्र /

JNU में निर्माण कार्य क्षेत्रों में निर्माण मज़दूर कानूनों की समीक्षा या मूल्यांकन 57-58

2.4.1. राष्ट्रमंडल खेलों के निर्माण कार्य क्षेत्र 59-61

2.4.2. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन 61-64

2.4.3 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय निर्माण कार्य क्षेत्र 64-68

2.4.4 सुरक्षा नियमों का उल्लंघन 68-76

अध्याय-3

निर्माण महिला मज़दूरों की यथास्थिति और अनुभव 71-107

3.1 निर्माण कार्य में विस्थापित महिला मज़दूर 73-76

3.2 महिला मज़दूरों का निर्माण कार्य अपनाने के कारण 76-80

3.3 निर्माण महिला मज़दूरों के रहन-सहन का वातावरण 80-83

3.4 निर्माण महिला मज़दूर के कार्य और बच्चे 90-92

3.5 निर्माण कार्य की खोज 93-94

3.6 निर्माण कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कार्यस्थिति 95-98

3.7 निर्माण कार्य क्षेत्र में महिला मज़दूरों का वेतन 98-100

3.8 निर्माण कार्य क्षेत्र में ठेकेदार का रवैया 100-103

3.9 निर्माण कार्य क्षेत्र में एकल व वृद्ध महिला की स्थिति 104-107

अध्याय-4 108-112

निष्कर्ष : निरंतर संघर्ष

संदर्भ-सूची 113-122

घर और बाहर दोनों ही ज़गहों पर काम करती हुई महिला की पीड़ा घर और बाहर दोनों ही जगहों पर काम करने के बाद भी ,यह अभिव्यक्त होती है कि वह कुछ भी नहीं करती है। जाहिर है कि काम के बदले अर्थमूल्य नहीं मिलने के कारण महिलाओं का हर श्रम अदृश्य बना रहता है।

जबकि कई अध्ययनों और शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद आधी-आबादी का एक बड़ा हिस्सा घर के साथ साथ घर के बाहर-भी संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में अपनी भागीदारी श्रम के अनदेखी के बाद भी निभा रहा थी। भारतीय परिपेक्ष्य में श्रम के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से ही वर्गीय ,जातीयलैगिक और सा ,धार्मिक ,ंस्कृतिक चेतनाओं से प्रभावित रहा हैं। कुछ समाज में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से श्रम की आजादी वंचित समाज की महिलाओं के पास है तो कुछ समाज की धार्मिक मान्यताएं महिलाओं को स्वतंत्र व्यापार करने की छूट भी देता हैकुछ समुदाय विशेष में महिलाओं को काम करने की आजादी , केवल मानवीय सेवा भाव के कामों में ही है। स्पष्ट है कि भारतीय परिपेक्ष्य में महिलाओं की श्रम से जुड़ी मान्यताएं विविधता से भरी हुई हैं। यह विविधता कभी महिलाओं के हक में तो कभी महिलाओं के विरुद्ध चली जाती हैं। इन तमाम अवरोधों के बाद भी आधी-आबादी मौजूदा दौर में संगठितअसंगठित दोनों ही क्षेत्र में अपनी-सकारात्मक पहचान बनाने के लिए विरोधाभासी परिस्थितियों में संघर्षरत है।

प्रस्तुत शोध श्रम के क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगी हुई महिला मजदूरों के समस्याओं और यथास्तिथि के मूल्यांकन का छोटा सा प्रयास हैंजिसका मुख्य कार्यक्षेत्र दिल्ली में चल ,

रहे विभन्न नि्मार्ण कार्यस्थल हैं। इस शोधअध्धयन का झुकाव निर्माण कार्य में शमिल - महिलाओं के साथ भेदभाव वअनुभव के आधार पर निर्माण कार्यक्षेत्र की यथा स्तिथि का विश्लेषण करना रहा हैं। इस प्रक्रिया में निर्माण कार्यक्षेत्र में बनाये हुए कानून का मूल्यांकन करने की भी कोशिश की गई हैं। निर्माण कार्यक्षेत्र में समाजिक जीवन की स्थपित मान्यताएं महिला श्रम को प्रभावित करती हैं जो महिला श्रम के सकारात्मक मूल्याकंन में अवरोध पैदा करती हैं। इन अवरोधों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसमें कोई शक नहीं कि यह सामजिक मन्यातांए अब तक की महिलाओं के द्वारा सामाजिक व आर्थिक स्तर में निभाई गई मानवता की उपलब्धियों में पानी फेर देगी।

ii

संविधान की प्रस्तवना में ....हम भारत के लोग".“ की संवैधानिक घोषणा के शुरूआती दो दशक के बाद ,भारतीय जनतंत्र के ,राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष से उपजे तनावों को महसूस करता रहा हैं। इस राजनीतिक समानता की पृष्ठभूमि में समाजिक उच्चनीच की श्रेणीबद्ध व्यावास्था हैं और राज्य तथा उभरती जातीय और पहचान के बीच - का टकरावथा। इन तमाम असमानता के बीच लैंगिक व्याख्याओं की अनदेखी स्पष्ट तौर देखने को मिलती हैं।

पहली बार 1974 में समानता की ओर रिपोर्ट[1] ने महिलाओं के श्रम की व्याख्या पर , आर्थिक कार्यो विशेषकर असंगठित क्षेत्र में योगदान की भूमिका को हाशिये से उठाकर

---

[1] ***Towards Equality*** was the title of the report of the Committee on the Status of Women in India (1974-75). This 1974 document is said to lay the foundation of women's movement in independent India, highlighting discriminatory socio-cultural practices, political and economic processes. The findings of the report reopened the women's question for government, academia and women's organisation.

बीच बहस का हिस्सा बना दिया। यह बात तथ्य के साथ सतह पर उठकर आई कि आधुनिक अर्थव्यावस्था में तमाम उत्पादन प्रक्रियाओं में महिलाओं की बढ़ती जनसख्यां और उनके भागीदारी के योगदान का बहिष्कार अब तक किया जाता रहा हैं। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के निरंतर कार्य को ना ही कोई प्रतिफल मिलता हैं ना ही कोई पहचान। परंतु इस रिपोर्ट में भी श्रम की तमाम ,अवधारणाओं में महिलाओं के वर्गीय पहचान को प्रमुखता और जातीय और धार्मिक पहचान की अनदेखी साफ तौर पर दिखती है। जबकि महिलाएं श्रम के बड़े क्षेत्र में जातीय और धार्मिक पहचानों से जुड़े होने के कारण ही बतौर श्रमिक के रुप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाती है। जाहिर है समानता की ओर रिपोर्ट ने श्रम के क्षेत्र में महिलाओं के भागीदारी को वर्गीय मूल्यांकन तक सीमित रखा।

के दशक में आर्थिक गतिशीलता के दौर में महिलाओं के विकास की अवधारणा को 1990 सशक्तिकरण के साथ जोड़ दिया गया। यह माना गया यदि महिलाओं की भागीदारी बाज़ार आधारित व्यवस्था और श्रम में क्षेत्र में बढ़ गई तो आधी आबादी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी। कुछ हद तक यह मान्यता संगठित क्षेत्र में सही साबित हुई पर असंगठित क्षेत्र में स्थिति और अधिक विकट होती चली गई। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों पर ठेकेकारी कानून के कारण महिलाओं का लाभ का आठ आना भी पहुंचने नहीं दियाआर्थिक एंव सामाजिक सशक्तिकरण तो दूर की कौड़ी लाने के बराबर है। ,

असंगठित क्षेत्र में भवन निर्माण कार्यक्षेत्र वह क्षेत्र है जहां रोजगार की असीम संभावना मौजूदा दौर में हैइसमें महिला श्रमिकों की भागीदारी बड़ी सख्यां में है। इस कार्यक्षेत्र में , सांस्कृतिक ,महिला मजदूरों को प्राप्त होने वाली आमदनी और मौजूदा सामाजिक

परिस्थितियां स्पष्ट कर देती है कि इस कार्यक्षेत्र में महिलाएं सशक्त नहींशोषित है , और हाशिए पर जीवन जीने को विवश है।

निर्माण कार्य श्रम का वह अनौपचारिक कार्यक्षेत्र हैं जिसमें कृषि के बाद सबसे अधिक महिला मज़दूर कार्यरत हैं। ग्रामीण इलाकों में कृषि पर आधारित रोजगार की उपलब्धता सीमित हो गई है। घरेलूउधोग धंधों के सीमित होने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर - कम झुकाव के कारण बड़ी सख्यां में ग्रामीण जनसख्यां का पलायन शहरों के तरफ हुआ है। इस जनसख्यां के बड़े हिस्से के पास तकनीकी कौशल के अभाव के कारण पुरुष के साथ महिलाएं भी निर्माण कार्य में मज़दूरी करने के लिए विवश है।

भारत में 97% महिलाएं निर्माण कार्य में गैर मशीनरी कार्य से जुड़ी हैं। इस कार्यक्षेत्र में महिलाएं आशिंक मज़दूर के तौर पर रखी जाती है जिस वजह से हमेशा काम नहीं मिलने की सभावना बनी रहती है। निर्माण कार्यक्षेत्र एक ऐसा कार्यक्षेत्र हैं जहाँ पति पत्नी दोनों - ही रोजगार के लिए एक साथ पलायन करते हैं। निर्माण कार्य में स्थानीय व विस्थपित दोनों ही प्रकार के मज़दूर पाए जाते हैं। इस कार्यक्षेत्र में मज़दूरpuss और pull फैक्टर से प्रभावित रहते है। जहां योग्यता बेरोजगारी और भूमिहीनता को ,puss फैक्टर माना जाता है जो महिलाओं को निर्माण कार्य में शामिल होने के लिए मज़बूर करता है। pull फैक्टर वह है कि निर्माण कार्य में शामिल हो रही महिला मज़दूरों को पता है कि कार्यस्थिति के लिए सुरक्षित महौल नहीं हैपर गरीबी के मकड़जाल में बेहतर जीवन , जीने कि चाह उनको निर्माण कार्य में मज़दूरी करने के लिए विवश करता है। निर्माण

कार्यक्षेत्र में महिलाएं कम वेतनमूलभूत सुविधाओं के अभाव में ,असुरक्षित कार्यस्थिति , अपने श्रम का दोहन करती है।

श्रमशक्ति में किसी भी देश की वृद्धि एंव विकास को परिभाषित करने की क्षमता होती है। किसी भी आर्थिक गतिविधि में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि श्रमिक कल्याण किसी भी देश में नीति निर्माताओं के सामने अच्छा कामकाजी वातावरण तैयार करने एंव अपनी श्रमशक्ति का कल्याण तथा समृद्धि सुनिशिचत करने के मामले में बड़ी चुनौति प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत शोध में मैंने श्रमशक्ति के रूप में निर्माण कार्य में महिला मजदूरों के यथास्थिति को दिल्ली में चल रहे है कुछ निर्माण कार्यों के आधार पर मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

यह शोध मुख्य रूप से दिल्ली के चार क्षेत्रों JNU ,सराय कालेखां, छतरपुर और रोहिणी में निर्माण कार्य करने वाली महिला के अनुभव पर आधरित हैं। दिल्ली को शोध अध्ययन के रूप में लेने का मुख्य कारण यह था कि हाल के दशकों में राष्ट्रमंडल खेले के समय में दिल्ली में निर्माण कार्यो में तेजी आई है। दिल्ली में जनसख्यां के दवाब से निपटने के लिए सड़कों को चौड़ा करनाअस्पतालों और मेट्रों का काम कई फेजों ,ओबरब्रिज बनाना , में अनवरत चल रहा है।

दिल्ली में अन्य राज्यों की तुलना में हिंदी प्रदेशों से विस्थापित मज़दूर कमोबेश अधिक आते है। अन्य राज्यों में निर्माण मज़दूर में स्थानीय और विस्थपित मज़दूर के बीच का

अंतर वहां की सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता हैं जिस कारण विस्थपित मजदूरों को काम नहीं मिल पाने के कारण यह लोग दिल्ली में कार्य के लिए आ जाते हैं। भारत में वर्तमान समय में 600 मिलियन मज़दूर कार्यरत हैं जिनमे से केवल दिल्ली में ही 20 हजार मज़दूर निर्माण कार्य करते हैं। इसलिए दिल्ली को शोध अध्ययन के लिए उपयुक्त मनाते हुए यह पर शोध किया गया।

शोध अध्ययन का उदेश्य-

इस शोध अध्यन का मुख्य उदेश्य इस बात की पड़ताल करना था कि निर्माण कार्य में शामिल महिला मजदूरों के कार्यस्थल व निवास स्थल पर क्या स्तिथि हैंनिर्माण ? महिला मज़दूर खुले सार्वजनिक स्थल पर ही कार्य करती हैं और रहती हैं। निर्माण महिला ?किन समस्याओं का समाना करना पड़ता हैं-मज़दूर को एक महिला के रूप में किन कामगार महिला मजदूर के रूप से उसकी सामाजिक अस्मिता किस तरह परिभाषित होती है?

शोध अध्यन की कार्य पध्दति-

यह शोध मुख्य रूप से निर्माण कार्य में शामिल महिला मज़दूर के अनुभव पर आधरित हैं। इसके लिए दिल्ली में निर्माण कार्य में शामिल महिला मजदूरों के मौखिक साक्षात्कार के द्वारा शोध से सम्बन्धित आकड़ों को एकतित्र किया गया हैं। इसके आलावा घरेलू कार्य करने वाली महिला कामगारठेकेदार और पुरुष मिस्त्री के साक्षात्कार को भी लिया , गया हैं।यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर आधरित हैं। यह शोध पूरी तरह से एथनोग्राफी पद्दति पर आधारित नहीं है। समयसमय पर निर्माण कार्यक्षेत्र पर मौजूद - महिलाओं से बातचीत के आधार पर यथास्थिति को समझने का प्रयास किया गया है।

इस शोध के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही तरह के स्रोतों को लिया गया हैं। प्रथमिक स्त्रोत में निर्माण कार्य से जुड़े लेखअनौपचारिक कार्य से समबन्धित सरकारी , मानव ,श्रम कमीशन रिपोर्ट ,नेशनल सर्वे की रिपोर्ट ,जिसमें जनगणना रिपोर्ट ,दस्तावेज दिल्ली के श्रम व रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के आलावा ,विकास सूचकांक रिपोर्ट किताबों इत्यादि को देखा गया हैं। इन संबंधित साहित्य ,अख़बार के माध्यम से श्रमशक्ति और श्रम क्षेत्र में सैद्वांतिक परिस्थितियों को समझने में सहायता मिली। किस तरह आर्थिक गतिशीलता श्रम के क्षेत्र में मानवीय संबंध और कार्यदशाओं को परिस्थिति में आमूलचूल बदलाव लाते हैइसको समझने में संबंधित साहित्य ने मेरा मार्गदर्शन , कि्या।

इस शोध अध्ययन में शामिल साक्षात्कारों के वास्तविक पहचान को गोपनीय रखा गया हैं। इन साक्षात्कारों के नाम को शोध अध्ययन में बदला गया हैं ताकि उनकी पहचान छुपी रहे और उनको किसी तरह से शोधकर्ता के कारण हानि को ना झेलना पड़े।

शोध अध्ययन की चुनौतियां

इस शोध के दौरान सबसे पहले जो चुनौति यह थी कि कार्यस्थल पर मुझे निर्माण महिला मज़दूरों से इस तरह के प्रश्न करने थे जो कार्यस्थल पर महिला मज़दूर रोजरोज - अनुभव करती है। मेरे सारे प्रश्न इस तरह के थे जिसका जवाब कोई भी महिला मज़दूर वो भ ?मुझे पहली ही मुलाकात में क्यों देगी अपने काम के समय में मेरे लिए वक्त निकाल करकोई महिला मज़दूर मुझे ये क्यों बताएगी कि उसके साथ कार्यस्थल पर ? महिला मज़दूरों के साथ ?वो भी पहली ही मुलाकात में ,शारीरिक शोषण झेलना पड़ता है जिससे वो अपनी जाति और जाति आधारित शोषणों के बा ,विश्वासपूर्ण संबंध बनानारे में

जानना किसी शोधकर्ता के लिए एक बड़ी चुनौति हैजो मेरे लिए भी थी। मेरे कई प्रश्न , इसतरह के भी थे जिसके स्पष्ट ज़वाब मुझे नहीं मिल सके।

दूसरानिर्माण कार्यस्थल पर महिला मज़दूर आसानी से बात करने के लिए तैयार नहीं , आप क्यों पू ,होती थी। उनके कई सवाल होते थेछ रहे हैइससे आपको क्या फायदा ? आप जैसे कई लोग आते है और हमारी समस्या सुनकर चले जाते है। समस्या का ?होगा कभी कोई हल नहीं निकलता। इस तरह के सवाल तमाम महिला मज़दूरों के असमर्थता जो सामाजिक विज्ञान शोध की चुनौतियों को बढ़ा देता है। ,और नाउम्मीदी को दर्शाता है

तीसरा ,निर्माण महिला मज़दूर कार्यस्थल पर केवल अपनी श्रमिक होने की समस्या के बारे में बात करना पसंद करती है। बतौर महिला होने के कारण कार्यस्थल पर होने वाली समस्या को वह छुपाना चाहती है क्योंकि अपने आर्थिक समस्या के पहचान को वो अधिक महत्वपूर्ण समझती है। जिस वजह से कार्यस्थल पर महिला मज़दूरों से मेरी बात 15-20 मिनट ही हो पाती थी। इससे अधिक बात वो नहीं करना चाहती थी क्योंकि ठेकेदार भी वहां मौजूद होता था। चूंकि कार्यस्थल पर पुरूष मज़दूर और ठेकेदार भी मौजूद रहते थे इसलिए भी महिला मज़दूर इतने कम समय में खुलकर अपनी बात नहीं बता पाती थी।

चौथाकार्यस्थल पर महिला मज़दूर अपने जाति के बारे में बात करने में संकोच करती , थी क्योंकि जातिगत पहचान सामने आने पर कार्यस्थल पर सामाजिक बहिष्कार या कभी महिला -जाति आधारित भेदभाव का डर महिला मज़दूरों में बना रहता था। कभी मज़दूर स्वयं को ऊंची मानी जाने वाली जाति से खुदकर जोड़कर बताती थीक्योंकि , इससे उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की संभावना बनी रहती है।

प्रस्तुत शोध को मैंने तीन अध्याय में बांटकर देखने और तथ्यों को जांचने परखने का काम किया है। पहले अध्याय में महिला श्रम के विषय की ऐतिहासिक पड़ताल से यह समझने का प्रयास किया है कि महिल श्रम किन विचारविमर्शों की प्रक्रिया से होते हुए - ,राजनीतिक ,मौजूदा समय में श्रमशक्ति के रूप में मौजूद है। वह कौन से सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक अंर्तगुंफन या अर्तसंबंध है जिसने महिला श्रम को प्रभावित किया है और मौजूदा दौरमें भी महिला श्रम की अवधारणा उनसे प्रभावित हो रही हैइस , पड़ताल में भारतीय संदर्भ का विशेष ख्याल रखने की कोशिश की गई है।

द्वितीय अध्याय में निर्माण कार्य क्या हैनिर्माण ,साथ-इसको समझने के प्रयास के साथ ? कार्य मजदूर के लिए नीति निधारक कानून बनने की प्रक्रियाउन कानून में कमी और , निर्माण कार्य में महिला मजदूरों की अपेक्षाओं की चर्चा की गई है। साथ में राष्ट्रमंडल खेल औरJNU में निर्माण कार्य के दौरान कानून और नियमों के उल्लघनों का मूल्यांकन से यह समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही यह भी समझने का प्रयास किया गया है कि किस तरह की कार्यस्थितियां महिलाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर योग्य कामगार बना सकती हैक्योंकि काम करने के योग्यता के अभाव में महिला मज़दूरों को ? निर्माण कार्य में अकुशल श्रमिक ही समझा जाता है।

तीसरे अध्याय में दिल्ली के चार के क्षेत्रो में निर्माण कार्य में शामिल महिला मज़दूरों के मौखिक साक्षात्कार के द्वारा उनके कार्यस्थिति के अनुभव को शामिल किया गया हैं। इसके आलावा निर्माण महिला मज़दूरदूसरे किसी कामगार क्षेत्र में शामिल क्यों नहीं हो , इसको समझने का प्रयास किया गया है। ?पातीनिर्माण कार्य क्षेत्र में महिला मज़दूरों के अनुभवों से इस तथ्य के पड़ताल कि कोशिश की गई है कि आखिर महिलाएं निर्माण कार्यस्थल पर किन परिस्थितियों में काम करने को बाध्य होती है क्या ?निर्माण कार्य

करती हुई महिला अपनी सामाजिक अस्मिता का निर्माण कर पाती हैया उसकी , अस्मिता ही उसके यथास्थिति को बनाये रखने में बाधक होती है।

आंशिक समय में किसी भी शोध को उसके वास्तविक परिणति तक पहुंचना या सारे सवालों के जवाब की तलाश को पा लेना चुनौतिपूर्ण कार्य है। मेरे शोध में भी कई सवाल अनुउत्तरित हैमसलन शोध मांग , करता है कि श्रम की सैद्धान्तकी के साथ लैंगिक असमानता के सवालों को जांचा परखा जाये। यह मेरे शोध की सीमा रही है कि श्रम के क्षेत्र में लैंगिक असमानता के सवालों को अधिक प्रमुखता नहीं दे सकी। मेरा सारा ध्यान महिला मजदूर के साक्षात्कार के जवाबों से तथ्यों को टटोटला और वास्तविक स्थिति का कोलाज खीचना रहा। परंतुयही कमी भविष्य में इस दिशा में नए शोध का रास्ता भी , खोलते है जिसमें तमाम सवालों को सैद्वांतिक कसौटी पर परखा जा सके।

अध्याय 1

श्रम व लिंग में जुड़ाव का ऐतिहासिक अध्ययन

भारत में महिलाओं के श्रम से जुड़े अनुभव हमेशा से लिंग ,जाति ,श्रेणीबद्धता ,विभाजन-साथ आर्थिक नीतियों में -सास्कृतिक व्यवहार के साथ ,धार्मिक ,क्षेत्रिय बदलाव ,वर्ग बदलावों के वज़हों से कभी भी एक तरह की नहीं रही हैं। जबकि महिलाओं ने हमेशा अपने हाथों से घरों को संभालती रही हैंसाथ ही ,बुजुर्गों की चिंता करती रही है-बच्चों , सामाजिक महत्व नहीं ,साथ खेती से लेकर उससे जुड़े अन्य कई कामों में अपने हाथों को मिलने के बाद भी व्यस्त रखा है। महिलाओं के परिश्रम को सामाजिक संरचना में उसके मातृत्व गुणों का परिणाम मानकर पवित्र मानते हुए अनदेखा पहले भी किया गया और आज में किया जाता है। कम शब्दों में कहे तो ,"महिलाओं का श्रम का बड़ा हिस्सा अदृश्य है" यह स्थिति निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी मजबूत भागीदारी के बाद भी नहीं बदली है। इस स्थिति में समय के साथ कानूनी या आर्थिक नीतियों के बदलाव के कारण महिलाओं के श्रम से जुड़े अनुभवों में अच्छे ,बुरे दोनों ही तरह के संकेत मिलते है-बहुत आर्थिक आत्मनिर्भरता श्रम -अच्छे इस तरह कि इन बदलावों ने महिलाओं को थोड़ी -से जुड़े मामलों में मिली और बुरे इस तरह कि महिलाओं के श्रम का दोहन सहज कार्य दशाओं के अभाव में हमेशा होता रहा हैं। हालांकि यह हालात कार्य के हर क्षेत्र में अलग-अलग तरह के रहे है।

प्रस्तुत अध्याय भारतीय संदर्भ में श्रम और लिंग में जुड़ाव के ऐतिहासिक और वर्तमान में हो रहे जनतांत्रिक बदलावों में महिलाओं की यथास्थिति के मूल्यांकन का छोटा सा प्रयास हैक्योंकि महिलाएं श्रम के क्षेत्र में दृश्य और अदृश्य दोनो ,ं ही रूप में अपनी जिम्मेदारी तमाम संघर्षपूर्ण स्थितियों के बाद भी निभा रही है उसने पलायन नहीं किया है फिर भी श्रम के क्षेत्र में महिलाओं के स्थिति में ,साधारण सा बदलाव भी देखने को नहीं मिलता है।

मौजूदा समय में महिला घरेलू और बाहरी दोनों ही क्षेत्र में अनेक कार्य करते हुए अपनी उपस्थिति भागीदारी तमाम विपरीत/माहौल में दर्ज कराती है। इन अनेक कार्यों में घरेलू कार्य को जिनको महिला घर पर रहकर), घर का कार्य मानते हुए, बिना किसी वेतन के (मूल्यवान नहीं समझ्ा जाता। घरेलू कार्य को श्रम की मुख्यधारा में भी शामिल नहीं माना जाता। जबकि घरेलू कार्य में सहयोगी के भूमिका में काम करने वाली महिलाएं , के कार्य का वेतन उसको प्राप्त होता है। महिला के घरेलू श्रम को अमूल्य ,आया या दाई बताने के लिए मुख्य़ तर्क यह दिया जाता हैकि महिलाएं घर में रहती हैं उत्पादन प्रक्रिया में महिला की कोई भूमिका नहीं होती हैं। पुरुष के द्वारा किए गए कार्य को मूल्यवान माना जाता है क्योंकि पुरुष घर से बाहर कार्य करता है और समाज के आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया में श्रम के द्वारा योगदान देते है।

मानवीय जीवन के शुरूआती दौर में जब व्यक्तिगत सम्पतिसंस्थागत बाध्यता या , व्यवस्था की अवधारणा नहीं थी शारीरिक कमजोरी के बाद भी महिलाएं पु-न्यायरुषों के मातहत या आश्रित नहीं थी। कृषि युग या सामाजिक जीवन में आने के बाद लिंग के आधार पर श्रम विभाजन की शुरुआत हुई। घरबा-हर के कार्य के विभाजन ने महिलाओं के हिस्से में घरेलू और पुरुषों के हिस्सों में बाहरी कार्य का विभाजन किया। उत्पादक श्रम

का महत्व बढ़ने के साथ घरेलू कामों का महत्व धीरेधीरे खत्म होता गया। गर्डा लर्नर - महिलाओं के श्रम के स्तरीकरण में वर्ग और लिंग के बीच संबंध और महिलाओं के श्रम के मूल्यांकन में स्त्री यौनिकता को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचानती है और नई व्याख्या प्रस्तुत करती है-उनके अनुसार ,

> ऐतिहासिक स्त्रोतों के तफतीश के क्रम में मैसोपोटामिया की प्राचीन समाज व्यवस्था " में स्त्रियां वर्गों में विभाजित दिखती हैभले ही उनको थोड़ी बहुत आर्थिक स्वायत्ता , "लेकिन उनकी यौनिकता पर पुरुषों का नियंत्रण या अधिपत्य ही था। ,हासिल थी[2]

गर्डा लर्नर अपनी व्याख्या में स्त्री श्रम के मूल्यांकन में स्त्री पराधिनता को केंद्रीय पक्ष के रूप में स्थापित करती है। जो इस बात पर जोर देता है कि उत्पादन व्यवस्था में महिलाओं के श्रम के मूल्यांकन में उसपर नियंत्रक और उसके प्रजनन पर नियंत्रक दोनों पर विचार करना जरूरी है। समाजशास्त्रीयों और विचारकों ने इन स्थितियों को महिलाओं के श्रम के कम मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार माना। मसलन लवीसत्रास ,

> "महिलाओं के हमेशा में अलगाव के कारण के रूप में पुरुषों के हाथ में सत्ता और शक्ति का नियंत्रण मानते है।"[3]

तो अपनी पुस्तक **"व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य ,परिवार"** में एंगेल्स बताते है कि -

> व्यक्तिगत संपति की भावना के विकास ने पहले पुरुषों को जमीन का मालिक" बनायाफिर गुलामों का मालिक बनाया और बाद में महिलाओं का मालिक भी ,

---

[2] गर्डा लर्नर, दि क्रिएशन आंफ पैट्रियाकी, न्यूंयार्क: आंक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,1986 पेन न०-79

[3] लवीसत्रास, सिमोन द बोउवा की पुस्तक 'द सेकंड सेक्स' का हिंदी रूपांतरण 'स्त्री उपेक्षिता', अनु. प्रभा खेतान, हिंद पाकेट बुक्स 1998 , पेज न. 54

महिलाओं के घर का काम नगण्य ,उत्पादन क्षेत्र से महिलाएं बाहर हो गई ,बनाया
"और महिलाएं अधीनस्थ और आश्रित दोनों ही हो गई। ,हो गया[4]

परंतु इन मूल्यांकनों ने कभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि महिलाओं ,के घरेलू श्रम उत्पादन क्षेत्र से बाहर कैसे हो गईव्यक्तिगत संपत्ति की उत्पति महिलाओं के गुलामी ? सत्ता या शक्ति पर नियंत्रण की सोच ,पुरुषों के अंदर संपत्ति ?का कारण क्यों बनी साथ श्रम की क्षमता -जाहिर है महिलाओं के घरेलू उत्पादन क्षमता के साथ ?कहां से आई औरजैविक क्षमता को अधिक गंभीरता से नहीं लिया गया।

वास्तव में रोज़मर्रा के जीवन में स्त्री और पुरुषों के बारे में वर्गीकृत सोच भी हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है। यह एक परिवेश का निर्माण करती है जो मर्दाना और जनाना के खांचों में बंटा होता है यही परिवेश श्रम के महत्व को भी निर्धारित करती है। इसे परिभाषा के स्तर पर वी-वह बताती है कि ,गीता नये तरीके से समझाती है .

"परिवेश का बंटवारा कार्य अथवा श्रम के विभाजन को अभिव्यक्त करता है।"[5]

परिवेश का यह विभाजन गरीब और वंचित तबकों के साथ एक तरह का व्यवहार नहीं करताउन्ह ,ें अक्सर कम मेहनताना मिलने पर विरोध जताने की अनुमति होती है। श्रम के क्षेत्र में परिवेश के विभाजन को पहली बार चुनौति औद्योगिक क्रान्ति)Industrial Revolution) के युग में मिलीजब महिलाओं ने श्रम के क्षेत्रों का अतिक्रमण किया , और अपनी भागीदारी का लोहा भीमनवाया।

---

[4] फ्रेडरिक एंगेल्स, परिवार निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति, मास्को प्रगति प्रकाशन,1968. पेज न. 62

[5] वीं गीता, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, जेंडर और शिक्षा रीडर भाग-2, निरंतर, नई दिल्ली, 2011, पेज नं-140

समय के साथ आर्थिक बदलावों के दौर में परिवार की आमदानी को बढ़ाने की इच्छा के परिणामस्वरूप औद्योगिक क्रान्ति)Industrial Revolution) के समय में महिलाओं को उत्पादन श्रम के क्षेत्र में प्रवेश मिला जिससे महिलाओं को आर्थिक आधार मिला। , औद्योगिक क्रान्ति के समय महिलाओं के श्रम के क्षेत्र में भागीदारी का विमर्श बहुरेखीय रहा है। लेकिन पारिवारिक नैतिकता ने महिलाओं का पीछा नहीं छोड़ाजिसके कारण , लेकिन उनका असली ,परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए महिलाएं घर के बाहर तो आई जिससे महिलाओं के ,क्षेत्र घर ही माना गया-कार्यदोहरे शोषण को झेलने की शुरूआत हुई। घर का सारा काम करते हुए सम्मान का अभाव और बाहर उचित कार्य दशाओं का अभाव ने महिलाओं के शोषण को दोहरा कर दिया। परंतुआर्थिक आत्मनिर्भरता ने , महिलाओं के विलगाव को कम जरूर किया है। एलीनांर मार्क्स और एडवर्ड एवेलिंग -लिखती है

> हमारे जटिल समाज में हर चीज की तरह स्त्रियों की हैसियत भी एक आर्थिक "
> "बुनियाद पर टिकी होती है।[6]

औद्योगिक क्रान्ति)Industrial Revolution) के ही दौर में जहां एक तरफउत्पादन के , ,साधनों के साथ महिलाओं के संबंध नए रूप में परिभाषित हो रहे थे। वही दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा था कि स्त्रियों का उत्पादन के साधनों के साथ कोई विशिष्ट संबंध नहीं बनता है। इसी दौर में सामाजिकराजनीतिक और सांस्कृतिक दायरों के दुहाई , देते हुए मज़दूर वर्ग के पुरुषों ने महिलाओं को प्रतियोगी के रूप में भी देखना शुरू किया। महिलाओं पर अंकुश लगाने भी शुरू किए और संगठित महिलाओं के समूहों ने कार्यक्षेत्र --में समुचित कार्य दशाओं के लिए संघर्ष भी किया। ये संगठित महिलाएं सामाजिक

---

[6] मार्गरेट बेन्सटेन, स्त्री मुक्ति का राजनीतिक अर्थशास्त्र, अनुवाद.मीनाक्षी, दायित्वबोध, जुलाई सितंबर 2000, पेज न० 40

साथ मजबूत हो रही पितृसत्ता का विरोध कर -आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के साथ रही थी जिसमें श्रम के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समुचित कार्यस्थिति का निर्माण हो - सके और आर्थिक निर्भरता के लिए वह स्वतंत्र हो सके।

इस दौर में भारत में जेंडर और श्रम की बहस काफी विरोधाभासी स्थिति में थी। यह बहस जहां एक तरफ ,घर और बाहर के विमर्श में उलझी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ , शिक्षित और अशिक्षितमहिलाओं के श्रम के बीच भी उलझी हुई थी। साथ ही साथ , महिलाओं को श्रम की भागीदारी श्रम के क्षेत्र में हो या न हो इसको लेकर विरोधाभासी स्थिति थी।[7] तमाम समाज सुधारक समाज में महिलाओं के स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष कर रहे थे और महिलाओं को शिक्षित करने पर अधिक जोर दे रहे थेइन समाज , सुधारकों का मानना था कि सामाजिक सुधार और ढ़ाचागत बदलाव में सामाजिक सुधार अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रम करती हुई महिलाएं मसलन खेतों में ,चाय बगानों , कृषि आधारित ,घरों में दाई के रूप में काम करने वाली महिलाओं ,कपड़े के मिलों में परंपरागत कामों और अन्य कई तरह के काम करती हुई महिलाओं के श्रम को लेकर उनकी खामोशी थी।

वास्तव में भारत में औपनिवेशिक दासता के दौरान पहले महिलाओं के ,कष्टों और सुधार की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया। जिसकी परिभाषा बीसवी सदी में थोड़ी सी बदली और सारा ध्यान महिलाओं को समाज के उपयोगी सदस्य समझने में केंद्रित होने लगा कुछ ही दशकों के बाद महिलाओं के जीवन के बारे में स्वयं निणर्य लेने के अधिकार की बहस जोर पकड़ने लगी। महिलाओं के इन सारे संघर्षों के बीच महिलाओं के

---

[7] Tanika sakar, Women amd Social Reform in morden India:A Reader,(Ed.Sumit Sarker)Indian University Press, India 2008

श्रम के सवाल कभीकभी बहस का मुद्दा जरूर बनता पर वह कभी भी राजनीतिक सवाल - बनकर सतह पर अपनी जगह नहीं बना सका। श्रमिक वर्ग के आंदोलनों में महिलाओं ने अगली कतार में रहकर यह संदेश भी दिया कि श्रम के क्षेत्र मेंे वो किसी से कम नहीं है। राधाकुमार भारतीय आंदोलन में महिलाओं के श्रम के सवालों पर बताती है कि-

> बीसवीं सदी के आखरी दशकों में जब राज्य ने समाज प्रशासन और श्रम में " महिलाओं की सहभागिता को स्वीकार किया तो उनको गृहणी के सामाजिक ईकाइ के रूप में चिन्हित करने की कोशिश हुई। परंतुजाति और अन्य ,महिलाएं स्वयं वर्ग , विशेषताओं के कारण एक अभिन्न श्रेणी का निर्माण नहीं कर सकी। बुर्जुआ महिलाएं सर्वहारा महिलाओं का और स्वर्ण महिलाएंदलीत महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीजैसे तर्कों ने महिलाओं को अभिन्न श्रेणी का विकास न ,हीं होने नहीं दिया।"[8]

औपनिवेशिक शासन और उसके बाद चले औद्योगीकरण में महिलाओं की स्थिति विश्लेषण करते हुए समीता सेन 'Gender and class: Women in Indian industry: 1890-1990" में बताती है कि-

> औद्योगिक श्रम के स्तर को जानने के लिए आजादी के पश्चात"1947 में विकसित हुई कामकाजी वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया। 1920 से 1970 तक के समय काल में औद्योगिकीकरण पर हुए शोध अध्ययन में आधुनिकरण, राष्ट्रीय राजनीति, ट्रेड यूनियन, और कामकाजी वर्ग जैसी अवधारणाओं का वर्चस्व रहा। 1930 तक महिला और बच्चों के श्रम पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इस समय काल में जेंडर से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता था। 1940 में औद्योगिकरण से संबंधित अवधारणाओं में बदलाव आया। इस राजनीति मेंउत्तर औपनिवेशिक राज्य , का उभार, नैतिक दल तथा स्थानीय राजनीतिक संस्था तथा संगठित श्रम में विकसित संबंध के संदर्भ में चर्चा की गई।"[9]

औपनिवेशिक भारत में श्रम और जेंडर के संबंध में अध्ययन नहीं के बराबर देखने को मिलते हैजबकि महिलाओं की उपस्थिति श्रम के हर परंपरागत क्षेत्र में किसी न किसी ,

---

[8] राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पेज नं-19

[9] samita sen,Gender and Class:Women in indian industry:1890-1990,cambridge university press,modern asian studies vol 42(1),p.75 , first online published 2007.

उस ,रूप में मौजूद थी। इस दौर में श्रम और जेंडर के संबंध में जो भी बातें हो रही थी पर उस दौर के सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ अवकाश जैसी मांगों के संबंध में बातें दिखती है परंतु ,समान वेतन , सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय पर खामोशी ही दिखती है।

इन सबों के साथसाथ सामान्य अनुमान यह था कि महिला श्-रमिकों का अनुपात औधोगिक क्षेत्र या परंपरागत श्रम के क्षेत्र से बाहर कम ही होगा। जो महिला श्रमिक उद्योगों में कार्य कर भी रही थीउनको वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया। यहां , महिला श्रमिक के बारे में अलग से कोई चर्चा नहीं की गई थी। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ग की इस परिभाषा से घरेलू कार्य करने वाली महिला, खेती में कार्य करने वाली महिला श्रमिक, उपभोग के लिए उत्पादन कार्य करने वाली महिला श्रमिक के मुद्दों की चर्चा नहीं की गई थी। गरीब व कामकाजी महिला का अपना कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं होने के वजह से श्रम के ऐतिहासिक लेखन में श्रमिक महिला की आवाज गायब थी।

> इस दौर में महिला व पुरुष के बीच जैविक भेदभाव के आधार पर महिलाओं को " जैसे कि महिला के लिए कार्य घंटे - श्रम के क्षेत्र में कुछ रियायत दी हुई थी निर्धारित किए गए थे। आराम के घंटे निर्धारित किए गए तथा महिलाओं से देर रात तक फैक्ट्री में काम कराने पर दंड का प्रावधान भी थे।"[10]

जैविक आधार पर मिली सुविधाओं के आधार पर महिलाओं की स्थिति कई जगहों में नुकसानदेह भी सिद्ध हो रही थी। क्योंकि फैक्ट्री मालिक कम लागत से अधिक मुनाफा कमाने के होड़ में थे। जैसे हाल के द)िनों में सरकार द्वारा बारह महीने मैटरनीटी लीव

[10] indian factory commision 1891

देने के प्रावधान के बादकई कंपनियों में महिलाओं की नियुक्ति कुशल और अकुशल , औपनिवेशिक काल महिलाओं घर पर रहकर मां पत्नी (दोनों ही क्षेत्रों में कम कर दी है। की भूमिका निभाने की हिदायत दी गई। जैविक आधार पर महिला श्रामिकों को मिलने वाली राहत और उससे बनी श्रम की स्थितियों से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि इस देशकाल में समाज और फैक्ट्रीयों में स्त्रीपुरुष समानता के विचार था ही नहीं। - नारीवादी विचारधारा भी महिलाओं को माता या बहन के रूप में स्वीकार करने की बात कर रही थी। महिलाओं के समानता का विचार इस देशकाल में अभी तक स्थापित नहीं हो सका था।

स्वतंत्रता से पूर्व नारीवादी आंदोलन मुखर होकर अपनी जमीन मज़बूत तो कर रहा था , पर इस दौर में लैंगिक समानता जैसे विचार अपनी ज़गह नहीं बना सके थे। स्वतंत्रता के बाद नारीवादी आंदोलनों ने पुरुष व महिला में समानता की बजाए महिला के विशेष सम्मान व अधिकारों की वकालत कर रही थी। समिता सेन बताती हैं कि -

> ऐतिहासिक अध्ययन में समस्या यह नहीं है कि महिला श्रमिक के बारे में बात की " गई या नहीं की गई। बल्कि ऐतिहासिक लेखन में यह चर्चा की गई थी महिलाओं के द्वारा श्रम की मांग"सभ्य समाज के महौल को दूषित कर रहा था। ,[11]

इन्हीं कारणों से महिलाओं के घरेलू भूमिकाओं को अधिक मजबूत करने के लिए घरेलू कार्यों का व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरूआत की गई।

मूल रूप से गुलामी के दौर में महिलाओं के श्रम का इतिहास दो विचारों में पटा दिखता है पहलापुरुष चूंकि जैविक बनावट में अंतर के कारण श्रम को प्रभावित करते है। -स्त्री ,

---

[11] samita sen,Gender and Class:Women in Indian Industry:1890-1990,cambridge university press,modern asian studies vol 42(1),p.75 , first online published 2007.

जैविक बनावट का अंतर प्रत्येक लिंग के स्वभाव का निर्धारण नहीं कर सकता है। ,दूसरा इन्हीं विचारोंं के अनुसार महिला श्रमिकों आंदोलनों में महिलाओं के मांगों पर भी प्रभाव दिखता है पहले पत्नी तथा मां की भूमिका को अधिक तवज्जों दिखता है तो बाद में इस भूमिका की परिभाषा में बदलाव से मांगों में भी बदलाव दिखता है। इन्हीं सोच के अनुसार महिलाओं को अर्थोपार्जन के जगह समाजसेविका बनने पर जोर देने की बात भी दिखती है। मजेदार बात यह भी है कि इस दौर में महिलाओं के रोजगार को कभी भी जीवनयापन के लिए धन कमाने के लिए जरूरी नहीं समझा गया उनको परिवार के पूरक सहायता के रूप में देखा गया।

1950 के दशक में तक देश के तमाम राजनीतिक आंदोलनों पर महात्मा गांधी का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। गांधीजी महिलाओं को पुरुषों का पूरक और त्याग तथा पीड़ा की प्रतिमा मानते थे। परंतुमहिलाओं के समानता पर उनका विचार हिंदू धर्म और , पितृसत्ता से अधिक विलग नहीं था। महिलाओं के आर्थिक निर्भरता या स्वाबलंबन पर भी उनके विचार पति के सहयोगी के रूप में दिखती है। इसलिए महिलाओं के श्रम के विषय पर वो मौन दिखते है और महिलाओं को चरखा एक विकल्प के रूप में सुझाते है।[12]

हालांकि इसी दौर में महिलाओं के संगठित आवाजों ने इस तर्क को स्थापित करने का प्रयास किया कि शारिरीक भिन्नता के बाद भी महिलाएं पुरुषों से तार्किक रूप में भिन्न नहीं है। इसलिए महिलाओं के कार्यस्थल पर एक ही कार्य के लिए पुरुषों के बराबर श्रम मूल्य मिलना चाहिए। जिसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया गया और धीरेधीरे श्रमिक -

---

[12] Sujaata Patel, Construction Of Women In Gandhi, Economice And Politicat Weekly, 20Feb !998

क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सीमित कर दी गई। परिणामतमहिलाएं आर्थिक रूप से : पुरुषों पर निर्भर हो गई। इन्हीं क्रमों में बाद के दिनों में महिला श्रमिकों के प्रसूति लाभ कहीं पर महिलाओं को मिला भी।-और अन्य कई मांगे भी उठी जिसका फायदा कहीं

इन सबों के साथमहिला श्रमिक के साथ नैतिकता व मातृत्व के पहल ,ू महत्वपूर्ण हो गए। मातृत्व की भूमिका निभाना महिला का कर्तव्य माना गया तथा सभ्य महिला के रूप में इस कर्तव्य को महिला की नैतिकता के साथ जोड़ा गया। यह कहा जाता था कि अच्छे घराने की महिलाएं विस्थापित नहीं होती, अभद्र महिला श्रम के लिए विस्थापित होती हैं जबकि ऐसे बंधन पुरुष श्रमिक के साथ नहीं जुड़े होते।

कार्यस्थल पर महिलाओं की कमी की वजह से महिलाओं की भागीदारी ट्रेड यूनियन की राजनीति में कम हो गई। ऐसा कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं था जो महिला श्रमिक की असमानताओं व समस्याओं को उजागर कर सके। ट्रेड यूनियन में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण ट्रेड यूनियन में जेंडर आधारित समस्या की जगह श्रमिक की समस्या की मांग को उजागर किया जाता था। इस तरह महिला श्रम खत्म होने लगा व धीरेधीरे हाशिए - पर सिमटकर रह गई।

आजादी मिलने के दो दशक के खामोशी के बाद श्रम के क्षेत्र में महिलाओं के वास्तविक स्थिति को 1974 में आई ,"समानता के रिपोर्टने उधेड़ कर रख दिया। जिसने इस भ्रम " को तोड़ा कि संविधान के माध्यम से मिले समानता के अधिकार मिल जानेके बाद भी विकास का लाभ समान रूप से नहीं मिल सकते। महिलाओं के श्रम में योगदान लगभग अदृश्य है जिसका कारण लिंग ,के आधार पर सामाजिक संरचना हैघर के अंदर और ,

बाहर दोनों ही जगहों पर कार्य करती हुई महिलाओं की स्थिति यह सिद्ध करती है कि उनके साथ दोयम दर्जे की स्थिति कायम है।

इस रिपोर्ट में महिलाओं के कार्यउनका आर्थिक ,दृश्य और अदृश्य श्रम ,कार्य दशाओं , मूल्यांकन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी जैसे सवालों पर गंभीर बहसों की शुरूआत की। पहली बार दृश्य और अदृश्य श्रम के साथ महिलाओं के जुड़ाव का तथ्यवार ब्यौरा का खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ। इसके साथसाथ महिलाओं के श्रम के क्षेत्र में - पितृसत्तातमक व्यवहार के कारण भी सतह पर आ गए।

श्रम के क्षेत्र में महिलाओं के स्थिति में बदलाव के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं में "**महिला और विकास**जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए और जिसके लिए रोजगार व आय " चेतना वृद्धि और कनूनी सहायता जैसे उद्देश्यों ,समर्थित सेवाएं ,शिक्षा व प्रशिक्षण ,संबंधी कोनीतिनिर्धारण में शामिल किया गया। इस नीतिगत फैसलों का फ़ायदा भी हुआ। - जिस लैंगिक असमानता को परिवार में महिलाओं के उपेक्षा का मूल कारण माना ,परंतु उसपर कठोर आघात या कोई बदलाव नहीं होने के कारण महिलाओं के पक्ष में ,गया बदलाव की गति धीमी ही रही। अगर कहीं कोई बड़ा बदलाव हुआ भी तो उसके पीछे मूल कारण परिवार की आर्थिक स्थिति में महिलाओं को सहयोगी के भूमिका में देखने की इच्छा शक्ति के कारण हुआ।

महिलाओं के श्रम के सवालों के अनदेखी को चित्रा जोशी 'History of Indian labour: Predicaments and possibilities' लेख में समुदाय, राजनीति, जेंडर और कानून जैसी अवधारणा के साथ देखती है। उनके अनुसार-

> एक लंबे दशक से भी ज्यादा समय काल से भारतीय श्रमिक इतिहासकार उस " प्रक्रिया की आलोचना करते हैं जिस प्रक्रिया में श्रमिक वर्ग का निर्माण हुआ। वर्ग,

> समुदाय, कामकाजी वर्ग की राजनीति की अवधारणा में के जटिलता के साथ श्रम आधारित लेखन प्रारंभिक दौर में पुरुषत्व के ढांचे के अंतर्गत लिखे दिखते है। आधुनिक समय में कानून व कार्यपालिका पर लिखे गए आधुनिक लेख एक नई दिशा में चले जाते है।"[13]

क्या फैक्ट्री व उद्योग के निर्माण के पश्चात श्रमिक वर्ग का विकास हुआ थाउससे ? पहले भारतीय संदर्भ में श्रमिक वर्ग नहीं था? नस्लीय व जातीय पहचान तथा कामकाजी वर्ग के निर्माण के संबंध को श्रमिक इतिहासकार मौन क्यों रह जाते हैभारतीय श्रमिक ? जबकि वो ,इतिहास लेखन में इस मुद्दे को अलग तरीके से क्यों नहीं देखा गया वास्तविकता में हमेशा मौजूद थे। आजाद भारत में महिलाओं के श्रम पर ये सारे सवाल अपने जवाब की तलाश में मौजूद रहे।

सनद रहे "**समानता की रिपो**र्टजातिय ,में भी महिलाओं के श्रम के विषय पर नस्लीय " जिनसे यह अनुमान लगाया जा ,या धार्मिक आधार पर कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए सके कि श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति दृश्य या अदृश्य दोनों ही क्षेत्र में परंपरागत चेताना से किस हद तक प्रभावित है।

1970 के बाद के दशकों में श्रमिक लेखों में यह पाया गया कि कार्यस्थल पर मज़दूर की धार्मिक समुदाय पहचान को देखा जाता था। समुदाय के रूप में यह पहचान श्रमिक के साथ शहरी उद्योगी करण के संदर्भ में देखी गई थी। औद्योगीकरण के समय में अनुमान लगाया जाता था कि सभी श्रमिकों की पहचान केवल एक वर्ग के रूप में होगी वह पहचान थी श्रमिक के रूप में इस समय जाति, धार्मिक, नस्लें समुदाय के रूप में पहचान इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। परंतुशहरों में समुदाय से संबंधित इस पहचान को ,

---

[13] chitra joshi,Histories of inidian labour:predicaments and possibilities,willy online libery,vol. 6(2),27 february 2008

श्रम बाजार की एक विशेषता के रूप में देख सकते हैं जहां पर भर्ती करने की प्रक्रिया जातीय पहचान या धार्मिक समुदाय के आधार पर की जाती थी। बहुत हद तक यह कुछ श्रम क्षेत्रों में पेशेगत कार्य में दक्षता के कारण भी मौजूद था।

दीपेश चक्रवर्ती "Rethinking labour history marked a major intervention in the writing of labour history in India**is**" किताब में कहते हैं -

> आधुनिक समय में जातिवाद समुदाय की पहचान कम हो सकती है परंतु समाप्त "
> "नहीं हुई हैं।[14]

जाहिर है नस्लीय ,जातिय और धार्मिक पहचानों के अनदेखी के कारण पंचवर्षीय योजनाओं के नीतिनिर्माण और महिलाओं के विकास के कार्यक्रमों में इन बाधक कारणों - सारा ध्यान श्रम के पहचान :से उन्मूलन के दिशा में कुछ भी नहीं सोचा गया। परिणामत और उसके मूल्यांकन पर ही केंद्रित रहा। जबकि श्रम के अध्ययन के क्षेत्र में वंचित समुदायों के शोधों और कुछ अध्ययनों ने दमित और वंचित समुदाय के महिलाओं के नए अनुभवों को साझा किया।

कोई महिला जो दलित या वंचित समुदाय की है उसको जाति, जेंडर, तथा वर्ग के आधार पर श्रम के क्षेत्र में असमानताओं का सामना करना पड़ता हैजिसमें जाति मुख्य भूमिका , निभाती है। जाति के कारण महिला शोषण और अधिक बढ़ जाता है। जाति वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिला की भागीदारी शामिल की जाती है।

---

[14] Dipesh chakarbarty,Rethinking working class History:Bangal 1890-1940,Delhi oxford university press,1998

यही कारण है कि भीमराव अंबेडकर ने अंतरजातीय विवाह की बात की ताकि जाति व्यवस्था को तोड़ा जा सके। जहां उच्च जाती है महिला जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए दलित महिला को शुद्धता के इस घेरे से बाहर लगती है। जाति आधारित श्रम विभाजन दलित महिला के लिए ज्यादा हानिकारक बन जाता है। महिला को यदि वेतनभोगी श्रम से निकाल दिया जाता है तो उस महिला के पास शक्ति होती है जाति व्यवस्था को बनाए रखने की। दलित महिला उस महिला के घर में जाति आधारित कार्य करती है।

दलित महिला सदैव उसी श्रम में ज्यादा दिखाई देती है जिसको परंपरागत रूप से जाति के आधार पर करते हुए आए हैं जैसे की दाई का कार्य साफसफाई का कार्य-। दलित के कार्य को कभी मूल्यवान नहीं समझा जाता।

समाज में दलित महिला की सेक्सुअलिटी बारे में यह आम राय रहती है कि दलित महिलाओं को उस महिला की तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दलित महिलाएं घरेलू नहीं होती इनका चरित्र अच्छा नहीं होता इसलिए दलित महिलाओं को उनकी सेक्सुअलिटी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दलित महिलाओं की उपजाति महिलाओं की तुलना में सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती इसलिए दलित महिलाओं को समाज में हीन माना जाता है गिरा हुआ माना जाता है तथा उनका शोषण अधिक किया जाता है।

जेंडर और श्रम के ऐतिहासिक लेखन में महिलाओं के श्रम के अनेदेखी के एक नहीं अनेक कारण है जो एक साथ कई स्तरों पर महिलाओं के श्रमसाध्य कार्य को हाशिये पर समेट देते है। समयसमय कई शोधों ने इन तमाम कारणों को विमर्श के सतह पर लाने का -

कार्य भी किया जिससे श्रम कार्य में महिलाओं की भागीदारीकी बारीकियों को समझा जा सके। महिलाओं के श्रम का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में निर्माण कार्य और कई कार्यो में अपनी महत्ती भूमिका कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव में करता हैजिससे कुछ पैसे , जोड़कर जीवन संघर्ष में सरल बनाया जा सके।

सामाजिक संरचना में महिलाओं के विकास के लिए किए जा रहे इन प्रयोगों के कारण गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को इसका अधिक लाभ नहीं मिल सका। जाति व जेंडर के बंधनों में बंधा आस्तित्व उसकी अधीनता को सामाजिक संबंधों में और जीवन निवार्ह गतिविधियों में बनाए रखता है। आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के ताने-बाने में सरकारी सुविधाओं का उपस्थित होना या न होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है।

महिलाओं के श्रम के स्थिति में कितना बदलाव हुआयह एक यक्ष प्रश्न है। श्रम के क्षेत्र , ,पुरुष के वर्ग में विभाजित करके देखते है-में अधिकांश समाजशास्त्री श्रम को स्त्रीजिसके कारण जातियवर्गीय और धार्मिक आधार पर श्रम क्षेत्र का मूल्यांकन सामने नहीं आता , वर्गीय और धार्मिक समुदाय का कोई ,है। जबकि आर्थिक अंपगता के स्थिति में जातिय -भी हिस्सा किसी भी आर्थिक गतिविधि से स्वयं को विलग नहीं कर पाता इसके साथ साथ वह वर्गीय श्रेष्ठता के भाव को भी नहीं छोड़ता है। महिलाओं के श्रम के क्षेत्र में सटीक मूल्यांकन के लिए यह जरूरी है कि इन बारीकियों का ध्यान रखा जाएतभी सही , आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सकता है।,साजाजिक

चित्रा जोशी 1974 में आई "Towards equality: Report of the committee women in India" के आधार पर कहती है कि -

> आधुनिक समय में महिला श्रम पूरी तरह से खत्म हो गया है। आजादी के पश्चात " सांस्कृतिक व्यवहारिकता में राजनीति व आर्थिक प्रक्रिया -भी महिलाओं को सामाजिक में विभेदीकरण का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में विकास व लोकतंत्र की चर्चा जेंडर परिपेक्ष के नजरिए से देखने की बात की। इस रिपोर्ट में कार्य के क्षेत्र में महिला अनुपात के कम होने के मुद्दे को उजागर किया।"[15]

यह रिपोर्ट महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण की वकालत करता है। परंतु मौजूदा ,दौर में महिला श्रम खत्म होने के दौर में हैश्रम के नवीनीकरण , कृषि के क्षेत्र में ही ,महिला श्रम पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है ,का दौर है ,महिला श्रम बड़ी मात्रा में दिखाई देती है जहां पर महिलाएं अवैतनिक कार्य कर रही हैं।

जरूरत इस बात कि है कि महिला श्रम को स्त्रीपुरूष के तमाम वर्ग के आधार पर - मूल्यांकन किया जाए जो समाज के हर स्तर पर मौजूद है और कार्यक्षेत्र में महिलाओं के लिए समुचित माहौल का निर्माण हो। इसके अभाव में हम आंकड़ों के आधार पर समस्या के निदान की कोशिश कर सकते है पर वह अधिक प्रभावी नहीं सिद्ध हो सकता है। क्योंकि कोई भी आकंड़ा समाजिक की सामाजिक विषमता कम करने के बजाए वर्गीय विभेद को अधिक गहरा कर देता है। आंकड़ो के संबंध में मैत्रीय कृष्ण राज अपने लेख "women's work in Indian census beginning of change" बताती हैं कि-

> आंकड़ों को इकट्ठा करने की वि"भन्न संस्थाओं की उस विशेष मुद्दे पर अपनीअपनी - समझ व अवधारणा होती है तथा हर संस्था का आंकड़ों को इकट्ठा करने का तरीका अलगअलग होता है।- यह समस्या महिला संबंधित आंकड़ों में और जटिल हो जाती है क्योंकि कई बार महिलाओं की वास्तविक समस्या दब जाती है। महिला श्रम से

[15] चित्रा घोष टुवर्ड्स ईकुलिटी रिपोर्ट में,निर्माण महिला मज़दूर के बारे में उदाहरण देते हुए लिखती हैं कि निर्माण कार्य में कार्य करने वाली अधिकतर महिला दलित व आदिवासी समुदाय की होती हैं। आजादी के बाद भी महिला दलित व आदिवासी महिला के साथ उनकी सामजिक पहचान जुड़े होने के कारण इन महिलाओ को समाजिक,राजनितिक,आर्थिक असामनता का सामना करती हैं।इस स्तिथि को ही टूवर्ड्स एकुइल्त्य रिपोर्ट में दार्शाया गया हैं।

> संबंधित इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई प्रभावशाली नीति भी नहीं है। अधिकतर लोग यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि इस समस्या का कारण जेंडर आधारित असमानता है।"[16]

कृष्ण राज इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव देती हैं कि घर की गरीब महिला पर भी ध्यान देना होगा। कितनी महिलाओं को श्रमिक के रूप में शामिल किया जाता है कितनी प्रतिशत महिलाएं बेरोजगार हैं कितनी प्रतिशत महिलाओं को कार्य मिला है वह कितने दिन के लिए मिला है सभी प्रश्नों के उत्तर देने में हमारे आंकड़े अभी भी अपर्याप्त है।

कृष्णराज दूसरी समस्या आंकड़ों में शामिल श्रम की अवधारणा को मानती हैं। आंकड़ों में प्राय श्रम उसी को माना जाता है जिस कार्य से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यदि महिला श्रम की बात की जाए तो महिला के द्वारा किए गए श्रम को केवल एक कार्य ही माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार श्रम वही होता है जिससे वेतन प्राप्त होता है क्योंकि महिलाएं भारतीय संदर्भ में अधिकतर घरेलू संदर्भ में ही कार्य करती हैं इनकी कोई सीधी भागीदारी नहीं होती अर्थव्यवस्था में। परंतु, ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय महिलाएं घर के साथसाथ बाजार व्यवस्था में भी अप्रत्यक्ष रूप- से उत्पादन करती हैं।

महिलाएं जो कार्य करती हैं वह बाजार केंद्रित होता है परंतु महिलाएं इस बाजार व्यवस्था से अदृश्य रहती हैंउदाहरण घर से पीस रेट पर काम करना और भी कई कार्य। , श्रम की सीमित अवधारणा के कारण महिला श्रम समाज में नकार दिया जाता है क्योंकि समाज में केवल उसी कार्य को श्रम माना जाता है जिससे कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है।

---

[16] मैत्रेयी कृष्ण राज एंव अरुणा कांची ,भारतीय महिला किसान ,अनुवादअरविन्द कुमार सिंह रजनी कुमारी,राष्ट्रिय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली,2008

जबकि महिलाओं के द्वारा किए गए घरेलू कार्य भी अप्रत्यक्ष रुप से उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। कृष्णराज कहती हैं कि

> श्रम की जो अवधारणा है यह महिला द्वारा किए ग"ए श्रम से मेल नहीं खाती इसलिए मुख्य और अमुख्य श्रमिक की अवधारणा के अंतर को स्पष्ट किया जाना चाहिए।"[17]

महिला व पुरूष के क्रम में किस आधार पर अंतर किया जाता है इस अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। किस आधार पर यह कहा जाता है कि पुरुष के द्वारा किया गया कार्य एक मुख्य श्रम है जबकि महिला के द्वारा किया गया श्रम मुख्य नहीं है। महिला श्रम की स्थिति जानने के लिए आवश्यक है कि बेरोजगार महिलाओं पर भी आंकड़े हो तथा बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। जो कार्य बाजार व्यवस्था में नहीं होते या बाजार व्यवस्था से बाहर किए गए कार्य को स्वयं की अवधारणा में शामिल किया जाए।

1980 के दशक में नेशनल सैंपल सर्वे में श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की भादीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है-इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ,

> असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या"96 प्रतिशतनियमित , आय वाले रोजगार में15 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में ,55 प्रतिशतनिर्माण और , उत्पादन क्षेत्र में30 प्रतिशत से भी कम थी। परंतु अधिकांश ,निम्न दर्जे कार्य परिस्थितियों में काम कर रही थीकुछ क्षेत्रों में यूनियन होने के कारण महिलाएं , अच्छी स्थितियों में भी थी। अधिकांश सस्ते श्रम में कठिन श्रम प्रधान कार्य कर रही थी।"[18]

इस दशक में उदारीकरण और ढांचागत नीतियों के बदलाव के कारण श्रम का लचीलापन , श्रम का महिलाकरण और निजीकरण के कारण महिला ,श्रम का अनौपचारीकरण

---

[17] वही से।

[18] जिनी लोकनीता, उदारीकरण का महिलाओं पर प्रभाव, "नारीवादी राजनीति: संघर्ष एंव मुद्दे" सं, साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,दिल्ली विश्वविधालय, नई दिल्ली, 2001, पेन न.225-27

कामगारों के भागीदारी में इजाफा हुआ पर शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में महिला कामगार हाशिए पर ही रहीं। महिलाओं को कम आय मिलने के कारण उनके आय को पारिवारिक आय का मुख्य स्त्रोत नहीं माना जा सका। यह भी माना गया कि महिलाओं के श्रम की आवश्यकता तब है जब अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता हो।

इस दशक की विशेषता यह रही कि एक तरफमहिलाओं के घरेलू काम के बोझ को कम , महिलाओं के घरेलू काम को काम के लायक ,करने की बात भी होती रही। दूसरी तरफ ही नहीं माना गया। साथ ही साथ श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अर्जित आय को पारिवारिक आय में भी शामिल नहीं माना गया क्योंकि यह आय पुरुषों के अर्जित आय से कम थी। इस तरह से श्रम करते हुए भी महिलाओं का श्रम अदृश्य ही रहा।

श्रम के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ,90 के दशक में उस वक्त उभर कर आया जब मालिक व श्रमिक के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रह गया है। मालिक वह श्रमिक के बीच में ठेकेदार आ गया है जिसके द्वारा श्रमिक को काम पर रखा जाता है। ऐसे में औपचारिक कानूनों की कमी देखने को मिलती है क्योंकि औपचारिक कानून वहीं पर लागू होते हैं जहां पर मालिक व श्रमिक के बीच सीधा संबंध होता है।

आधुनिक समय में ठेकेदार के द्वारा कार्य कराने से अनौपचारिक कार्य क्षेत्र में श्रमिक संबंधित कानूनों का इस्तेमाल मज़दूरों के खिलाफ हो रहे शोषण को रोकने के लिए नहीं किया जाता है। श्रम के क्षेत्र में श्रमिक कानूनी अधिकार मांगने की बात करते थे परंतु , आधुनिक श्रम के क्षेत्र में कानूनी अधिकार की मांग नहीं की जा सकती और ना ही उसे उस कार्य क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। क्योंकि कानूनी अधिकार वहीं पर लागू

होते हैं जहां पर श्रमिक व मज़दूर का सीधा आपस में जुड़ा होता है। ठेकेदार के आ जाने की वजह से मालिक व मज़दूर के बीच का यह संबंध खत्म हो गया है। ऐसी अवस्था में कानूनी अधिकार लागू नहीं किए जा सकते। चित्रा जोशी बताती है कि -

> आधुनिक श्रम के लेख इतिहास के श्रम लेखकों से अलग विचार प्रस्तुत करता है।" पुराने श्रमिक इतिहास विचार नई श्रमिक व्यवस्था में उचित नहीं बैठते इसलिए आवश्यकता है एक नहीं श्रमिक इतिहास लेखन की जो वैश्विक वाइट स्थानीय समय काल से शुरू हो। [19]

जिसकी चर्चा जिनी लोकनिता **"उदारीकरण का महिलाओं पर प्रभाव"** लेख में करती है और बताती है कि -

> महिलाओं के घरेलू काम के बोझ को कम करने की बात की जाती है तो दूसरी ओर " महिलाओं के घरेलू काम की गिनती काम में नहीं कीजाती। महिला के घरेलू कार्य का कोई निश्चित समय नहीं होता जबकि हर अन्य कार्य के क्षेत्र में श्रम के घंटे निश्चित होते हैं महिलाओं का अधिकतर श्रम अदृश्य ही रहता है तथा सरकारी एजेंसी भी उनके रोजमर्रा के कामों को श्रम की अवधारणा में नहीं शामिल करती।"[20]

श्रम के क्षेत्र में ठेकेदारी व्यवस्था आ जाने से दलालों की कड़ी लंबी होती चली गई , जिससे काम करने के बाद भी उचित प्रतिफल खत्म होता चला गया। आम महिला मातृत्व ,अवकाश ,कारगार व्यवस्था ,समान परिश्रमिक ,श्रमिक के पास सामाजिक सुरक्षा विधवा गुजारा भत्ता और कानूनी सहायता ,लाभ से वंचित होना पड़ा। परिणामसवरूप आधुनिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं के काम के घंटों में वृद्धि उनके प्रजनन और स्वास्थय के क्षेत्र में और अधिक सरकारी नियंत्रण और हिंसा की प्रक्रिया पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत महसूस की जाने लगी।

---

[19] chitra joshi,Histories of inidian labour:predicaments and possibilities ,willy online libery ,vol. 6(2),27 february2008

[20] जिनी लोकनीता, उदारीकरण का महिलाओं पर प्रभाव, "नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एंव मुद्दे" सं, साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,दिल्ली विश्वविधालय, नई दिल्ली, 2001, पेन न.225-27

गौरतलब है कि ठेकेदारी व्यवस्था के बाद सरकारी नीतियों का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल पाता है जो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र स्थायी पदों पर कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में ठेकेदारी व्यवस्था अलग तरीके से काम करती हैनिष्कर्ष संगठित और असंगठित दोनों , ही क्षेत्र में ठेकेदारी या संविदा आधारित व्यवस्था ने श्रम को दोहन कम मूल्यों पर किया है।

इसके साथसाथ श्रम से संबंधित ऐतिहासिक-ता में देवकी जैन "Valuing work: Time as measure" में बताती है कि -

> जब महिला के पास किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं होती तो क्या समय एक " मापदंड हो सकता है जिसके द्वारा श्रम के मूल्य एवं महत्व को नापा जा सकते। 1995 में **ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट)**HDR) महिला व पुरुष के बीच के आसमानता को जेंडर के लेंस से देखने का आग्रह करती है। यदि जेंडर आधारित लेंस के आधार पर स्त्री"पुरुष श्रम की असमानता पूरे विश्व में दिखाई पड़ती है।-[21]

इस रिपोर्ट के पश्चात UN में चौथी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वूमेन, जो 1995 में हुई। इस कांफ्रेंस में महिलाओं के लिए सकरात्मक अंतर की मांग की गई महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की मांग हुईपुरूष असमानता को खत्म किया जा सके। -जिससे स्त्री , ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है कि महिला कार्य को आर्थिक भाषा में मूल्यवान नहीं माना जाता। इसके लिए आर्थिक प्रक्रिया की सीमित भाषा को दोषी माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार समस्या आर्थिक प्रक्रिया की सीमित भाषा में नहीं बल्कि श्रम के मूल्य संबंधित अवधारणा में है क्योंकि मूल्य की अवधारणा सीमित अवधारणा है। बाजार व्यवस्था में उसी वस्तु को मूल्यवान माना जाता है जो सबसे ज्यादा बिकती हैं।

---

[21]Devaki, jain,Valuning Work:Time as a Measure,economic & political weekly ,vol:31(43),26 Oct1996

आधुनिक समय में श्रम का मूल्य बाजार में मुद्रा के दखल से बदल गया है। इसलिए श्रम का समय आधारित अध्ययन करना आवश्यक है। देवकी जैन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर इस बात का विश्लेषण करती हैं कि-

> समय को एक मापन के रूप में इस्तेमाल से महिला कार्य मूल्यवान बन जाता है। " साथ-इसके साथ महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक घंटे तक कार्य करती हैं। श्रम के मूल्य को मापने के लिए जब समय को मापदंड मानते हुए इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में आवश्यक है कि घरेलू कार्य की परिभाषा को और विकसित किया जाए।"[22]

महिला के घरेलू कार्य को नजरअंदाज करने का अर्थ यह है कि ज्यादातर आर्थिक क्रियाओं में भी महिला कार्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह देखना भी आवश्यक है कि बड़े स्तर के सर्वे में घरेलू श्रम को किस तरीके से शामिल किया जाता है तथा राष्ट्रीय आंकड़ों में किस तरीके से सुधार किया जाए कि राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में महिला श्रम की भागीदारी को प्रत्यक्ष रुप से देखा जा सके।

किसी श्रम को अदृश्य से दृश्य श्रम बनाने की प्रक्रिया में महिला श्रम को पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। जिस क्रम में महिला की संख्या सबसे अधिक होती है उसी श्रम को महिला श्रम कहा जाता है। घर में रहते हुए भी महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में अपना पूरा समय खर्च कर देती हैं। महिला के द्वारा किए गए घरेलू कार्य को नजरअंदाज करने का मुख्य कारण यह रहता है कि उस कार्य के साथ आर्थिक मूल्य नहीं जुड़ा होता, क्योंकि श्रम की अवधारणा में वही कार्य मूल्यवान है जिसके साथ आर्थिक मूल्य जुड़ा होता है।[23]

यहां ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि महिलाएं घरेलू कार्य के साथसाथ बीच में - आर्थिक कार्य में भी अपना योगदान देती हैं जैसे की खेती करना पशुपालन करना

---

[22] वही से।

[23] Bina Agrawal,A Filed Of One's Own, Cambridge University Press, 1995

इत्यादि जिसको घरेलू कार्य के नाम पर छुपा दिया जाता है इसलिए जरूरी है कि घरेलू कार्य की अवधारणा को भी विकसित किया जाए।

जबकि तमाम आर्थिक मंदी या गतिशील अर्थव्यवस्था के बदलाव के दौर में सबसे पहले महिलाओं को ही श्रम क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। एन नीता "Women's work in the post Reform and Exploration of Macro Data" में बताती है कि-

> जब भी सामाजिक व आर्थिक संकट आता हैं तो सबसे पहले महिला को श्रम से " हटाया जाता हैं। जब महिला श्रमिक की भागीदारी अनोपाचरिककार्य क्षेत्र में अधिक होती हैं तो यह अनुमान लगया जाता हैं की महिला श्रम खत्म हो गया हैं।"[24]

महिला श्रम से संबंधित बहुत से अध्ययन में यह माना गया कि महिला की श्रम के क्षेत्र में भागीदारी कम होने का कारण यह है कि अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जबकि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में ही नहीं हर अर्थव्यवस्था के दौर में महिलाओं की भागीदारी का सूचकांक घटने के बजाए बढ़ता ही जाता है।

आधुनिक समय में महिला श्रम को बढ़ाने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि यदि महिलाओं को शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाएगा तो महिलाओं की आधुनिक युग में भी भागीदारी बढ़ जाएगी। (ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया) में आई कमेटी 1975 CSWI की रिपोर्ट में कहां गया कि-

> आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रम के क्षेत्र में अनुपात कम हो गया है इसके पीछे " अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार माना गया। आधुनिकरण के कारण तकनीकी कौशल के अभाव में महिलाओं के रोजगार के साधन कम हो रहे है।"[25]

---

[24] Neetha n. "Women's work in the post Reform and Exploration of macro data, center for women's development studies ,new delhi 2009

[25] वही से।

मौजूदा दौर में महिलाओं के श्रम का सवाल लिंगजाति और सेक्सुअलिटी से जुड़कर श्रम , " की अवधारणा को अधिक जटिल बनाती है। स्वाति शाहस्ट्रीट कार्नर सीक्रेट्समें श्रम " के क्षेत्र में महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के कारण और परिस्थितियों के बारे में पड़ताल करते हुए लिखती है कि-

> "90 के पूर्व और बाद के दशकों में महिलाओं को अपने पुरुषों के साथ रोज़गार के लिए शहरों के तरफ बड़ी मात्रा में आना पड़ा। इन दशकों में शहरों में काम दिलाने के बहाने महिलाओं को वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में धकेल दिया। रोजगार के चाह में शहरों में आई महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए इस देह व्यापार से जुड़ गई। इसमें वो समान्य महिलाएं भी शामिल है जो निर्माण क्षेत्र में मजदूरी भी करती है और देह- "व्यापार से भी जुड़ी होती है।[26]

कार्य क्षेत्र में मज़दूरी के साथ देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं में जाति के आधार पर और सेक्स वर्क के प्रकृति के आधार पर भी श्रेणियों का विभाजन अगल तरह का है। मीना गोपाल "Cast sexuality and labor the trouble connection" लेख में 2005 में मुंबई सरकार के द्वारा डांस बार को अनौपचारिक घोषित करते हुए डांस बार पर बैन लगाने के मुद्दे को आधार बनाते हुए कहती हैं कि-

> जब महिला श्रम के साथ जेंडर सेक्सुअलिटी और जाति जुड़ जाते हैं तो वहां पर " महिला श्रम की एक जटिल अवधारणा सामने आती है। 2005 में मुंबई सरकार ने डांस बार को बैन कर दिया था और इसके लिए यह तर्क दिया था कि डांस बार भारतीय मौलिकता को भ्रष्ट करती है। जाति आधारित पहचान, असमानता आधारित संघर्ष आश्रम के क्षेत्र में जेंडर आधारित चुनौतियां यह सब और जटिल समस्या बन जाती हैं जब सेक्स वर्क में कार्यरत महिला की बात की जाती है। लाइव लीवुड के नाम पर जाति आधारित यौन शोषण दलित महिला के यौन शोषण को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं।"[27]

---

[26] Svati p.shah,Street corner secrets :sex,work and migration in the city of Mumbai,Duke university press , 2014

[27] Meena gopal, Caste,Sexuality and Labour :The trobled connection,Tata institue ofd social science,india2012

सरकार के नैतिकता से भरे फैसले और सेक्सुअल लेबर के अधिकार के संदर्भ में मीडिया और सक्रियवादी कार्यकर्ताओं का समूह पक्षविपक्ष में मुखर हुए। मीडिया ने सेक्सुअल - लेबर के संदर्भों की अनदेखी करतेहुए, इसको समर्थन प्रदान किया तो विपक्ष के समूहों ने इसे कार्य के अधिकार के विरोध में माना।

समाज में महिलाओं का हर कार्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच आता है। महिलाएं श्रम क्षेत्र में भरणपोषण और पुनरूउत्पादन के माध्यम से अगली पीढ़ी को भी श्रम के लिए तैयार करती है इसके साथसाथ महिलाएं जीवन निवार्ह के लिए भी श्रम साध्य - करती है। राज्य के लोककल्याणकारी नीतियों से पीछे हटने पर रोजगार के क्षेत्र में साथ विकास के मौजूदा परिभाषा में उसके -महिलाओं के लिए असुरक्षा बढ़ी है। इसके साथ रोजगार के अवसर भी दुरुह हुए है। जीवन की समान्य जरूरतेस्वास्थ्य ,शिक्षा , सुविधाओं की पहुंच उनसे दूर हो रही है। श्रम क्षेत्र में ठेकेदारी व्यवस्था आ जाने के कारण भी शोषण की संभावना बढ़ी है।

मौजूदा अर्थव्यवस्था में अभी भी महिलाओं का आंशिक या पूर्ण रोजगार शौकिया काम के तरह देखा जा रहा है। श्रम के क्षेत्र में कई कानूनों के निर्माण से जहां एक तरफ , महिलाओं के श्रम की स्थिति में कुछ बेहतर स्थिति की कल्पना की गई है। तो दूसरी यह स्थिति भी है कि कई श्रम क्षेत्रों में महिलाओं के श्रम का फायदा कम ,तरफ सुविधाओं के साथ लेने की कोशिश भी हो रही है। श्रम सेजुड़ी तकनीकि जानकारी के अभाव में महिलाओं को कठोर बल आधारित कार्य कम मजदूरी में करने पड़ते है। इन स्थिति में कहीं कहीं पर बदलाव मजबूत यूनियन या संगठन निर्माण के कारण भी देखने को मिलता है। मसलनहाल ही दिनों में नोटबंदी के बाद चैन्नई में महिलाओं के जोरदार ,

विरोध के बाद कंपनी मालिक महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती नहीं कर सके।

श्रम के क्षेत्र में महिलाओं के स्थिति में सुधार "**जेंडर न्याय**के विकास की मांग करता है " जिससे रचनात्मक तथा आर्थिक विकास से जुड़े कामों में महिलओं की भागीदारी हो सके। रोजगार के ,शिक्षा लिए प्रशिक्षणपौष्टिक आहार और ,व्यवसाय के लिए अवसर , आजीविका से जुड़े अन्य आवश्यकताओं के मामले में उन्हें बराबरी हासिल हो सके। उत्पादन आधारित समाज के विकास ने तथा पूंजी के उपयोग ने समाज में महिलाओं और पुरुषों के कामों के मूल्यांकन के अंतर को बढ़ाया है। संविधान के समानता के दावे को सही सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि श्रम के क्षेत्र में स्त्रीपुरुष के मध्य समान - अवसर और उचित कार्य दशाओं का निर्माण किया जाए।

निष्कर्ष: घर और बाहर दोनों ही जगहों पर महिलाओं के कार्य चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की कार्य की प्रकृति पर बहस एक निश्चित समयांतराल के बाद कार्य स्थिति को बेहतर और सहज करने के मांग के साथ सतह पर आती रही। स्वतंत्रता के बाद कई कमेटियों ने महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अर्थ की महत्ता और घरेलू कार्य के आर्थिक मूल्य की सार्थकता पर बल जरूर दिया। परंतुतमाम कानूनी दखल के बाद भी सामाजिक , मानसिकता में ढेले भर भी बदलाव के कारण घरेलू ही नहीं बाहरी क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं के श्रम को आर्थिक भागीदारी के रूप में नहीं देखा गया। अर्थव्यवस्था के बदलाव के दौर में रोजगार के संक्रमण के दौर में भी महिलाओं के निरंतर कार्य का न तो विशेष प्रतिफल मिला न ही कोई विशेष पहचान। इस दौर में महिलाओं के श्रमशक्ति के निधारण के लिए निर्धारित मानकों में सुधार की कोशिशों के बाद संगठित क्षेत्र में कुछ

हद तक महिलाओं की अस्मितामूलक छवि तो बन सकी। परंतुअन्य क्षेत्रों में श्रमिक के , रूप में महिलाओं के श्रम की मान्यता अभी भी कठोर यर्थाथ से संघर्ष कर रही है वो भी सहज और समान्य कार्य दशाओं के अभाव में। महिलाओं के कार्य को लेकर सांस्कृतिक संरचनामहिलाओं के ,महिलाओं के कार्य मापन की कठिनाई ,समाज की असंवेदशीलता , श्रम के बारे में समाजीकरण की पूर्वाग्रह और इस तरह की कई मान्यताएं महिलाओं के किसी भी श्रम मूल्यांकन सहज तरीके सेनहीं करने देती है।

जबकि श्रम के हर क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं ने अपने धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति से हर समस्याओं का सामना भी किया है और अपने कठोर श्रम के ज़रिए अपनी सकारात्मक स्वपहचान और सशक्तिकरण को प्रसारित किया है।-

अध्याय 2

निर्माण मज़दूरों से संबंधित कानूनी प्रावधान

किसी भी देश वृद्धि एवं आर्थिक गतिविधियों के विकास में उस देश की श्रमशक्ति की नियामक भूमिका होती है इसलिए जरूरी है कि श्रमशक्ति के सामने अच्छा और कामकाजी वातावरण तैयार किया जाए। इस दिशा में श्रमशक्ति के कल्याण तथा समृद्धि के लिए उपयुक्त कानून का निर्माण जरूरी है ताकि श्रमिकों के हितों का ख्याल रखा जा सके और उनकी श्रम शक्ति का इस्तेमाल देश और अर्थव्यवथा के विकास में किया जा सके।

भारतीय श्रम बाज़ार स्पष्ट रूप से संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित है। संगठित श्रमिकों के छोटे से समूहों को कठोर कानूनों तथा नियमों का लाभ मिलता हैजिससे वह , असंगठित क्षेत्र का बड़े हिस्से के पास ,अपने अधिकारों को हासिल भी कर पाते है। किंतु न तो श्रमिक कानूनों का फायदा मिल पाता है न ही बराबर रोजगार एंव सामाजिक सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र में हर वर्ग के श्रमिकों के पास अपनी समस्याएं और चुनौतियां होती है फिर चाहे वो ग्रामीण होशहरी हो या श्रम के किसी भी क्षेत्र के हो। ,

श्रम के क्षेत्र में महिलाओं के श्रम की स्थिति और भी भयावह है। हालांकि महिलाओं के श्रम के क्षेत्र में संगठित संगठनों के संघर्ष से उनके श्रम और रोजगार के स्थितियों में कुछ सुधार ज़रूर देखने को मिलता है। बोरियाबिस्तर बांधकर परिवार के साथ अपनी - सड़क निर्माण ,पास निर्माण मज़दूरों-जड़ों से कटी हुई प्रवासी महिलाएं श्रमिक हमारे आप पास होती है। महिला -घरेलू कर्मियों की शक्ल में हर समय हमारे आस ,के कामगारों

श्रमिकों का तबका वह वर्ग है जिनके का को तवज्जों ही नहीं मिलती हैजबकि वो , अपना श्रम निरंतर व्यय कठिन से कठिन कार्यों में कर रही होती है।

प्रस्तुत अध्याय में निर्माण कार्य में मज़दूर से संबंधित कानून और महिला श्रमिकों के यथास्थिति को समझने की कोशिश है। इसके लिए दिल्ली में कांमनवेल्थ खेलों के दौरान विकसित निर्माण कार्य क्षेत्र और जेएनयू में चल रहे निर्माण कार्य क्षेत्र में कानूनी प्रावधान लागू होने के बाद अनिमतताएंप्रभाव और कानून में कमी के ,उसके कारण , मूल्यांकन करके यथास्थिति को समझने की कोशिश भी की है। कई अध्ययनों के मूल्यांकनों को खंगालने कि यह कोशिश भी इस अध्ययन में कि गई है कि क्यों सरकारी निर्माण कार्य क्षेत्रों में भी नियमों और कानूनी प्रावधानों का साफ तौर अनदेखी की जाती हैइस प्रक्रिया में यह समझना भी अधिक महत्वपूर्ण है कि निर्माण कार्य क्षेत्र ? ,में किन कारणों से कानूनों का निर्माण हुआ इन कानूनी प्रावधानों में क्या कमियां थी , ख़ासकर ,जिसके वजह से निर्माण कार्य क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याएं दुगुनी हो जाती है महिलाओं की।

2.1. **भवन निर्माण मज़दूर**

भारत में कृषि के बादअसंगठित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य में सबसे अधिक मज़दूर , कार्य करते है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार-

> भारत की जनसंख्या में श्रमिक शक्ति का योगदान कमोबेश"37 प्रतिशत हैइसमें , लगभग70% श्रमिक ग्रामीण इलाकों से आते है। निर्माण कार्य क्षेत्र में 31 लाख निर्माण मज़दूरों में से 50% श्रमिक महिला मज़दूर है।"[28]

[28] Government of india, Planing commission ,tenth five year plan construction chepter 7.7 (2002-2007),New delhi2002

उदारीकरण के दौर में भारत में निर्माण कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्यों में तेजी से बढ़ोतरी हुई जिसने गांवों से मौसमी और नियमित श्रमिकों को शहरों के तरह रोजगार के लिए रूख करने के लिए विवश किया।

ऐसे श्रमिक को अपनी जीविका चलाने के लिए आसपास के गांवों से शहरों के तरफ - रोजगार की तलाश में आते है। हालांकि हाल के दिनों में ऐसे मज़दूर भी देखने को मिलते है जोकटाई के बीच के समय -शहरों में ही बस गये है या फिर फसलों के बुआई , में शहर कमाने के लिए चले आते है। ये असंगठित क्षेत्र के वो श्रमिक है जिसके पास किसी प्रकार की ख़ास योग्यता नहीं होती है और न ही कार्य के संदर्भ में कहीं पंजीयन किया जाता है। चूंकि निर्माण क्षेत्र में कम दक्षता प्राप्त लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता हैइसलिए वो इसी कार्य में लग जाते है। ,

भवन और निर्माण कार्य के एक्ट The Building and other Construction workers regulation of employment and condition of Service Act 1996'[29] के तहत भवन और अन्य निर्माण कार्य में वह सभी कार्य आ जाते हैं जो चाहे भवन निर्माण से संबंधित होगली का निर्माण हो ,या भवन के देखभाल से संबंधित हो ,या मरम्मत से , या सरकारी भवन हो य ,चाहे सड़क का निर्माण हो निजी घरों का निर्माण में कार्यरत मज़दूरों को निर्माण मज़दूर माना जाता है। निर्माण मज़दूर में योग्य कार्य करने वाले , मशीन कार्य करने वाले सभी मज़दूर निर्माण मज़दूर की श्रेणी ,अयोग्य कार्य करने वाले में आते है।

---

[29] The Building and other Construction Worker's (regulation of employment and condition of service Act ,1996

भवन निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों में दैनिक मजदूरी भोगी श्रमिक और ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत अपना श्रम प्रदान करते है। भवन निर्माण का कार्य सरकारी और निजी दोनों ही श्रेणियों का होता हैके (हुण्डा)दोनों ही श्रेणियों में दैनिक मजदूरी और ठेकेदारी प्रथा , अंतर्गत श्रममूल्य मिलता है। भवन निर्माण कार्य मंे संलग्न श्रमिक की बहुल्य सख्यां राज्यशासन के नियमित जीविकोपार्जन श्रमिक है। ठेकेदारी और निजी भवन निर्माण कार्यों में श्रमिकों को मजदूरी की दर कम होने के साथ अन्य सुविधाएं संगठीत उधोगों के श्रमिकों के तरह नहीं मिल पाती है। प्रतिकुल परिस्थितियों में श्रमिक जीवन निर्वाह के लिए श्रमदान करते हैवस्तगत लाभ एंव ,जबकि संगठित श्रमिकों के तरह मौद्रिक लाभ , जो ,सामाजिक कल्याण विषयक सुविधाओं का लाभ पाने के अधिकारी वह भी है असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को नहीं मिलता है।

2.2. **भवन निर्माण कार्यक्षेत्र में महिला मज़दूरों की कार्यस्थिति**

शहरों में भवन निर्माण के क्षेत्र में श्रमिकों में से एक बड़ी संख्या महिलाओं की है। वे कौन महिलाएं है जो भवन निर्माण से जुड़ी हुई हैंग्रामीण इलाकों की या शहरों में ही ? /निर्माण क्षेत्र में वेतनरहित कामगार ,अपने पति या परिवार के साथ आई महिलाएं सहायिका के रूप में काम करती है। महिलाएं अधिकांश चौखटियोंएंव साइटों (मंडलियों) पर काम करती देखी जा सकती है।

> कुछ महिलाएं श्रमिक अपने गांव के कारीगरों एवं ठेकेदारों से सहयोग से काम करने " मगर इन ठे ,आती हैकेदारों एंव साथी कामगारों के सहयोग की भरपाई साथ होने वाले मानसिकशारीरिक यौन शोषण से चुकाती है। महिलाओं को मजदूरी का पूरा भुगतान भी , "नहीं मिलता है।[30]

[30] मन्जू राजपूत और जैनब अली, "नीव की ईंट" निर्माण कार्य में महिला श्रमिकों के स्थिति, आजीविका ब्यूरों, उदयपुर, मई 2009, पेज न०-11

निर्माण क्षेत्र में महिला श्रामिकों के हिस्से में आने वाले कार्यों में अधिकांश कार्य अकुशल श्रेणी के है। जिस कार्य में महिलाओं को परंपरागत रूप से कम शारीरिक श्रम करने वाले कामों के लिए उपयुक्त माना जाता रहा है। यही मनोवृत्ति श्रमिक बाजार में महिला श्रमिकों के साथ भी देखने को मिलती है। मगर यह देखने में आया है कि जो कार्य बहुत मेहनत एंव शारीरिक श्रम होता है वह महिला ही करती है। यह उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है लेकिन उन्हें निर्माण कार्य में पत्थर डालनेतगारी ,मसाला तैयार करना , उठाना आदि कार्य जो कि हेल्पर के रूप में महिला श्रमिक को करने होते है। कई ज़गहों पर निर्माण कार्य के कार्य स्थल पर किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति और मजदूरी दर में भी महिला व पुरुष श्रमिकों में अन्तर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है।

उदाहरण के लिए निर्माण कार्य में पुरुषों की अपेक्षा महिला मज़दूरों को मजदूरी कम दी जाती है। सुजाता माधोक निर्माण कार्य क्षेत्र का सांख्यिकीय आधार पर विश्लेषण करते हुए बताती है कि सरकारी व निजी निर्माण कार्य क्षेत्र में महिला मज़दूर की स्थिति लगभग एक जैसी होती है।

निजी और सार्वजनिक निर्माण कार्य क्षेत्र में महिला रोजगार(हजारों में)[31]

Year	1981	1991	2000
Public sector	49.8	55.3	63.2
Privet sector	9.5	6.0	4.0

[31] sujata madhok,Natioanl commision for women,Rep[ort on the status of women workers in construction Industry,New delhii,p.7

सुजाता माधोक ने महिला मज़दूर से संबंधित कुछ सत्य को उजागर करते हुए लिखती है कि-

> निर्माण क्षेत्र में महिला मज़दूर मेहनत के सारा काम करती है", इसके बाद भी महिलाओं को साधारण रूप में शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है। इस भेदभाव के पीछे सामान्य धारणा यह है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है।"[32]

स्पष्ट है कि असंगठित क्षेत्र में निर्माण कार्य में महिलाएं अनिश्चिताओं के भंवर में स्वयं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए या परिवार चलाने में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए अपनी महत्ती भूमिका अदा कर रही है।

1972 में ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड संस्था **सेवा)**SEWA**(** ने 2000 में गुजरात में निर्माण क्षेत्र में अनियमित वेतन के आधार पर काम कर रही महिलाओं का सर्वे के आधार पर अध्ययन किया। केवल गुजरात में 50 हजार महिलाएं निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रही थी। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्तर को जाननानिर्माण कार्य क्षेत्र में शामिल महिलाएं अपनी न्यूनतम आय का प्रबंध किस , तरीके से करती हैं तथा कार्यस्थल पर किन समस्याओं का सामना करती हैं।

सेवा)SEWA**(**[33] ने इस सर्वे में 125 पुरुष और 125 महिलाओं का अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण मज़दूरों का इंटरव्यू लिया। महिला मज़दूरों की स्थिति के बारे में यह सत्य उभर कर आया कि -

> निर्माण कार्य क्षेत्र में"70% कार्य करने वाली महिला मज़दूर की उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच की होती है। 81.6% निर्माण कार्य क्षेत्र में शादीशुदा पाई जाती हैं जबकि

---

[32] वही से।

[33] self employed women workers

> 70% ही पुरुष इस कार्यक्षेत्र में शादीशुदा होते हैं तथा 14.4% विधवा महिलाएं इस कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं। 68.8% महिलाएं निर्माण कार्य क्षेत्र में केवल मजदूरी या बेलदारी का ही काम करती हैं जिन्हें कार्यस्थल पर केवल भार उठाने का ही कार्य मिलता है। 36% निर्माण कार्य क्षेत्र में 6 वर्षों से शामिल थी तथा 18% महिलाएं 20 वर्ष से इस कार्यक्षेत्र में शामिल थी। जबकि अन्य महिला मज़दूर विस्थापन के कारण 3-5 वर्षों से इस कार्यक्षेत्र में शामिल हुई थी। 65% निर्माण महिला मज़दूरों का परिवार इस कार्य क्षेत्र में कार्यरत था जबकि 35% महिलाएं किसी अन्य कार्य के विकल्प ना होने के कारण इस क्षेत्र में शामिल हुई थी।"[34]

इस सर्वे के आधार पर निष्कर्ष इस तर्क तक पहुंचा कि निर्माण मज़दूरों के हित के लिए केवल नीति का निर्माण करना है, काफी नहीं है सरकार को कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। कल्याणकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक सुरक्षा के साथसाथ का भी प्रबंध करती हो-।

कृष्णा कक्कड़ "Discrimination in the construction Industry the Case of Two City in India" लेख में अहमदाबाद व त्रिवेंद्रम इन 2 जगहों पर फील्ड सर्वे किया। इस फील्ड सर्वे के आधार पर बताती है कि महिला मज़दूर को निर्माण कार्य क्षेत्र में असमानता का सामना करना पड़ता है।

> महिला व पुरुष के बीच जेंडर आधारित अंतर शिक्षा", योग्यता विकास वेतन हर क्षेत्र में देखा जाता है, इसी तरह का अंतर निर्माण कार्य क्षेत्र में भी पाया जाता है, इस कार्यक्षेत्र में कोई भी ऐसा कानून या नीति नहीं है जो निर्माण मज़दूर के अधिकारों की सुरक्षा कर सके।"[35]

---

[34]Labouring brick by brick :Study of construction workers,sewa,Ahmedabad,june2000

[35] krishana kakad,Gender discrimination in the construction industry :The case of two cities in india,gender technology and development6(3)p 2000,355-372

1992 में निर्माण कार्य क्षेत्र में Building and other Construction Workers Act नाम से कानून पास हुआ। निर्माण कार्य क्षेत्र में यही एक ऐसा कानून है जो इस कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली है। निर्माण कार्य क्षेत्र में सबसे पहले समस्या इस कार्य क्षेत्र की संरचना से संबंधित है। इस कार्य क्षेत्र में बड़ी तेजी से अन्य कार्य क्षेत्रों की तरह मशीनीकरण हो रहा है। अन्य कार्य क्षेत्र में महिलाओं को भी मशीन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। परंतु , निर्माण कार्य क्षेत्र की महिला मज़दूर के पास यह प्रशिक्षण नहीं होता। निर्माण कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई औपचारिक प्रशिक्षण मज़दूरों को नहीं दिया जाता।

यदि निर्माण मज़दूरों को कोई प्रशिक्षण दिया भी जाए तो मज़दूर के पास ही विकल्प नहीं होता कि वह 1 दिन काम पर ना जाकर का निर्माण कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चला जाए क्योंकि निर्माण मज़दूरों की आए प्रतिदिन के वेतन पर निर्भर होती है।

दूसरी समस्या सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था इस तरीके की है कि इसमें महिला श्रम को मूल्यवान नहीं माना जाता। सामाजिक व्यवस्था में आम बोलचाल की भाषा को देखे तो इसमें कई ऐसे शब्द होते हैं जो महिला योग्यता को नकारते हैं। कृष्णा कक्कड़ तमिल भाषा के चिथलस व परियल इन दो शब्दों का उदाहरण देते है। चिथलस का अर्थ तमिल भाषा में निचले स्तर के इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग मुख्य रुप से निर्माण महिला मज़दूर के लिए किया जाता है जो उसके कार्य को और भी कम महत्वपूर्ण बनाता है।

भाषा के अलावा सामाजिक व्यवस्था में शुद्धता और अशुद्धता के सिद्धांत भी महिला मज़दूर की स्थिति को कमजोर बनाते हैं। कृष्णा कक्कड़ के अनुसार इन दकियानूसी

विचारों का ही महिला स्थिति को बिगाड़ने के पीछे हाथ है। परंपरागत समय में कई जगह यह मान्यता है कि -

> महिलाएं शुद्ध नहीं होती इसलिए निर्माण कार्य क्षेत्र के मुख्य काम महिलाओं को " नहीं करने दिए जाते हैं और कई बार महिला मज़दूरों को मिस्त्री के औजार भी छूने की मनाही होती थी। आधुनिक समय में यह परंपरागत व्यवस्था बदल गई है। फिर भी आज के समय में महिला आयोग्य समझे जाने वाले कार्य करती है। जिस कार्य पर पुरुषों का अधिकार होता है महिलाएं उस कार्य से बाहर होती हैं।"[36]

1990 के दौरान यह महसूस किया गया कि महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना चाहिए और उन्हें भी योग्य बनाने का अवसर देना चाहिए क्योंकि महिलाएं अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा घर की जरूरतों पर खर्च कर देती है। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को भी अच्छा वेतन प्राप्त हो और उनकी आय को बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार ने सामाजिक नीति का निर्माण किया। यह नीतियां केवल उन्हीं कार्यक्षेत्र में शामिल होती थी जिन कार्यों को श्रम की श्रेणी में शामिल किया जाता था। इस नीति में से निर्माण मज़दूर महिलाओं को अलग रखा गया उनके श्रम को श्रम नहीं माना गया।[37]

निर्माण कार्य क्षेत्र में महिला मज़दूर को केवल एक जरूरत के विकल्प के रूप में कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है ना कि उसे एक श्रमिक के रूप में माना जाता है। महिला यदि प्रशिक्षण प्राप्त कर भी लेती है तो भी उसके पास कार्य नहीं होता। निर्माण कार्य क्षेत्र में महिलाओं के पास राजमिस्त्री का प्रशिक्षण होने के बाद भी ठेकेदार उन्हें राजमिस्त्री का काम देने के लिए सहमत नहीं होता। निर्माण कार्य क्षेत्र से संबंधित योग्यता महिला

---

[36] Krishna kakad,Gender discrimination in the construction industry :The case of two cities in india ,Gender technology and development 6(3) 2002

[37] वही से।

व पुरुष दोनों के पास होती है तो अन्य कार्यों की तरह इस कार्यक्षेत्र में भी कार्य पुरुष को ही दिया जाता है।

हाल के दिनों में देश के कई राज्यों से महिला राजमिस्त्री की ख़बरे अख़बारोंमीडिया , सुनने को मिल रही है।-और सोसल मीडिया में पढ़ने किरन ध्रुव जोआठवीं तक पढ़ी है , बल्ली -बास ,रेत ढ़ोना ,पति से अलग होने के बाद जीवन यापन के लिए ईट ढ़ोना साथ ही साथ राजमिस्त्रियों को काम ,लगाकर चैली बनाने में सहयोग से काम शुरू किया ,वाटर लेबल बनाना ,आज किरण ध्रुव ख़ुद ईट की जोड़ाई ,करते देखतीं और सीखती रही चैलीी बनानाकिरण ,ढलाई करना जैसे काम करती है ,सेंटिग बांधना ,पलास्टर करना , ,रूम-शो ,आंगनबाड़ी भवन ,दुकान ,जिसमें मकान ,ने सौ से अधिक घर बांधे है - बहुमंजिला भवन शामिल है। किरण ध्रुव बताती है कि

> भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीयन नहीं होने के कारण"उनकों शासन की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। काम के ज़गह पर छोटी- और भी कई ,मोटी दुर्घटना होने पर पंजीयन के अभाव में मदद नहीं मिल पाता है क्योंकि काम के हर ,पर उनपर ध्यान देगे तो काम भी नहीं मिलेगा ,समस्या है "साइट पर यहीं स्थिति है।[38]

कार्यस्थल पर पानी शौचालय जैसी मूलभूत व्यवस्था भी नहीं होती। निर्माण कार्य क्षेत्र में किसी तरीके का कोई अवकाश नहीं दिया जाता महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता। कृष्णा कक्कड़ के अनुसार -

> विधवा महिला एकल महिला निर्माण कार्य क्षेत्र में अधिक पाई जाती है क्योंकि " अन्य कारय क्षेत्र की तुलना में इस कार्यक्षेत्र में बिना किसी योग्यता के कार्य मिल जाता है तथा अन्य कार्य क्षेत्रों की तुलना में यहां वेतन अधिक होता है।"[39]

---

[38] "सौ मकान से ज्यादा मकान बना चुकी हैं महिला राजमिस्त्री किरण" नई दुनिया, 25 मार्च 2017

[39] Krishna kakad,Gender discrimination in the construction industry :The case of two cities in india ,Gender technology and development 6(3) 2002

1996 में निर्माण मज़दूरों के लिए बनाए गए कानून को भारतीय सरकार के द्वारा लागू तो कर दिया गया जिसमें सामाजिक सुरक्षा व मज़दूर कल्याण की बात की गई थी। परंतु, इस कानून में निर्माण मज़दूरों के लिए नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रही और महिला विशेष जरूरतों पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

“Globalisation and economics reforms as seen from the ground Seva experience in India" लेख में रवि और झाबवाला वैश्वीकरण के कारण भारतीय संदर्भ में निचले तबके के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताते है कि-

> वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक शक्ति किसी एक समुदाय के पास ना होकर हमेशा ” गतिशील रहती है।90 के बाद के दशकों में निर्माण क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के जगह निजी कंपनियों ने अपनी जगह मजबूत कर ली। इन बदलावों के बाद निर्माण कार्य क्षेत्र में उन्हीं लोगों को काम मिल सका, जिनसे श्रम से मुनाफे में बढ़ोतरी हो सके। इसके कारण हर साल महिला श्रमिकों की संख्या निर्माण कार्य क्षेत्रों से कम होती जा रही है।”[40]

हर साल निर्माण कार्य क्षेत्र में से 1.5 मिलियन महिलाओं को इस स्थान से हटाया जा रहा है। निर्माण कार्य क्षेत्र में बहुत ही कम संख्या में महिला मज़दूर कारपेंटर मिस्त्री या ठेकेदार के रूप में कार्य करती है।

सेवा)SEWA**(** ने निर्माण महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कार्य किए है - इन प्रशिक्षण से ,जैसे कि महिलाओं को राजमिस्त्री के रूप में प्रशिक्षण दिया गया महिलाओं की स्थिति में सुधार भी हुआ। केवल महिलाओं को प्रशिक्षण देना ही काफी नहीं

---

[40] renana jhabvala and ravi kanbvbur,Paper presented to the indian economy conference,cornell university ,19-20 april 2002

है बल्कि एक ऐसी सामाजिक नीति को लागू करने की आवश्यकता है जिससे निर्माण महिला मज़दूरों की स्थिति में सुधार किया जा सके।

इसके लिए **सेवा**)SEWA(जैसी संस्था ने मज़दूरों को इकट्ठा करना आरंभ किया किया, उनकी मांगों को उठाया उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पहचान पत्र बनवाये। ताकि इन मज़दूरों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके तथा न्यूनतम वेतन मिल सके।

"A Study on the Empowerment of Women Construction Workers in Tamil Nadu" लेख में डॉ अन्नेत्ते बर्नाबस व डॉ जोशेफ अन्बरासु पॉल सक्लिफ्फोर्ड ने . तमिलनाडु में440 महिला व पुरुष और 51 बिल्डिंग ठेकेदारों का इंटरव्यू लिया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि महिला मज़दूर किस वजह से राजमिस्त्री का कार्य नहीं सीख सकती तथा उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए।

निर्माण कार्य क्षेत्र में यह कहा जाता है कि महिला मज़दूरों को पुरुष मज़दूर की तरह प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि महिलाओं के पास राजमिस्त्री बनने की योग्यता नहीं होती क्षमता नहीं होती। कई बार महिला मज़दूर की खुद की इच्छा भी नहीं होती। यदि महिला मज़दूर को राजमिस्त्री के रूप में ठेकेदार स्वीकार भी कर लेता है और प्रशिक्षण का अवसर भी दिया जाता है तो सामाजिक वातावरण इस तरीके का है कि इसमें महिला मज़दूर को राजमिस्त्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाताउसे एक छोटे , कामगार के रूप में देखा जाता है।

नेशनल कमीशन रिपोर्ट में निर्माण कार्य क्षेत्र की कार्य स्थिति व महिला मज़दूर स्थिति के बारे में बताती है कि निर्माण कार्य क्षेत्र में भी अन्य श्रम की तरह यह कार्य भी एक

पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के वंश से के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए इस कार्यक्षेत्र में मज़दूर अपने बच्चे साथ में ले जाते हैं जहां उनके बच्चे कार्यस्थल पर खेलते रहते हैं तथा जो बच्चा युवा होता है वह अपने माता पिता के साथ काम करते है इस तरह बाल श्रम के रूप में यह कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है। लड़के अपने मातापिता के साथ निर्माण कार्य- में पिता के साथ धीरेधीरे बेलदारी मिस्त्री राजमिस्त्री - सफाई -का काम सीख जाता है वही महिला के रूप में लड़की कार्यस्थल पर केवल साफ क्या काम करती हैं। निर्माण मज़दूर के बच्चे सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों का लाभ भी नहीं ले पाते क्योंकि यह लोग एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते रहते हैं।

एक जगह पर स्थाई होकर नहीं रह पाते। यदि कोई बच्चा कोई मज़दूर किसी जगह पर स्थाई रूप से रहता भी है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी क्योंकि मज़दूर अपने बच्चे की शिक्षा या खाना दोनों में से किसी एक का बोझ उठा सकता है। इस तरह निर्माण मज़दूर के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं तथा निर्माण कार्य को ही मातापिता के बाद अपना लेते हैं-। सुजाता माधोक बताती है कि -

> प्रवासी व गरीबी का जाल महिला मज़दूर को इस तरह फंसा लेता है कि वह कम " वेतनपर भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है।"[41]

[41] Sujata Madhok,Report on the status of women workers in the Construction Industry,national commission for women ,New delhi 2005

निर्माण कार्य क्षेत्र में महिला मज़दूर की छवि उनके सामाजिक संदर्भ को भी दर्शाती है इस कार्यक्षेत्र में दलित व आदिवासी महिलाएं बड़ी मात्रा में शामिल है अन्य 15% ही महिलाएं शामिल है। निर्माण कार्य में युवा महिलाएं अधिक पाई जाती हैं और इन महिलाओं की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच होती हैं। निर्माण कार्य क्षेत्र की महिला मज़दूर अधिकतर अशिक्षित होती हैं। समय के साथसाथ नेम मज़दूरों की भौगोलिक स्थिति - बदलती रहती है कभी निर्माण कार्य क्षेत्र मेंबिहार के प्रवासी मज़दूर अधिक पाए जाते हैं तो कभी राजस्थान के।

औसतन महिला मज़दूर के द्वारा 15 मिनट में 55 बंडल, जिसका वजन 7-8 किलो होता है जिन्हें महिला मज़दूर अपने हाथों से मिस्त्री को देती है। इस तरह 8 घंटे कि समय काल में 32,000 किलो वजन उठाती है जिसको महिला मज़दूर पूरे दिन मे अपने हाथ से उठाती है। मिस्त्री की मदद के लिए महिला मज़दूर 9- 12 ईट उठाती है जिसमें) हर ईंट का वजन लगभग2.5 किलो होता है। जिसको हाथ से या सर पर रख कर (मिस्त्री को देती है। यदि महिला जमीन पर काम करती है तो वह अपने सर पर15 किलो का बोझा सर पर रख कर 30 फीट तक जाती है और वापस आती है। इस तरह एक घंटे में इस प्रक्रिया को 180 बार दोहराती है। इस तरह 8 घंटे की शिफ्ट में महिला 13 किलोमीटर 21000 किलो का वजन उठाती है। निर्माण महिला मज़दूर लोहे के हथौड़े का इस्तेमाल दीवार गिराने के लिए 1 मिनट में 52 बार हथोडा दीवार पर मारती है यह कार्य को पूरे 9 घंटे कि शिफ्ट में करती है जिसमें उसको केवल 1 घंटे का ब्रेक मिलता है कार्यस्थल पर महिला पानी उठाने का कार्य भी करती है जिसका वजन 8 किलो के आसपास होता है और यह कार्य महिला 1 घंटे में 15 बार करती है। इस तरह कमज़ोर

महिला ही निर्माण स्थल पर कठोर परिश्रम करती हैं व उसके श्रम को श्रम तक नहीं मना जाता हैं व यह कह जाता हैं ये कार्य तो अकुशल कार्य हैं।

बिपाशा बरू "Women and globalisation:Challenges and opportunities facing construction worker in contemporary India" लेख में 1998, 2003, तथा 2007 में किए गए सर्वे के आधार पर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में निर्माण मज़दूर की प्राथमिकताओं का विश्लेषण करती है और देखने का प्रयास करती है कि

> क्या प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट महिलाओं को सामान रोजगार का अवसर प्रदान करती " हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है?"[42]

सेवा)SEWA (ने निर्माण महिला मज़दूरों को प्रशिक्षण देने के लिए 1994 में महिला हाउसिंग ट्रस्ट को स्थापित किया। 1994 के दौरान स्थापित इस ट्रस्ट में गरीब महिलाएं शामिल थी जो अनौपचारिक कार्य क्षेत्र में कार्यरत थी। 2003 में सेवा की संस्था महिला हाउसिंग ट्रस्ट के द्वारा निर्माण मज़दूरों के प्रशिक्षण के लिए अहमदाबाद में क्रमिक स्कूल स्थापित किया गया। इसमें महिलाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें राजमिस्त्री पेंटर बिजली का कार्य प्लंबर कारपेंटर का काम आदि सिखाया जाता था। इस स्कूल में निर्माण महिला मज़दूरों को इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाता था कि ठेकेदार व अन्य साथी मज़दूरों से किस तरह बात करनी है किस तरह अपने वेतन के लिए महिलाएं खुद बात करती हैं। महिला हाउसिंग ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट

---

[42] Bipasha baruah ,women and globalisation :challenges and opportunities facing construction worker in contemporary india,development in practice ,vol.20(1)feb2010

काउंसिल का पार्टनर था। इसकी वजह से स्कूल की प्रशिक्षित निर्माण मज़दूरों महिलाओं को रोजगार का अवसर भी आसानी से मिल गया।

1998, 2003, तथा 2007 के **सेवा)**SEWA**(** के द्वारा किए गए सर्वे का बिपाशा ने तुलनात्मक अध्ययन पर निम्नलिखित तथ्य पाए गए। का निर्माण मज़दूर 1998का सर्वे अहमदाबाद में बहुत ही बड़ी संख्या में महिला व पुरुष दोनों ही मज़दूर मौजूद थे। सर्वे के दौरान 92% महिला मज़दूर ने अपने आप को अयोग्य श्रमिक के रूप में देखा तथा 60 37 महिलाएं मैनुअल कार्य करती थी जबकि% ही पुरुष इस कार्य में शामिल थे। ज्यादातर पुरुष योग्य समझे वाले कार्य में शामिल थे जैसे कि राजमिस्त्री। केवल 10 परसेंट ही महिलाएं ऐसी थी जो राजमिस्त्री की मदद के रूप में कुछsemi skilled कार्य करती थी जैसे कि प्लास्टर करना और कंक्रीट सीमेंट तैयार करना। परंतुमहिलाओं को , इस कार्य के लिए अलग से कोई वेतन नहीं मिलता था।

उन्हें वेतन केवल अयोग्य कार्य के लिए ही मिलता था महिलाएं निर्माण कार्य क्षेत्र में केवल दो प्रकार के कार्य करती हैं जबकि पुरुष के पास प्रकार की अलग गतिविधियां 21 मैनुअल श्रम के -होती है करने को। कम वेतन व कार्य सुरक्षा की कमीलिए पुरुष को महिला की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। ज्यादातर मज़दूर ने माना कि उन्हें ठेकेदार के द्वारा कार्य पर अनौपचारिक समय के लिये कार्य पर रखा जाता था। बहुत ही कम मज़दूर ने यह माना कि बहुत ही कम अवसर होते हैं जब उन्हें कार्य सुरक्षा लंबे समय अवधि तक मिले हो। महिलाओं को लंबे समय तक ठेकेदार कार्य में इसलिए रखता है क्योंकि महिलाएं लंबे समय तक कम वेतन पर भी काम करती हैं।

महिलाओं)5113 की तुलना में पुरुष (%% ही शारीरिक रूप से दुर्घटना का शिकार होते हैं। ज्यादातर महिलाओं ने बताया कि इस कार्य कार्य से जुड़ने के बाद सदैव पीठ में दर्द बना रहता है। मज़दूर ने सर्वे में यह भी बताया कि कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधा टॉयलेट पानी की सुविधा इत्यादि की भी कमी रहती है यहां तक कि कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की सुविधा भी नहीं रहती। महिला व 125 इस सर्वे में -के सर्वे 2003 125मज़दूर में कार्यरत थे। (अहमदाबाद) कदियानाकास 50

अहमदाबाद में निर्माण मज़दूरों के लिए पहली बार अन्नपूर्णा योजना के तहत इनके लिए लंच की सुविधा की जाती थी। निर्माण कार्य क्षेत्र में के सर्वे के दौरान जहां यह 1998 निष्कर्ष था कि निर्माण कार्य क्षेत्र में सभीमज़दूर SC, ST समुदाय से आते थे वही 85 के सर्वे में यह पाया गया कि जहां 2003% मज़दूर दलित व आदिवासी समुदाय के थे वहीं 15% अन्य मज़दूर उच्च जाति कहलाने वाले समुदाय से आए थे।

इन उपजाति मज़दूर ने कारण बताया कि क्यों लोग इस कार्य की तरफ आए हैं क्योंकि अन्य कार्य क्षेत्र में कई लोगों ने अपना कार्य गवा दिया था। उच्च जातिय महिलाओं ने बताया कि वह पहली बार वेतनीय श्रम कर रही हैं क्योंकि उनके पुरुष अपने रोजगार से निकाल दिए गए हैं। जहां 24 में 1998% थी वही 39 में यह मांग बढ़कर 2003% हो गई है। योग्य श्रम की मांग हो जाने के कारण योग्य श्रम के मज़दूरों के वेतन में भी वृद्धि हुई। के सर्वे के दौरान जहां निर्माण मज़दूरों को कार्य गर्मी की तुलना में सर्दी 1998 के सर्वे में यह पाया गया कि गर्मी व सर्दी दोनों ही 2003 में अधिक मिलता था वहीं सीजन में कार्य मिलता है। महिला मज़दूर श्रम अवधि को देखें तो में जहां 1998 के दौरान यह श्रम 2003 दिन का श्रम हर महीने प्राप्त होता था वही 16 महिलाओं को दिन की रह गई। 11अवधि घटकर

ज्यादातर मज़दूरों ने यह शिकायत की कि रोजगार के अवसर में कमी आ गई है क्योंकि ठेकेदार विस्थापित मज़दूरों को ही प्राथमिकता देते हुए कार्य पर रखता है क्योंकि विस्थापित मज़दूर कम वेतन पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। अन्य मज़दूरों ने यह शिकायत भी की कि मशीनीकरण हो जाने के कारण मैनुअल कार्य में कमी आ गई है जिसकी वजह से उन्हें काम से हटाया जा रहा है।का सर्वे कर्मिक 2007 संस्था के द्वारा प्रशिक्षित महिला निर्माण मज़दूरों का यह सर्वे महिलाओं के इंटरव्यू पर 193 आधारित है जिन्होंने क्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रशिक्षित महिला मज़दूरों ने बताया कि उन्हें महीने में दिन का श्रम प्राप्त हो ज 30 से 21ाता है। आय में वृद्धि-80इन महिलाओं ने बताया कि उनके आय में वृद्धि हुई है इस % प्रशिक्षण के बाद।

महिलाओं को राजमिस्त्री का कार्य मिलने लगा ज्यादातर यह महिलाएं राजमिस्त्री के कार्य को प्राप्त करने लगी। प्रशिक्षित महिलाओं ने बताया कि निर्माण श्रम से संबंधित किसी भी कार्य को करने की क्षमता आ गई। प्रशिक्षण के पहले जहां यह महिला मज़दूर सेक्सुअल शोषण का शिकार थी वह ठेकेदार के कठोर व्यवहार से परेशान थे जिस कारण श्रम के लिए महिलाएं ग्रुप में अधिक जाती थी। वही प्रशिक्षण के बाद महिलाएं श्रम के लिए ठेकेदार के पास अकेले अपने श्रम व वेतन की बात करने जाने लगे तथा ठेकेदार भी उन महिलाओं का आदर करने लगा।

कार्य स्थल की संस्कृति व वातावरण के बारे में अनु राय एंव प्रोआशीष सरकार अपने . ” लेखworkplace culture & status of women construction labourer’s: A case study in Kolkata, west Bengal” में पश्चिम बंगाल के महिला निर्माण मज़दूर के

कार्य स्थल में किस प्रकार की कार्य संस्कृति है उसका जायजा लेने की कोशिश करते है और बताते है कि

> निर्माण कार्य क्षेत्र में मज़दूर दो" तरीके के होते हैं जिनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं प्रथम casual labour दूसरा extre casual labour | कैजुअल श्रमिक वह मज़दूर वर्ग जिनकी आय का स्रोत केवल निर्माण कार्य ही होता है जबकि एक्स्ट्रा कैजुअल श्रमिक वह होते हैं जो निर्माण कार्य क्षेत्र में एक विकल्प के रूप में कार्य करते हैं।"[43]

कहने का अर्थ है कि निर्माण कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य के अलावा वह अन्य कार्य भी करते हैं। महिलाओं ने माना कि यहां कार्यस्थल पर महिला संबंधित मूलभूत सुविधा भी नहीं होती जैसे कि सेनेटरी का अभाव होता है। ज्यादातर मज़दूरों पुरुष और स्त्री दोनों ने यह माना कि ठेकेदार कई बार वेतन के समय बेईमानी करता है वह कई बार महिला की मजदूरी में भी।| जब महिलाओं से यह पूछा गया कि महिलाएं सरकार से क्या चाहती हैं तो उनका कहना था कि उन्हें सरकार व समाज से केवल नियमित कार्य की सुविधा प्रदान की जाए। सरकार की कई नीतियों का फायदा उठाने के लिए मज़दूर के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसकी महिला मज़दूर को जानकारी भी नहीं होती और ना ही उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र होता है।

काम्नवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए कई तरह के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। आराधना डालमिया "Strong Women, Weak Bodies, Muted Voices Women Construction Workers in Delhi" लेख में उन मज़दूरों की कहानी के जरिए तथ्य तलाशने की कोशिश करती है जो मज़दूर इस ग्लोबल सिटी की

[43] वही से।

संरचना निर्मित कर रहे थे ,उनके क्या अनुभव रहे। महिला मज़दूर जो केवल एक श्रमिक ही नहीं बल्कि एक मां एक पत्नी भी है किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी? किस तरह उनका शहर का अनुभव, उनके द्वारा सोची गई शहर की छवि से अलग थी ? क्या वो शहर व 10 जहाँ कार्य करते हुए कई मज़दूरों को)र्षों से भी अधिक हो गया हैं इन विस्थापित मज़दूरों को अपने नागरिक के रूप में मान्यता है दे सका। (

आराधना डालमिया विस्थापित महिला मज़दूर के माध्यम से बदलते हुए शहर की छवि में उनकी महिला मज़दूरों की आवाज तलाशने की कोशिश करती है जिसके लिए गुंडगांव और द्वारिका के निर्माण कार्यस्थलों को देखा। इस कार्य स्थल पर ज्यादा विस्थापित मज़दूर कार्य करते थे और यही पर रहते भी थे। महिलाएं शहर व गांव दोनों जगह आती जाती रहती थी तथा इनका एक स्थाई पता नहीं रहता था। यदि शहर में निर्माण मज़दूर रह भी रहा है तो यह लोग श्रम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आतेजाते रहते। - ज्यादातर निर्माण महिला मज़दूर को अपने कानूनी अधिकार नहीं मालूम थे। उनका विश्वास था कि इस बारे में उनके पति व ठेकेदार को अवश्य मालूम होगा।

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आज़ादी के बाद से भारतीय श्रमिक बाजार अनुपालन आधारित मानसिकता के साथ काम कर रहा है-भारत सरकार के साथ , साथ बदलाव -साथ राज्य सरकारें भी देश में श्रम सुधारों की उभरती जरूरत के साथ वस्तु बाजार और श्रमिक बाजार के ,पूंजी बाजार ,ताकि वैश्वीकरण ,करती दिखती हैं यह भी सत्य ,एकीकरण के साथ चला जा सके। परंतुहै कि कानून तभी प्रभावी दिखते है जब वह सार्वभौमिक रूप से लागू होंजिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक - शामिल हों। श्रम बाजार में व्यापक समग्र राष्ट्रीय श्रम नीति विकसित के आभाव में विधायी हस्तक्षेप असंभव है। जरूरत इस बात की अधिक है कि श्रमिक मुद्दोंं पर राष्ट्रीय

नीति की रूपरेखा पर आम सहमति बनेबजाय कि श्रमिकों के हितों के विरोध में , प्रावधान लागू हो।

श्रम बाजार में महिलाओं के रोजगार को प्रमोट करने के लिए उनके लिए कार्यस्थितियों को बेहतर बनाने के उपाय एंव नीतियो का लंबा इतिहास रहा है जिसके मद्देनजर कई सरकारों द्वारा रोजगार सृजन योजनाओं की शुरूआत की गई। परंतुइन योजनाओं ने , सीमित रूप में ही महिलाओं को राहत देने का काम किया हैहाल में ही मातृत्व ,मसलन , अवकाश की सीमा12 से 26 सप्ताह वेतन सहित मातृत्व अवकाश किया गया। परंतु , भवन ,असंगठित रोजगार में सभी महिलाओं को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है निर्माण जैसे कार्यों में इन तरह के प्रावधानों की स्थिति तो और भी अधिक बुरी है।

निर्माण महिला मज़दूर की समस्या भी कम नहीं हैराष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार | समय पर कार्यस्थल -निर्माण कार्य में महिलाओं का सबसे अधिक शोषण होता है समय बदलने से आई अस्थिरता के कारण यह मज़दूर आर्थिक सामाजिक सुविधाओं से लंबे समय तक वंचित रहते हैं।

मुंबई में महिला निर्माण मज़दूर पर किए गए अध्ययन के अनुसार मजदूरी के रजिस्टर पर महिला मज़दूरों का नाम भी नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि महिला मजदूरी को उनके साथ के पुरुष से जुड़ कर दी जाती है। निर्माण कार्य का महिलाओं पर बहुत अधिक बोझ है व कार्य सुविधाएं बहुत कम है।

सभी निर्माण कामगार श्रम क्षेत्र में महिलाओं मज़दूरों का सन्निमार्णकर्मगार कल्याण , कार्यस्थल पर यौन ,आवास ,स्वास्थ्य सेवा ,दुर्घटना बीमा ,निधी के साथ पंजीयन न्यूनतम मजदूरी काफी हद ,राष्ट्रीय बीमा योजना का लाभ ,उत्पीड़न से सुरक्षा से उपाए

तक सामाजिक न्याय के संवर्धन और कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते है। निर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों के हितों के लिए कर्मकार प्रतिकार अधिनियन के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रावधान लागू है जिसका फायदा कई कारणों से बहुत से श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। मसलन ,

कर्मचारी भविष्य निधि एंव प्रकीर्ण उपबंध अधिनियमइसके अंतर्गत अनिवार्य भविष्य - पारिवारीक पेन्शन तथा जमा से सम्बद्ध बीमा का प्रावधान है। ,निधि

प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम शिशु के जन्म के पूर्व तथा पश्चात -12 से 26 सप्ताह तक अनुपस्थिति की स्थिति में मजदूरी का भुगतानयह उन पर लागू नहीं होता है जो राज्य , बीमा में आते है।

उपदान अधिनियम- सेवा निवृत्त पर अनुग्रह राशि का भुगतान।

कर्मकार प्रतिकार अधिनियम- इस एक्ट के अधीन श्रमिक हरजाने की व्यव्यस्था किसी रोजगार के चोट या व्यवसायिक रोग के कारण श्रमिक की मृत्यु या असमर्थता की मुसीबत को दूर करने के लिए की गई। इसका खर्चा सिर्फ सेवायोजक को उठाना पड़ता है।

इसके अलावा हाल के दिनों में मनरेगाप्रधानमंत्री कौशल विकास ,अटल पेंशन योजना , प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनाएं भी श्रम सुधारों में आर्थिक वृद्दि के ,योजना मुद्रा अनुरूप बनाने एंव श्रमिकों के वास्तविक कल्याण सुनिश्चित करने की इच्छा से शुरू किए गये है।

इस तरह के बहुत सारे श्रम अधिनियम और श्रम कानून मौजूद हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं उनका लाभ ही नहीं ले पाती हैं। कई कानून ऐसे हैं जिनकी समुचित व्याख्या और कार्यान्वयन से महिला कामगारों के लिए लाभकारी हो सकते है। परंतुदेश भर में सन्निमार्ण कामगार अधिनियम का कार्यान्व्यन नहीं किए जाने का , मामला अधिक विस्मयकारी है। इस अधिनियम के तहत सभी भवन निर्माण गतिविधियों पर एक उपकर लगाया गया है जिससे एक निधी का निर्माण किया जाताहै और इसका उपयोग उस राज्य के केवल कामगारों के लिए किया जाना होता है। मजेदार बात यह है कि हर राज्य में इस मद में करोड़ों रुपया एकत्र किये गए है जो सरकारों के पास पड़े है लेकिन उनका उपयोग निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है। सिर्फ बिहार राज्य में यह जमा निधी 144 करोड़ की है जिसमें से 5 प्रतिशत ही खर्च हुआ है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सामाजिक सुरक्षा के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि मज़दूरों की आमदनी उनकी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन व्यवहार में अदा की गई वास्तविक मजदूरी न्यूनतक मजदूरी से भी कम है।

कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम (निषेध और निराकरण ,निवारण)2013 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की मदद करना था जिन्हें कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। निर्माण कामगार में भी कार्यस्थलों पर महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हो रही है। यहां तक कि किसी न किसी से तो बलात्कार भी कर लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के यौन उत्पीड़न का मामला बहुत कम दर्ज होता है। ज्यादातर महिलाएं इसे चुपचाप सहन कर लेती है क्योंकि या तो वे हालात से लाचार होती है या उन्हें पैसों की

सख्त जरूरत होती है। कई राज्यों में यह अधिनियम अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए लागू नहीं है।

2.3. **निर्माण मज़दूर कानूनों के लिए संघर्ष**

निर्माण मज़दूरों के बेहतर कार्यस्थिति और उचित श्रम मूल्य के लिए 1996 में **भवन व निर्माण मज़दूर रोजगार व सेवा स्थितियों का नियमन अधिनियम** 1996 व **भवन तथा अन्य निर्माण मज़दूर कल्याण उपकर अधिनियम** 1996 का निर्माण किया गया। यह अधिनियम **राष्ट्रीय अभियान समिति** के 12 वर्ष के प्रयास के बाद जिसमें विभिन्न) **केंद्रीय श्रमिक संगठनों** की भागीदारी थीबने थे (।

1985 से निर्माण मज़दूर के हित के लिए **राष्ट्रीय अभियान समिति** के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। शुरू में इस संगठन में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, मज़दूर संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता, व वकील शामिल थे। बाद के दिनों मेंधीरे अन्य केंद्रीय व स्थानीय -धीरे , श्रमिक संगठन भी इस संगठन के साथ जुड़ गए। इस **राष्ट्रीय अभियान समिति** से पहले केरल और तमिलनाडु में निर्माण मज़दूरों के हित के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे जिसमें कुछ सफलता ,भी प्राप्त हुई थी। तमिलनाडु में इस संगठन का नेतृत्व **तमिलनाडु राज्य निर्माण मज़दूर यूनियन** ने कियाजो एक स्वतंत्र यूनियन है और किसी , राजनीतिक दल के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन से संबंधित नहीं है।

स्थानीय जिला व राज्य स्तर पर निर्वाचित सदस्यों से यह संगठन बना। 1982 में **तमिलनाडु मैनुअल वर्कर एक्ट** पास कराने में इस यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1983 में तमिलनाडु सरकार ने निर्माण मजदूरी के लिए ऐसा कानून बनाने की कोशिश

की थीजिसमें कई कमियां थी। इस यूनियन ने इसके विरुद्ध राज्य भर में अभियान , चलाया गया। राज्य स्तरपर अपने अनुभव से सीखते हुए यूनियन ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास किया जो निर्माण मज़दूरों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होचढ़ाव देखे है।-तब से निर्माण मज़दूर कानून के कई उतार ,

इससे पूर्व श्रम आयोग व श्रम मंत्रालय की **भवन व निर्माण उद्योग समि'ति'** में भी निर्माण मज़दूरों के लिए विस्तृत कानून की जरूरत को रेखांकित किया था। 1981 में दो संसद सदस्यों ने निजी स्तर पर इस विषय का बिल पेश करने का प्रयास किया। सरकार के हस्तक्षेप के बाद कि सरकार स्वयं इस दिशा में मज़दूरों के हित में कानून निर्माण करेगीप्र ,स्ताव को वापस लिया गया।

फरवरी 1985 में श्रम मंत्रालय ने एक त्रिपक्षीय दल का गठन भवन निर्माण उद्योग के लिए किया। जिसमें सरकार बिल्डरों की एसोसिएशन एवं मज़दूरों के संगठनों के प्रतिनिधियों को स्थान मिला। नवंबर 1985 में कुछ श्रम संगठनों के कार्यकर्ता इनमें तमिलनाडु राज्य निर्माण मज़दूर यूनियन के कार्यकर्ता की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कानून विद्वानों के प्रयास से निर्माण मज़दूर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में लगभग 250 निर्माण मज़दूर ट्रेड यूनियन कार्यकर्तावकील शामिल हुए ताकि , निर्माण मज़दूर के हित की रक्षा करने वाले कानून बनाने पर विस्तार से चर्चा कर सकें। इस सेमिनार से यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान कानून निर्माण मज़दूर की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है।

अतः इस सेमिनार में यह सुझाव दिया कि निर्माण उधोग की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण मज़दूरों के लिए कानून व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जाए।

इस ढांचे को हकीकत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू किया जाएवह , इस अभियान में निर्माण मज़दूरों को भी शामिल किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही राष्ट्रीय अभियान समिति की स्थापना की गई।

इस समिति के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज **जस्टिस कृष्णा**, **सुभाष भटनागर**जो दिल्ली) (के निर्माण मज़दूरों के हित के कार्यकर्ता है**जस्टिस सीएस पोती**गुजरात उच्च न्यायालय) (के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश**टी एस शंकरन**, केंद्रीय श्रम मंत्रालय में भूत सचिव श्रम संगठन के अनेक मुख्य कार्यकर्ता जैसे **डी थंकप्पन**, **एन पी स्वामी** व **आर गीता** का योगदान महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अभियान समिति का प्रथम उद्देश्य यह था कि निर्माण मज़दूर के हित व सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून का ढांचा तैयार करें। इसके लिए राष्ट्रीय अभियान समिति ने दिल्लीचेन्नई और बेंगलुरु में कई सेमिनारों का ,मुंबई , आयोजन किया। निर्माण मज़दूर के हित के लिए कानून के ढांचे का निर्माण करते समय इस समिति को इस बात पर भी ध्यान देना था कि निर्माण मज़दूर व ठेकेदार के संबंध के आधार पर इस कार्यक्षेत्र में मज़दूर को कार्य मिलता है। इसलिए एक ऐसे मज़दूर बोर्ड का निर्माण होना चाहिए जिसमें निर्माण मज़दूर ठेकेदार व सरकार तीनों शामिल हो। यह बोर्ड मज़दूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगा व उसके कार्य की स्थितियों का नियम भी बनाएगा ताकि मज़दूर शोषण की स्थिति से बच सकें। मज़दूर की आर्थिक सहायता के लिए बोर्ड निर्माण उधोग पर टैक्स के द्वारा पैसा जमा करेगा। मज़दूरों के उचित कानून के लिए देश के अनेक भागो से मज़दूरों के हस्ताक्षर को इकट्ठा किया गया।

को इस बिल का प्रारूप लोकसभा की याचिका समिति 1986 दिसम्बर 5को दिया गया। 30 सितंबर 1988 को याचिका समिति ने निर्माण मज़दूर की राष्ट्रीय अभियान समिति को आमंत्रित किया। इसी बीच सरकार ने अपनी ओर से राज्यसभा में एक बिल पेश कर

दिया जिसका शीर्षक **राष्ट्रीय अभियान समिति** के रूप से मिलता था। परंतुइसमें कई , ,कमियां थी जिसकी वजह से **राष्ट्रीय अभियान समिति** ने पुनः इसकी आलोचना की व याचिका समिति के सामने अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत किय। 25 जुलाई 1989 को याचिका समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को दी गई। लोक सभा ने **राष्ट्रीय अभियान समिति** के विचार से सहमत होते हुए सुझाव दिया कि राज्य में जो बिल आया था उसको वापस लिया जाएगा तथा एक नया बिल बनाया जाएगा। इसी बीच केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तथा नई सरकार ने अपर्याप्त सरकारी बिल को वापस ले लिया।

दिसंबर 1991 में निर्माण मज़दूर के **राष्ट्रीय फेडरेशन** की स्थापना बैंगलोर में की गई। नवंबर 1995 में निर्माण मज़दूर से संबंधित अध्यादेश केंद्रीय सरकार ने जारी किए। परंतुइस अध्यादेश में भी कमी थी ,।

राष्ट्रीय अभियान समिति के प्रयासों के फलस्वरुप राजनीतिक दलों ने अपने कार्यक्रमों का चुनाव घोषणा पत्रों में निर्माण मजदूरी के मुद्दे को अलग से स्थान देना आरंभ किया। जुलाई 1996 में निर्माण मज़दूर से संबंधित दो बिल पेश किए गए। **राष्ट्रीय अभियान समिति** ने इन अधिनियम की कमियों की ओर ध्यान दिलाया और अभियान समिति के **अध्यक्ष जस्टिस कृष्णा अय्यर** ने प्रधानमंत्री श्री देवगोडा को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि -

> नि"र्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड के पास अनिवार्य अधिकार नहीं हैमज़दूर के , अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था बिल में नहीं है अतः इस अधिनियम का उद्देश्य निर्माण मज़दूर की स्थिति में सुधार करना है। पर एक उचित अधिकार कार्य क्षमता वाले शासन इकाई के बिना यह उद्देश्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए निर्माण

मज़दूर कल्याण बोर्ड को फिर से ऐसा बोर्ड बनाना चाहिएजिससे आवश्यक शक्ति ,
"व अधिकार प्राप्त हो सके ताकि कानून का उद्देश्य पूरा हो सके।[44]

इसके साथसाथ- **राष्ट्रीय श्रम आयोग** ने अपनी रिपोर्ट 2002 में लिखा कि-

कई'"प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि समस्या यह नहीं कि कानून अपर्याप्त है बल्कि निर्माण उद्योग में कानून लागू नहीं होती।"[45]

कागजी व कानूनी आधार पर निर्माण मज़दूर हित से संबंधित यह अधिनियम यदि लागू होंगे तो मज़दूर को इससे आर्थिक व सामाजिक सहायता प्राप्त हो सकती है। परंतुदुख , की बात यह है कि जहाँ आदर्श रूप से बोर्ड अधिनियम निर्धारित कानूनों को सभी राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू होना चाहिए था। वहीँ व्याहारिकता में इन अधिनियमों का अधूरा है। वर्ष-क्रियान्वन बहुत से राज्यों में आधा2009 के अंतिम दिनों में इस कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा से पता चला -

1. नागालैंड सिक्किम वा लक्ष्यदीप में तो वर्ष 1996 के कानून के अंतर्गत नियम सूचित नहीं हुए थे।
2. अन्य राज्य (जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर व मेघालय में यह अधिनियम तो सूचित हो गए पर निर्माण मज़दूर कल्याणकारी बोर्ड स्थापित नहीं हुआ तथा मज़दूरों का नामांकन भी नहीं किया जा रहा था तथा उनके हित के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स भी इकट्ठा नहीं हो रहा था।

---

[44] भारत डोगरा (2010)"आलीशान भवन बनाने वाले झोपडी में रहने को मज़बुर क्यों? निर्माण मजदूरों के कानूनी हको का राष्ट्रीय अभियान,, नेशन। केम्पेन कमिटी फॉर कंस्ट्रक्शन

[45] वही से।

3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश में मज़दूर कल्याण बोर्ड की स्थापना हो गई थी, परंतु बोर्ड में कार्य होना शुरू नहीं हुआ था।
4. अरुणाचल प्रदेश, असम व उत्तराखंड की यह स्थिति की कल्याणकारी बोर्ड का निर्माण हो चुका था, टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था। परंतु मज़दूरों का नामांकन नहीं किया गया था।
5. गुजरात में मज़दूरों का नामांकन केवल निर्माता कंपनियों के माध्यम से हो रहा था जो उचित नहीं। कुछ समय बाद ट्रेड यूनियन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हुआ परंतु इस को रोक दिया गया। निर्माण मज़दूरों का नामांकन बोर्ड में बहुत धीमी प्रक्रिया से हो रहा है। जिन मज़दूरों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है (जैसे कि आदिवासियों के कल्याण की योजना से) उन्हें निर्माण बोर्ड के लाभ नहीं दिए जा रहे थे। टैक्स ना तो कानून निर्धारित प्रक्रिया से जमा किया जा रहा है ना ही ठीक से बोर्ड में जमा कराया जा रहा है।
6. पश्चिम बंगाल में भी नामांकन टैक्स देने वाली कंपनियों के माध्यम से ही किया जा रहा है। बोर्ड का कार्य करने का तरीका भी नियमों से विपरीत है उदाहरण के लिए 6 वर्ष में जहां 36 मीटिंग होनी चाहिए वहां केवल 17 मीटिंग ही हुई है।
7. दिल्ली के अनुमानित 10 लाख मज़दूरों में से 2004 तक बोर्ड के निर्माण के 7 वर्ष बाद केवल 2000 मज़दूरों का ही नामांकन बोर्ड में हुआ है।
8. तमिलनाडु में मज़दूरों के नामांकन की शुरुआत तो अच्छी थी। परंतु, इसमें कई समस्याएं आ रही है उपकर बहुत कम दिया जा रहा है। केरल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में प्रवासी मज़दूरों के नामांकन में दिक्कतें आ रही हैं।

9. मध्यप्रदेश में बोर्ड ने अच्छा काम किया परंतु कर्मचारियों की कमी व ट्रेड यूनियन को उचित भूमिका नहीं दी गई।

जबकि निर्माण मज़दूर से संबंधित अधिनियम का लागू होना आवश्यक हैराष्ट्रीय श्रम - आयोग के अनुसार

> निर्माण मज़दूर कार्य में सम्मिलित मज़"दूरों की स्थिति बंधुआ मज़दूर की तरह होती है। इस कार्यक्षेत्र में भी बंधुआ व्यवस्था प्रचलित है जो बाल मज़दूर के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है।"[46]

राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार इन मज़दूरों के हालात बहुत कठिन और खतरनाक होते हैं। खुले आसमान के तले अधिक सर्दी गर्मी व वर्षा से जूझते हुए कार्य करते हैं। बीमार व घायल मज़दूरों को ठेकेदार अपर्याप्त मुआवजा दे कर कार्य क्षेत्र से बाहर कर देता है। वह कई बार इन मज़दूरों का बोर्ड में नाम भी शामिल नहीं होता।

इस तरह निर्माण मज़दूरों को यूनियन की बहुत ही आवश्यकता हैपरंतु इस कार्य क्षेत्र , का ढांचा ऐसा है कि इसमें मज़दूरों को संगठित नहीं किया जा सकता। निर्माण उद्योग के मज़दूरों में ट्रेड यूनियन या श्रमिक संगठन बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम है। आयोग ने एक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि मज़दूरों किसी 8 निर्माण मज़दूरों में से केवल 900 यूनियन के सदस्य हैं। मज़दूर यूनियन के नेताओं ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को बताया कि ठेकेदारों के डर के कारण, इन मज़दूरों की कार्य स्थल बदलते रहने की वजह से इन मज़दूरों का संगठन बनाना कठिन है। इस वजह से निर्माण मज़दूरों के हित के लिए यूनियन आसानी से नहीं बन पाती और निर्माण कार्य क्षेत्र में यूनियन जो मज़दूरों को) का (उनके हित व अधिकार बताते हुए सरकार से इन की पूर्ति की मांग करती है

[46] राष्ट्रीय श्रम आयोग

निर्माण आसानी से नहीं हो पाता तथा जो यूनियन है वह भी ज्यादा सक्षम व सफल नहीं हो पाती।

यूनियन एक तरीके का वह जरिया है जिसके द्वारा मज़दूर अपने हित की पूर्ति कर सकता है। परंतु इस निर्माण कार्य क्षेत्र में मज़दूरों की यूनियन में भागीदारी कम होने की वजह से यह मज़दूर बोर्ड अधिनियम के लाभ को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। जबकि इस अध्याय में ही पूर्व में हमने देखा है कि निर्माण कार्यक्षेत्र में मज़दूर संगठन या अन्य श्रमिक संगठनों के संघर्षों ने महिलाओं के श्रम के स्थिति को कुछ श्रम क्षेत्रों में बेहतर बनाने का कार्य किया है।

2.4.**राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली में निर्माण कार्य क्षेत्र /**JNU **में निर्माण कार्य क्षेत्रों में निर्माण मज़दूर कानूनों की समीक्षा या मूल्यांकन**

में श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 1996**बिल्डिंग और निर्माण मज़दूर एक्ट** पास किया जिसका मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्षेत्र में शामिल मज़दूरों को सुरक्षा स्वास्थ्य व कल्याणकारी लाभ दिया जा सके। दिल्ली सरकार के **श्रम मंत्रालय** ने इस **बिल्डिंग और निर्माण मज़दूर एक्ट** को में नोटिफाई किया। 2002 सितंबर 2 में 2006 सितंबर 26 में पुनः इस एक्ट को निर्मित किया गया। 2011 जनवरी 12 तथा

दिल्ली बोर्ड के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

1. दुर्घटना के समय तुरंत सहायता मुहैया कराई जाएगी।

2. 60 वर्ष आयु होने के बाद मज़दूर को पेंशन दी जाएगा।
3. निर्माण मज़दूर को आवास के लिए लोन दिया जाएगा।
4. बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
5. मज़दूर का स्वास्थ्य संबंधित इंश्योरेंस किया जाएगा।
6. मातृत्व लाभ दिया जाएगा महिला मज़दूर को।
7. विवाह सहायता दी जाएगी।

दिल्ली बोर्ड ये कानूनी लाभ सभी निर्माण मज़दूर को मिलते हैं या नहीं इसकी चर्चा सुभाष भटानागर कहते है कि -

> दिल्ली बोर्ड में निर्माण बोर्ड के द्वारा जो"सुविधओ को शामिल किया गया हैं अभी तक उसमे से एक भी लाभ मज़दूरों को पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता है।"[47]

दुर्घटना होने पर मज़दूर को सहायता की दिल्ली सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की हैं। कॉमनवेल्थ खेल के दोरान जिन मज़दूरों को दुर्घटना मुआवजा मिला भी था क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में पीपल्स यूनियन और डेमोक्रेटिक राइट्स निर्माण मज़दूर पंचायत संगम और कॉमन कोज की जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई पर मुख्य न्यायाधीश ने हर एक दुर्घटना पर तुरंत मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए थे। कॉमनवेल्थ खेलों के निर्माण कार्य में कर रहे दुर्घटनाग्रस्त मज़दूर पंजीकृत नहीं थे, तो बोर्ड उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रहा था।

की याचिका के बाद दिल्ली के निर्माण कार्यों पर हो रही दुर्घटना में घायल होने 2010 वाले या मरने वाले एक भी निर्माण मज़दूर को इसलिए बोर्ड के पास इकट्ठे पैसों म◌ें से

[47] सुभाष भटनागर से बातचीत के आधार पर

किसी भी तरीके का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। क्योंकि वह निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं थी।

> मज़दूर आवास लोन भी निर्माण मज़दूरों को आसानी से नहीं मिल पाता क्योंकि " निर्माण बोर्ड के अफसरों ने शर्ते कुछ इस तरीके की बना दी है कि निर्माण मज़दूरों के लिए इन को पूरा कर पाना असंभव था। दिल्ली निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड ने जनश्री बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत मज़दूरों का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा हुआ इसलिए मज़दूरों को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा था।"[48]

निर्माण मज़दूर के हित के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों का व्यवहारिक रूप में कितने प्रभावशाली हैं इसका विश्लेषण दिल्ली के स्तर पर दो उदाहरणों के द्वारा समझ सकते है। 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेल व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए निर्माण कार्य क्षेत्र में निर्माण मज़दूरों के कानून किस हद तक दिल्ली में प्रभावी रूप से काम करते है इसका मूल्यांकन किया जा सकता है।

2.4.1. **राष्ट्रमंडल खेलों के निर्माण कार्य क्षेत्र**

2010 में भारत की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया जो 3-14 अक्टूबर 2010 तक चले। इन राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन समारोह जवाहरलाल

---

[48] दिल्ली के सभी आसंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को सामजिक सुरक्षा कैसे मिल सकेगीनिर्माण मज़दूर ? ,पंचायत संगम21-4-2015

नेहरु स्टेडियम और दिल्ली के कई खेल स्टेडियम में हुआ था। इन खेलों के लिए दिल्ली का पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया था। 2011 में कॉमन वेल्थ गेम्स से संबंधित घोटाले भी सामने आये। पी यू डी आर (PUDR) अनुसार -

> कॉमनवेल्थ" गेम के निर्माण स्थल पर मज़दूर के श्रमिक कानूनों का उल्लंघन इस निर्माण से संबंधित अफसरों के सामने हो रहा था परंतु सरकारी अफसर इन सब बातों से अनजान बनी हुई थी।"[49]

निर्माण कार्य क्षेत्र में से संबंधित इस खेल के घोटाले को देखा जाए तो इस दौरान निर्माण कार्य स्थल पर श्रम संबंधित कानूनों का काफी उल्लंघन हुआ। कामनवेल्थ गेम के निर्माण क्षेत्र में आयोग मज़दूर को 85-100 रुपए तथा योग्य मज़दूर को 120-130 रुपए मेहनताना 8 घंटे कार्य करने पर दिया जाता था। 12 घंटे कार्य करने पर अयोग्य मज़दूर को 134 रुपए तथा योग्य मज़दूर को 150 वेतन दिया जाता था। दिल्ली सरकार की न्यूनतम वेतन से यह बहुत ही कम वेतन था जबकि दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन 8 घंटे कार्य करने का 152 था। इस तरह यहां पर **न्यून्तम वेतन एक्ट** 1948 के कानून का उल्लंघन हो रहा था। कॉमनवेल्थ गेम के दौरान पुरुष मज़दूर की तुलना में महिलाओं को 5% वेतन दिया जाता था जो की समान कार्य के लिए समान वेतन कानून का उल्लंघन था। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कॉमनवेल्थ निर्माण कार्य के दौरान **न्यून्तम वेतन एक्ट** 1948, का भी पालन नहीं हो रहा था।

---

[49] In The Name of national pride:Blantant violation of working rights at the commonwealth games construction site, peoples union for democratic rights:A civil libertes and democratic rights organisation based in Delhi,India

कई बार यहां पर रहने वाले मज़दूरों को कार्य भी नहीं दिया जाता था। कार्य में अधिक समय देने के पश्चात भी उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था यहां पर दिल्ली **निर्माण बोर्ड** 2002 **एक्ट** का उल्लंघन हो रहा था।

निर्माण मज़दूरों को किसी प्रकार की कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती थी जबकि निर्माण मज़दूर बोर्ड के अनुसार सप्ताह में निर्माण मज़दूरों को एक छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। यहां पर कार्य कर रहे निर्माण मज़दूरों के पहचान पत्र भी नहीं बनाए गए थे। इन निर्माण मज़दूरों के पास से संबंधित कोई सबूत नहीं थाना ही इन मज़दूरों , को किसी प्रकार की कोई वेतन पर्ची दी जाती थी।

ठेकेदार निर्माण मज़दूरों को नियमित तौर पर पैसा नहीं देता था वह केवल उनके निर्वाह के लिए पैसा दे देता था। निर्माण मज़दूरों को 45 दिन के अंतराल में मज़दूरों को उनका वेतन देता था या 15 दिन के बाद पैसा देता थाकई , बार ठेकेदार मज़दूरों के दोचार - दिन वेतन भी काट लेता था। निर्माण मज़दूरों के पास अपने पैसे का क्लेम करने के लिए कोई सबूत नहीं होता था। वेतन का भुगतान करने के दौरान निर्माण बोर्ड में यह प्रावधान किया गया है कि वहां पर कर्मचारी व सरकारी अफसर के सामने वेतन का वितरण किया जाएगा। परंतु निर्माण कार्य क्षेत्र में कॉमनवेल्थ के दौरान कंपनी का कोई भी कर्मचारी व , DDA का कोई भी कर्मचारी वेतन भुगतान के समय उपस्थित नहीं होता था। इस तरह निर्माण **कल्याण बोर्ड एक्ट** का उल्लंघन हो रहा था।

विस्थापित मज़दूरीनियमित रोजगार कार्य स)ंथल की स्थिति(1982 तथा **मज़दूर के मूलभूत अधिकार** 1982 के कानूनों का उल्लंघन हो रहा था। किसी भी प्रस्थापित मज़दूर को यात्रा व विस्थापित होने पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता था

जिससे **अंतर राज्य विस्थापित मज़दूर एक्ट** का उल्लंघन हो रहा था। विस्थापित मज़दूरों के पास भी किसी प्रकार की कोई पासबुक नहीं था। जिसमें मज़दूरों की फोटो लगी होती है तथा कार्य में भर्ती होने की दिनांक व कार्य के दिन नाम पता का विवरण होता है।

किसी भी निर्माण मज़दूर का **भवन निर्माण बोर्ड** में नामांकन नहीं था जिस कारण इन मज़दूरों को बोर्ड से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे थे। निर्माण कार्य क्षेत्र में ज्यादातर विस्थापित मज़दूरों को कार्य पर रखा गया क्योंकि ठेकेदार को इस बात का अनुमान था कि यह मज़दूर वेतन के लिए अधिक बहस नहीं करेंगे। जो भी पैसा इन मज़दूरों को दिया जाएगा यह मज़दूर उतने ही पैसे पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन मज़दूरों के पास नियमित कार्य करने का अवसर नहीं होता था। नियमित कार्य के लालच में यह मज़दूर कम पैसे में भी काम करने के लिए राजी हो जाते थे।

1996 के **सेक्ट** के तहत 2% कुल निर्माण लागत का, उपकरण के रूप में बोर्ड को जमा कराना होता था निर्माण मज़दूर को बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सुविधाओं को प्रदान किया जा सके। परंतुबोर्ड में नामांकन ना होने के कारण मज़दूर बोर्ड के लाभकारी , योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।

2.4.1.2. **सुरक्षा नियमों का उल्लंघन**

राष्ट्रमंडल खेलों के लिर भवन निर्माण कार्य या उससे जुड़े कार्यों में निर्माण मज़दूरों के सुरक्षा इंतजाम सुरक्षा नियमों के अनुरूप नहीं थे। कार्यस्थल पर मज़दूरों को हेलमेट और जूते भी नहीं दिए गए थे। जहां पर जूते वह हेलमेट दिए गए थे वहां पर ठेकेदार ने मज़दूरों के वेतन में से उसका पैसा काट लिया था।

14 दिसंबर 2008 को कार्य स्थल पर एक मज़दूर पर कमजोर क्रेन का एक हिस्सा गिर जाता है जिससे एक मज़दूर की मौत हो गई। तब सभी निर्माण मज़दूर 2 दिन तक कार्य स्थल पर प्रोटेस्ट किया। ।मानव अधिकरण कानून नेटवर्क के रिपोर्ट के मुताबिक

> ”70 केस ऐसे हैं जहां पर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही मज़दूरों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इन मरने वालों मज़दूरों की संख्या के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई सूचना प्रकाशित नहीं की गई।“ [50]

बाद में इन कार्य स्थलों पर किसी भी बाहरी व्यक्ति मीडिया या एनजीओ के ,आने पर रोक लगा दी गई। जिसकी वजह से अंदर हो रही मज़दूरों के साथ इतनी असमानता को छुपा लिया गया।

इस तरह पूरी तरह कॉमनवेल्थ गेम के कार्य स्थल पारदिशता की कमी थी। यहाँ निर्माण मज़दूरों के अधिकारो का उल्लखन हो रहा था। राज्य एजेंसियां निर्माण मज़दूरों के अधिकारों के उल्लंघन से पूरी तरह अनजान बनी हुई थी।

जनवरी में 2010**पी यू डी आर**)PUDRने दिल्ली हाई कोर्ट में जनयाचिका अपील ( )की थी। यह जनयाचिका कॉमन कॉजcommon causeव निर्माण मज़दूर संगम के (साथ मिलकर की गई थी। हाई कोर्ट ने कॉमन वेल्थ गेम के समय मज़दूर के खिलाफ हो रहे शोषण की जाच के लिए सदस्यी एक कमिटी का निर्माण किया। इस मोनिटर 4

---

[50] In The Name of national pride:Blantant violation of working rights at the commonwealth games construction site, peoples union for democratic rights:A civil libertes and democratic rights organisation based in Delhi,India

कमिटी का कार्य था कार्यस्थल में निर्माण मज़दूर से संबंधित कानूनों के पालन हो रहा हैं या नहीं इसकी निगरानी करना था।

इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट को पेश की जिसमे निम्नलिखित कुछ 2010 मार्च 17 महत्वपूर्ण बिन्दुओ को उजागार किया गया था। मसलनराज्य एजेंसी व श्रम मंत्रालय , राष्टीय अभियान के नाम पर लगातार निर्माण मज़दूरों के अधिकारों का उल्लखन कर -जो एक क्राइम से काम नहीं हैं। इस कार्य क्षेत्र में शामिल ठेकेदार और उप ,रही है ठेकेदार को भी भवन व अन्य निर्मंाण बोर्ड के बारे में नहीं मालूम हैं।

कार्यस्थल पर बहुत ही कम मज़दूर इस बोर्ड में नामंकित है। कार्यस्थल पर काम कर रहे निर्माण महिला मज़दूर के बच्चों के देखभाल के लिए कोई भी क्रेश की सुविधा नहीं है।

कॉमन वेल्थ गेम के दोरान कार्य के लिए सभी शामिल ठेकदार विस्थपित मज़दूर का फायदा उठा रहे हैं। **)Nterstatemigrant worke Manregulation of Employment** and **Condition** of**Servics act ,1979)** इस कानून के तहत किसी भी मज़दूर के पास पासबुक नहीं तथा किसी भी मज़दूर को इस कानून के बारे में मालूम नहीं हैं। निर्माण मज़दूरों को किसी भी प्रकार का सप्ताह में कोई अवकाश नहीं दिया जाता था। मज़दूर कार्य स्थल पर सप्ताह के सातों दिन कार्य करते हैं जबकि भवन व अन्य निर्माण कानून के तहत मज़दूरों को सप्ताह में एक आवकाश देना जरुरी हैं। मज़दूरों को वेतन देते समय किसी भी प्रकार की कोई भुगतान पर्ची नहीं दी जाती। कार्यस्थल पर समय समय पर कोई न कोई दुर्घटना होती रहती हैं परन्तु कार्यस्थल पर पर किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ।

मोनिटर कमिटी ने रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहा कि

श्रम कानून के उल्लखन करने वालो के खिलाफ सख्त से सख्त" दंड का प्रावधान करना चाहिए।"[51]

अप्रैल को हाई कोर्ट ने आदेश दिया की कमिटी के द्वारा उजागर की गई कमियों को 7 हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्यस्थल पर फिर ,कार्यस्थल पर दूर किया जाए। परन्तु भी कामिया देखी गई। जैसे की हाईकोर्ट के आदेश आ जाने के बावजूद भीकार्यस्थल पर मज़दूरों को कम वेतन दिया जा रहा था। कहीं कार्यस्थल पर ठेकेदार मज़दूरों को सप्ताह के खर्चे के लिए 300-सो रुपए दे देता था परंतु अभी भी मज़दूरों के द्वारा किए गए 400 ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जा रहा था।

कार्य का प्रकार	दिल्ली निर्माण बोर्ड के अनुसार वेतन रेट	ठेकदार के अनुसार वेतन रेट
अकुशल	203 रु	110-130 रु
अर्धकुशल	225रु	150-170 रु
कुशल	248 रु	150-170 रु

यह तालिका दिल्ली में निर्माण मज़दूरों को दी जाने वाली दिहाड़ी के अंतर को दर्शाता है। दिल्ली निर्माण बोर्ड के अनुसार निर्माण मज़दूरों की मजदूरी रेट कुछ और हैं जबकि

[51] In The Name of national pride:Blantant violation of working rights at the commonwealth games construction site, peoples union for democratic rights:A civil libertes and democratic rights organisation based in Delhi,India

ठेकदार उन मज़दूरों को न्यूनतम वेतन से भी कम वतन देता था मज़दूरों को यह न्यूनतम मजदूरी रेट की हैं। 2010

2.4.3 **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय निर्माण कार्य क्षेत्र**

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में में कई निर्माण कार्य एक साथ 2010हो रहे थे। यह भारत की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी में से एक हैं और यह पर छात्र यूनियन मज़दूरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए काफी सक्रिय रहती हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एनेक्स बिल्डींग के निर्माण का कार्य चल रहा था। इस कार्य का प्रोजेक्ट MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** को दिया गया। जिसके तहत JNU की बिल्डिंग स्कूल ऑफ इटरनेशनल) स्ट्डीज और स्कूल ऑफ सोशल साइंसका निर्माण कार्य हो रहा था। (JNU व MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** के बीच समझौता हुआ जिसमें निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया।

JNU में जो भी निर्माण कार्य होगा उसमें गुणात्मक व संस्था की सुरक्षा के रूप में ठेकेदार को जिम्मेदार माना जाएगा। समझौते के आधार पर यह तय किया गया कि ठेकेदार कार्य की छानबीन करेगा तथा कार्य के लिए मज़दूरों को दिशा निर्देश भी दे सकता है। ठेकेदार यदि सभी नियमों का पालन करेगा तभी ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा।

समझौते के आर्टिकल 3 **के अनुसार**महीने में एक बार मज़दूर के साथ 2 सलाहकार को , बातचीत या मीटिंग करना आवश्यक है। काम सलाहकार का मुख्य काम इस बात की जांच पड़ताल करना है कि कार्यस्थल पर केंद्रीय सरकार व दिल्ली सरकार के द्वारा

बनाए गए निर्माण बोर्ड के नियमों का पालन हो रहा हो और इन नीतियों व कानूनों का पालन ठेकेदारी के क्षेत्र में भी किया जा रहा हो। कार्यस्थल पर मज़दूरों के अधिकारों का हनन ना हो इसलिए सलाहकार समयसमय पर सलाह देता रहेगा।-

समझौते के आर्टिकल 10 **के अनुसार** कार्यस्थल पर सभी श्रमिक कानूनों ,का पालन किया जा रहा हो तथा यह सुनिश्चित किया जाए की मज़दूरों की इज्जत ठेकेदार कर रहा हो चाहे भले ही निर्माण कार्य ठेकेदारी पर हो। सभी प्रकार की गतिविधियां व अन्य दूसरे कानूनों के प्रति सलाहकार जिम्मेदार हैं। समयसमय पर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यस्थल - पर पूरे इंतजाम होने चाहिए।

समझौते के आर्टिकल 12 **के अनुसार**कार्यस्थल पर किसी कमी से होने वाले नुकसान से , पहले सलाहकार को उस कमी को दूर करना आवश्यक है। कार्यस्थल पर ठेकेदार यदि किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं कर रहा तो सलाहकार उस ठेकेदार को काम से हटा सकता है।यदि कोई निर्माण मज़दूर यह शिकायत करता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सलाहकार ठेकेदार व अन्य साथी की जांच पड़ताल कर सकती है।

को संदीप चटर्जी ने 2011 मई 18MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** को खत लिखा जिसमें उन्होंने में दिल्ली हाईकोर्ट के 2011 अप्रैल 20आदेश का कमेटी के निर्णय का उल्लख करते हुए लिखा कि -

> कमेटी के जाच पड़ताल के निष्कर्ष के आधार पर"MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** JNU केसाथ हुए श्रमिक समझौते के मुताबिक कार्यस्थल पर खरी नहीं उतरी है।"[52]

[52]26 अगस्त 2006 में जे एन यु और आर आई ती इ एस के बीच समझोता हुआ जिसके तहत निर्माण मजदूरों को निर्माण मज़दूर संबंधित कानून को कार्यस्थल पर लागू करने का वादा किया गया था।इस समझोते की जानकारी ऑफिस ऑफ़ सेंटर पब्लिक इन्फोर्मेशन ऑफिसर ,के द्वारा ,आर टी आई एक्ट के तहत 7 जनवरी 2014 को दी गई थी।

कार्यस्थल पर श्रमिक कानूनों का उल्लंघन हो रहा था। निर्माण मज़दूरों को वेतन कम दिया जा रहा था। कार्यस्थल पर मूलभूत आवश्यकताओं जैसे की पीने का पानी टॉयलेट व बच्चों की सुविधा के लिए क्रेच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। वेतन रजिस्टर व अटेंडेंस रजिस्टर भी नहीं थाओवरटाइम से संबंधित विवरण का रजिस्टर भी नहीं था , तथा मज़दूरों को वेतन पर्ची भी नहीं दी जाती थी।

JNU और MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** के बीच हुए समझौते के अनुसार श्रमिक को JNU परिसर में नहीं ठहराया जा सकता। परंतु कंपनी ने ,JNU परिसर में कुछ मज़दूरों को कैंपस में रखा था। इसलिए जल्दी से जल्द इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए।

को मौसमी बसु ने 2011 नवंबर 25 JNU के वाइस चांसलर को एक पत्र लिखा। इस पत्र में JNU में श्रम कानूनों के होने वाले उल्लंघन के बारे में लिखा गया था जिसमें 20 की याचिका को ध्यान में रखते हुए इन कमियों के बारे में बात की गई 2011 अप्रैल थी। जैसे कि -

> स्कूल ऑफ़ सोशल साइंस"(3) में तीन बच्चे कार्य कर रहे थे जो कि child labour prohibition and Regulation Act 1986 के खिलाफ था, कार्यस्थल पर निर्माण मज़दूरों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नहीं था ना ही रजिस्टर पर मज़दूरों के नाम शामिल थे वेतन रजिस्टर में केवल ही 62 मज़दूरों के नाम चढ़े हुए थे जबकि JNU के निर्माण कार्य क्षेत्र में उससे अधिक मज़दूर कार्य कर रहे थे।"[53]

JNU परिसर में निर्माण मज़दूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। अकुशल मज़दूरों को से 180 प्रतिदिन तथा अर्धकुशल व अकुशल मज़दूरों को 125 प्रतिदिन 200

---

[53] वही से।

वेतन दिया जाता था। यह पैसा जमादार के द्वारा मज़दूरों को दिया जाता था जो मज़दूर कैंप के नजदीक ही रहता था वेतन को किसी अधिकारी के सामने नहीं दिया जाता था।

कार्यस्थल पर सुरक्षा नेट तथा जूतों का भी बंदोबस्त नहीं था। MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** ने मज़दूरों को जूते व सुरक्षा बेल्ट भी उपलब्ध नहीं कराए थे। निर्माण मज़दूरों के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा भी भी नहीं थी। को 2011 दिसंबर 29MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** ने रिप्लाइ किया कि -

> वेतन पर्ची भी दी जाती ह ,सभी निर्माण मज़दूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है"ै
> तथा कार्यस्थल पर कोई भी बाल श्रमिक कार्य नहीं कर रहाजूते व बेल्ट सभी ,
> मज़दूर यूज कर रहे हैं।"[54]

को राजधानी भवन निर्माण कामगार यूनियन दिल्ली राज्य कमेटी ने 2012 जनवरी 30 श्रम मंत्रालय को एक खत लिखा जिसमें उन्होंनेMS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** के यहां कार्य कर रहे मज़दूरों को बिना वजह बताएं काम से निकाल दिया गया था इसके बारे में लिखा था। निर्माण मज़दूरों को 130-रूपए प्रतिदिन वेतन दिया जाता था जिसमें से 150 कुछ पैसा जमादार रख लेता था। जो मज़दूर अधिक वेतन की मांग कर रहे थे उनको कार्य से निकाल दिया गया। इस वजह से JNU में कार्य कर रहे निर्माण मज़दूरों ने यूनियन संगठन से मदद मांगी।

MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** के ठेकेदार ने 20 जनवरी को उन मज़दूरों को कार्य 2012 से हटा दिया था जो मज़दूर इस यूनियन में मदद मांगने के लिए गए थे। यूनियन में यह बताया कि ठेकेदार ने निर्माण मज़दूरों के लिए पासबुक जो बनाई है परंतु मज़दूरों को

---

[54] वही से।

दी नहीं। MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** ने बोला कि काम के लिए जितने मज़दूरों की आवश्यकता होगी उतने ही मज़दूरों को काम पर रखा जाएगा तथा जिन मज़दूरों को रखा गया है उन मज़दूरों को उप ठेकेदार के द्वारा रखा गया था इस तरह उप ठेकेदार के ऊपर बात डाल देने से विश्वविद्यालय व लिमिटेड के बीच हुए समझौते वह शामिल नहीं था।

2.4.4 **सुरक्षा नियमों का उल्लंघन**

20 में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी की बिल्डिंग का निर्माण कर रहे 2013 फरवरी 18 वर्षीय बंटी का कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाती है क्योंकि इस निर्माण जगह पर सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। बंटी के दुर्घटना हो जाने पर संस्था व ठेकेदार के द्वारा इसको अनदेखा किया गया। उसे एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया परंतु वहां पर ज्यादा दिन तक नहीं रखा गया तथा वह अपने गांव वापस चला गया। उसकी स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए ठेकेदार ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की।

जब JNU के छात्र यूनियन ने इस बारे में छानबीन की तो ठेकेदार ने इसके लिए फिर से उपठेकेदार को जिम्मेदार ठहरा दिया जो जेएनयू की मुख्य ठेकेदारी में शामिल नहीं था। - इसलिए आवश्यक था किJNU उस मज़दूर के स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी को लेता इस तरह से ठेकेदार के खिलाफ कदम उठाया जाए इसकी मांग की जाने लगी।

MS **राइट्स लिमिटेड कंपनी** ने कहा कि मज़दूरों को हेलमेट व जूते मुहैया कराए 200 गए जो निर्माण परिसर में उनके पहन कर आने पर ही मज़दूरों को अंदर आने दिया जाताहै। परंतुकई मज़दूर कार्य करते समय जूते व हेलमेट उतार देते है। , मज़दूरों को

बेल्ट जूते आवश्यकता पड़ने पर दिए जाते हैं तथा काम खत्म होने पर वापस उन्हें सुरक्षित रख दिया जाता है।

मौसमी बसु ने को 2013 मई 13JNU पत्र लिखा जिसमें लिखा गया कि-

> दिल्ली हाईकोर्ट"के आदेश के बावजूद भी निर्माण मज़दूरों के पहचान पत्र नहीं बनाए गए हैं। अभी भी रजिस्टर पर निर्माण मज़दूरों का नामांकन नहीं है तथा वेतन रजिस्टर भी नहीं है ओवरटाइम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा तथा न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा न्यूनतम वेतन के अलावा निर्माण मज़दूरों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही।"[55]

छात्र यूनियन और JNU के टीचर के सक्रियता के बाद ठेकदार थोड़ा हरकत में आये तब जाकर निर्माण मज़दूरों के नियमो का पालन किया जाने लगा।

निष्कर्ष: पूर्वगामी बहस सुझाता है कि वह समय आ गया है कि आधे अधूरे हस्तक्षेप , जिनसे महिलाओं के रोजगार की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। करने के बजाय सत्ता एंव नियोजक व्यापक समाधान खोजने हेतु प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान किया जा सकता है। श्रम कानून में प्रमुख संशोधन पर विचार करते वक्त इन संशोधनों के व्यापक लैंगिक प्रभावों पर विचार करने की जरूरत है। चूंकि भारत दूनिया में निवेश का सबसे बड़ा ठिकाना तथा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैइसलिए लैंगिक श्रम सुधारों की विशेष जरूरत है क्योंकि श्रम के क्षेत्र में , परंपरागर श्रम में रोजगार की कमी महिलाओं कोअनौपचारिक श्रम क्षेत्र के तरफ ढ़केल रही है। वैसे भी लैंगिक असमानता सूंचकांक और कार्य क्षेत्र के स्थानों में असंगठित ही

---

[55] In The Name of national pride:Blantant violation of working rights at the commonwealth games construction site, peoples union for democratic rights:A civil libertes and democratic rights organisation based in Delhi,India

नहीं संगठित क्षेत्र में भी हमारा स्थान कई विकासशील देशों के सूची में निचले पायदान पर है। इसको सुधारने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारा संविधान लैंगिक समानता का दावा करता है। इन दावों की या श्रम क्षेत्र में बनाये गए कानूनों का फायदा श्रमिकों को तब ही मिल सकता है जब हर स्तर पर वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखा जाए। परंतु , अधिकांश नियोक्ता इस वस्तुनिषठता से बचना चाहता है क्योंकि श्रमिकों के मांगों की स्वीकृत उनके मुनाफे के प्रतिशत को कम करता है।

अध्याय 3

निर्माण महिला मज़दूरों की यथास्थिति और अनुभव

भारत में आजादी के पहले और आजादी के बाद से निर्माण कार्य क्षेत्र रोजगार का वह क्षेत्र रहा हैजिसने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार , मुहाया कराया है। भवन निर्माण क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाओं का श्रम भी हमेशा से मौजूद रही है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के मध्य महिला मज़दूरों ने सम्मानजनक जीवन में लिए निरंतर संघर्ष करती रही हैहर तरफ के बाधाओं और अनदेखियों के बाद भी। ,

90 के बाद के दशकों में आर्थिक गतिशीलता के दौर में देश में **"विकास"** की अवधारणा में आमूलचूल बदलाव के बाद बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण उधोग में भी गति देखने को मिलती है। क्योंकि विकास का पैमाना समाज के परंपरागत विकास से बदलकर भवन , फैल्ट्स आदि के निर्माण पर ,मेट्रों ,सड़कों ,पुल स्थांतरित हो गई है। इन तमाम निर्माण कार्य में बड़ी मात्रा में महिला मज़दूर भी कार्यरत है क्योंकि पुरुषों के तुलना में महिला श्रमिक को कम मजदूरी दी जाती है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खत्म होने के बाद कम पूंजी में अधिक मुनाफा बढ़ाने के तमाम उपाए किए जा रहे है। पुरुषों से कराये जाने वाले कार्य महिला श्रमिकों से कराये जा रहे है। जिसे **फेमि"नाईजेशन आंफ लेबर "**के रूप में परिभाषित किया गया हैमहिलाओं के सशक्तिकरण के परिभाषा में महिलाओं को , दोहरे श्रम से गुजरना पड़ रहा है।

निर्माण कार्य में स्थायी और विस्थापित दोनों प्रकार की महिला मज़दूर पाई जाती हैं। पिछले 40 वर्षों से दिल्ली के निर्माण कार्य में शामिल महिला मज़दूर उतरप्रदेशबंगाल रा,उड़ीसा,बिहार,ज्यों से अधिक आती हैं। दिल्ली में निर्माण कार्य में शामिल 80% महिला मज़दूर दलित समुदाय व भूमिहीन खेतिहार मज़दूर होती हैं। गाँव

में परंपरागत रोजगार के अवसर खत्म हो जाने के कारण निर्माण महिला मज़दूर दूसरे राज्यों से दिल्ली में रोजगार और जीवन निवार्ह के लिए विकल्पों के तलाश में आती है।- इनके लिए वापस अपने घरगाँव रोजगार के लिए जाना मुश्किल होता हैं-।

> निर्माण कार्य क्षेत्र में दूसरें कार्य क्षेत्र की तुलना में जेंडर के आधार पर अधिक आसमनता पाई जाती हैं। 99% महिला मज़दूर निर्माण क्षेत्र में गैर मशीनरी कार्य में अधिक पाई जाती है।[56]

प्रस्तुत अध्याय के अंतगर्त दिल्ली के विभिन्न क्षेत्र)JNUसराय काले खां व ,रोहिणी , (छतरपुरमें निर्माण कार्य में शामिल महिला मज़दूर के मौखिक साक्षात्कार के माध्यम से वास्तविक जीवन अनुभव से गुजरते हुए ,निर्माण कार्य क्षेत्र में महिला श्रमिक को जेंडर के आधार पर होने वाली समस्या के बारे में जाननेसमझने- का प्रयास किया गया हैं। इसके आलावा निर्माण कार्य में शामिल ठेकेदार व पुरुष मज़दूर और घरेलू कामगार महिला मज़दूर के साथ-साथ निर्माण कार्य करने वाली महिला मज़दूरअन्य निर्माण , महिला श्रमिक कीयोग्यता और उसके चरित्र को किस तरह से देखती हैं इसकी चर्चा की गई हैं।

3.1 **निर्माण कार्य में विस्थापित महिला मज़दूर**

मौजूदा दौर में कमोबेश श्रम के हर क्षेत्र में चाहे वह संगठित हो या असंगठित बड़े पैमाने में दूसरे राज्यों से आए महिला कामगारों की सख्यां अधिक देखने को मिलती है। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों इन कामगारों के मौजदूगी के अलगअलग - इसके कोई एक कारण या कोई एक विशेष परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ,कारण है

---

[56]Sanghmita,acharaya & sunita redy, Migrant women in construction work in examining issue and challenges in Delhi ,jnu 2015

राजन ,आर्थिक ,माना जा सकता है। इसके कारण सांस्कृतिकीतिक भी हो सकते है और सामाजिक भी।

असंगठित कार्य क्षेत्र में महिला कामगारों की स्थिति अधिक चुनौतिपूर्ण हो जाती है क्योंकि कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधाओं और उचित कार्य दशाओं का सामना उनकों करना पड़ता है। सरकारी नीतियों या कानूनों के उचित कार्यान्वय नहीं होने के कारण स्थिति और अधिक चुनौतिपूर्ण हो जाती है। साक्षात्कार के दौरान यह बात उभर कर आई कि अधिकांश महिला मज़दूर अपने गाँव में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण शहर के तरह रोजगार के लिए विस्थापित हुई है। गाँव से शहर के तरफ पलायन के बारे में कुसुम[57] बताती है -

> "गाँव में एक सरकारी फरमान आया था जिसके तहत उनके पूरे गाँव को दिन के 30 अंदर वो जमींन खाली करनी थी क्योंकी उनके घर अवैध तरीके से सरकारी जमींन पर बनने थे। औधोगिक नीतियों के तहत गाँव में उधोग लगने थे इसलिए हम लोगो से वो जमींन खाली करवाई गई। जिसकी वजह से हमारे गाँव के अधिकतर लोगों ने रोजगार के लिए शहर में आना उचित समझा। लोग अपने परिवार के साथ शहरों के तरफ पलायन करने लगे।"[58]

आगे कुसुम पलायने के बाद शहरी जीवन में अपने परेशानीयों के बारे में बताती है कि -

> शहर में रोजगार की तलाश में हम लोग गाँव छोडकार आ तो ग" ए। परन्तु शहर के वातवरण और शहर के लोगों से बिलकुल अनजान थे। अशिक्षित व किसी दूसरे कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता ना होने के कारण शहर में आसानी से काम नहीं मिल पा रहा था। शहर में निर्माण कार्य चारो तरफ बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो सोचा निर्माण कार्य ही कर लेते हैं पैसा भी अच्छा मिल जाता हैं। यही सोच कर

---

[57] कुसुम एक 45 वर्षीय निर्माण महिला मज़दूर हैं।जो निर्माण कार्य में पिछले 25 वर्षो से शामिल है।साक्षात्कार के दोरान कुसुम छतरपुर में निर्माण कार्य कर रही थी।इस महिला का साक्षात्कार छतरपुर में चल सरकारी निर्माण कार्य से जुडी हैं।

[58] कुसुम बुन्देलखण्ड के एक गाँव की रहने वाली हैं। गाँव से शहर में आने के पीछे कारण बताती हैं की उनको विस्थापन की वजह से दिल्ली में रोजगार के लिए आना पड़ा।

हम लोग कार्य के लिए मज़दूर चौक[59] पर गये थे। इस तरह हम पति-पत्नी दोनों निर्माण कार्य में शामिल हो गए।[60]

पलायन के कारण रोहिणी में चल रहे निर्माण कार्य करने वाली आशा[61] बताती हैं -

"गाँव में उनके पास 2-बीघा जमींन थी 3। 2-3 बीघे जमीन में अधिक खेती नहीं हो पाती थी जिससे जीवन चल सके। ,खेती के काम में अब इतनी बचत नहीं रहा गई थी कि उससे होने वाली आमदनी से अपने बच्चो को पाल सकते। गाँव में ठेकेदार ने बोल था दिल्ली में जिस जिसको मजदूरी पर काम करना हो उसके साथ चल सकते है। आगले दिन ठेकेदार के साथ गाँव के कई परिवार रोजगार के लिए आ गए। इसतरह शहर से निर्माण मज़दूर का पलायन होता हैं।"[62]

रामकली बताती है कि-

"गाँव से हमारे समुदाय के लोग बड़ी मात्रा में शहर आ रहे थे। कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार नहीं मिल रहा था। जिनके पास गांव में खेतिहर भूमि थी वह इतनी कम व अपर्याप्त थी कि इससे पूरे परिवार का गुजारा करना नामुमकिन था। ठेकेदार ने गांव के पुरुषों को शहर में रोजगार उपलब्ध कराने बात की थी। इसलिए रामकली के समुदाय के कई पुरुष मज़दूर अपने बीवी बच्चों के साथ ठेकेदार के द्वारा शहर आ गए।"

---

[59] निर्माण मज़दूर चौक को नाका भी बोलते हैं। यह वो स्थल होता हैं जहाँ पर निर्माण मज़दूर रोजगार के लिए सुबह आ जाते हैं और कार्य के लिए ठेकेदार का इंतजार करते हैं। जिस ठेकेदार को जरूरत होती हैं वो यह आते हैं और तय वेतन कर मज़दूर को अपने साथ कार्यस्थल पर ले जाते हैं।

[60] शहर में कोई दुसरे कार्य के ना मिलने व अन्य कार्य के लिए आवयश्क योग्यता ना होने की वजह से कुसुम और उसका पति निर्माण कार्य में शामिल हो गये।

[61]आशा का साक्षात्कार रोहिणी के निर्मण मज़दूर झुग्गी में लिया गया हैं। यह एक विधावा निर्माण महिला मज़दूर हैं।जो रोहिणी में अपने पति के देहांत हो जाने के बाद अपनी 5 बेटियों के साथ रहती हैं।दिल्ली में अपने पलायन के अनुभव को साँझा करती हैं।

[62] रामकली 28 वर्षीय निर्माण महिला मज़दूर हैं जो जे एन यु में निर्माण मज़दूर झोपडी में रहती हैं।पिछले 2 वर्षो से शरीर में हमेशा दर्द होने की वजह से निर्माण कार्य नहीं करती।शहर में रामकली और उसके पति अन्य मजदरो के साथ दिल्ली में रोजगार के लिए ठेकेदार के साथ आये थे।

नूरजहाँ[63] शहर में अपने पलायन के अनुभव के बारे में बताती है कि-

> -हमारे माता"पिता शुरू से दिल्ली में मजदूरी का काम करते थे। हमारी शादी अलीगढ़ में हो गई इसलिए अलीगढ़ में आ गए। यहाँ पर पति और हम दोनों निर्माण कार्य करते थे। वहां पर 150 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी। इतनी कम मजदूरी में वहां गुजारा नहीं हो पा रहा था। इस कारण हम पत्नी व बहनोई और सास , पति) (ससुर पूरा परिवारदूसरे रोजगार की तलाश में दिल्ली में आ गए। दिल्ली में कोई नहीं जानता था इसलिए रोजगार नहीं मिल सका। तो हम परिवार के लोग यहाँ पर भी निर्माण कार्य करने लगे।"[64]

इस तरह दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाली महिला मज़दूर का दिल्ली में पलायन होता हैं।

3.2 **महिला मज़दूरों का निर्माण कार्य अपनाने के कारण**

हाल के वर्षों में कमोबेश हर सरकारें अपने घोषणापत्र में श्रम के क्षेत्र में भागीदारी में -गुणवत्ता के विकास के लिए किसी भी विशेष कार्य में दक्षता हासिल करने की चूल कोशिशें भी -घोषणाएं काफी देखने को मिलती है। सरकारों ने इस दिशा में आमूल महिलाओं ,की है। परंतुके दक्षता विकसित करने के विषय में अधिक जोर सिलाई-साथ इसका -बुनाई या इससे मिलते जुलते कार्यो के प्रति अधिक है। इसके साथ-कढ़ाई फायदा लेने की कागजी प्रक्रिया इतनी जटील है कि पलायन करने आ रही महिलाओं पलायन करके :को इसका कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाता है। परिणामतआई हुई महिलाएं निर्माण कार्य के तरह रूख करती है क्योंकि यहां जो कार्य उनसे कराये जाते है उसके लिए विशेष दक्षता की जरूरत नहीं होती है। दूसरानिर्माण कार्य में तकनीकी ,

---

[63] नूरजहाँ दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास बनने निर्माण चौक पर रहती हैं और निर्माण कार्य करती हैं। नूरजहाँ अपने पुरे परिवार के साथ दिल्ली में रोजगार के लिए आये हैं। नूरजहाँ का साक्षात्कार दिल्ली के सराय काले खां के पास बनने निर्माण चौक पर लिया गया हैं।

[64] नूरजहाँ से बातचीत के आधार पर

कार्य को महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं मान जाने के कारण भी इस दिशा में जरूरी कदम नहीं उठाए जाते है।

यहां यह एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि पलायन करके आ रही महिलाएं निमार्ण कार्य के अलावा अन्य कार्यों मसलन घरेलू महिला श्रमिक के कार्य के तरफ क्यों रूख नहीं कर पाती है। वह कौन सी सामाजिक या व्यवहारिक विवशता है जो महिलओं को घरेलू कार्य सहायिका के कार्य करने से रोकता है?

अधिकतर निर्माण महिला मज़दूर कृषि क्षेत्र या परपरंगत रोजगार के क्षेत्र से निर्माण कार्य के तरफ शहरों में आई है। सराय काले खां में नूरजहां[65] नाम की महिला मज़दूर अपने माता पिता के साथ बचपन से निर्माण कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही-थी। तारा[66] को बच्चे ना होने पर इसके पति के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई। पति के घर से निकला दिए जाने के कारण सीमा अपने गुजर करने के लिए मिस्त्री के साथ शहर में आ गई थी, यह पर मजदूरी का काम करती थी। परन्तु कमज़ोर और आयु के अधिक हो जाने के कारण कोई ठेकेदार काम पर नहीं ले जाता था।

[65] नूरजहाँ बताती हैं की उनके घर में माता पिता भी यही कार्य करते थे इसलिए निर्माण कार्य क्षेत्र नूरजहाँ के लिए नया कार्य क्षेत्र नहीं था।

[66] तारा, झाँसी की रहने वाली एक 46 वर्षीय निर्माण महिला मजदुर हैं।जो कार्य के लिए निर्माण चौक पर ही रहती है। परन्तु आयु अधिक होने के वजह से ठेकेदार मजदूरी के लिए नही ले जाता। तारा का साक्षात्कार सराय काले खां में बनने निर्माण चौक में लिया गया हैं।

छतरपुर में कार्य कर रही रानी और कुसुम[67] दोनों ही चारा काटने की मशीन फैक्ट्री में कार्य करती थी। मशीन फैक्ट्री के बंद हो जाने के कारण कुसुम और रानी निर्माण कार्य क्षेत्र में शामिल हो गई। छतरपुर में निर्माण कार्य में शामिल कुसुम निर्माण कार्य में शामिल होने के अनुभव को साझा करते हुए कहती है कि -

> "जब 25-साल पहले हम दिल्ली आये थे तो हम पति पत्नी दोनों निर्माण कार्य 26 में बेलदारी का कार्य करते थे। पति मिस्त्री के साथ रहते थे ,मिस्त्री का कार्य सीख गये और फिर बेलदारी से मिस्त्री का कार्य करने लगे थे। हमारे आदमी का (पति) दिमाग बहुत तेज़ हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते थे। काम अच्छा करते थे तो काम भी ज्यादा मिलने लगा था। काम अधिक होने की वजह से कभी-कभी ठेके में भी खुद कार्य ले थे और मजदूरी में लोगों से कार्य करवाते थे। ठेकेदारी का काम अच्छा चल रहा था। इसलिए हमने यह कार्य छोड़ दिया था।"[68]

पिछले कुछ वर्षो से पति की तबीयत ख़राब होने की वजह से, हम घर के पास ही चारा कटाने की मशीन फेक्टरी में कार्य करने लगे थे। परन्तु, वो स्वस्थ हो गये तो हम फिर से निर्माण कार्य में शमिल हो गए।

रानी भी कुसुम के साथ साथ ही निर्माण कार्य करती हैं। रानी को निर्माण कार्य में कुसुम के द्वारा ही लाया गया हैं। चारा काटने की फैक्ट्री बंद होने के कारण कुसुम रानी के साथ निर्माण कार्य में शामिल हो गई। इस कार्य में शामिल होने के बारे में रानी बताती है कि-

---

[67] रानी छतरपुर में निर्माण कार्य करने वाली महिला मज़दूर हैंरानी निर्माण कार्य में पहली बार शामिल हुई हैं।इस कार्य से पहले रानी ने कभी निर्माण कार्य नहीं किया थारानी का साक्षात्कार छतरपुर में रोड बनने के सरकरी निर्माण कार्य स्थल पर लिया गया हैं।

[68] कुसुम और उसका पति दोनों निर्माण कार्य में बेलदारी का ही कार्य करते थे।कुसुम बताती हैं की वो अज भी निर्माण कार्य में मजदूरी कार्य कर रही है जबकि उसका पति ठेकेदार बन चुका हैं :पति के बीमार होने की वजह से कुसुम पुन:निर्माण कार्य में शामिल हो जाती हैं।

अशिक्षित होने की वजह से कोई काम ,निर्माण कार्य में मजबूरी में शामिल हुए है" दूसरे कार्य करने की योग्यता नहीं थी। जिस वजह से निर्माण कार्य ,मिलता नहीं था में शामिल होना पड़ा। निर्माण कार्य में थोड़ा पैसा अधिक हैं और दूसरा इस कार्यको करने के लिए विशेष कौशल की जरूरत नहीं है।"[69]

इसी बातचीत के बीच में कुसुम कहती हैं कि -

-पढे,हम लोग गरीब हैं"लिखे भी नहीं हैं। किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं हैं पास में। कहाँ से मशीन चलना सीखेगे। निर्माण कार्य क्षेत्र में किसी कार्य के ज्ञान के बिना काम मिल जाता हैं।"[70]

रोहिणी में निर्माण कार्य में कार्य करने वाली आशा[71] बताती है कि-

दूसरा काम करने में हमे कोई दिक्कत नहीं हैं हम तो मज़दूर इंसान हैं रोजगार के " लिए ही दिल्ली घर से इतनी दूर आये हैं। अन्य काम जैसे घरेलू कार्य में उन नोकारों को ही काम पर रखते हैं जिन्होंने साफ-सुथरे कपड़े पहने होते हैं। मज़दूर अपना जैसे-तैसे गुजारा कर लेता है। इतनी काम मजदूरी में हमें अपने बच्चे पलाना मुशिकल हो जाता हैं, ऐसे में साफ़-सुथरे कपड़े कहां से लेकर आए। निर्माण कार्य में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती और पैसा भी रोज मिल जाता हैं।[72]

आशा बताती है कि-

वह निर्माण कार्य छोड़कर अपनी बेटियों के साथ घरेलू काम करना चाहती हैं। पर " "उनका पहनावा देखकर उनको कोई काम पर नहीं रखता है।[73]

सुमन[74] निर्माण कार्य के अपने अनुभव और परेशानी के बारे में बताती है कि-

---

[69] रानी जो निर्माण कार्य में पहली बार शामिल हुई हैं। इस कार्य में आने के लिए कारण बताती हैं की इस कार्य में आसानी से काम मिल जाता हैं। किसी तरह की कोई योग्यता भी नहीं चाहिए होती।

[70] कुसुम जो रानी के साथ ही सराय काले खां में निर्माणकार्य करती हैं।

[71] आशा रोहिणी में बननी निर्माण झोग्गी में रहती हैं। निर्माण कार्य के आलावा घरेलू कार्य में कार्य करना चाहती हैं। परन्तु, इस कार्य में समस्या के कारण शामिल नहीं हो पा रही।

[72] आशा से हुई बातचीत के आधार पर

[73]

"निर्माण कार्य तो उसकी नियति ही बन चुका हैं। एक ही बेटा था जिसका सहारा था। बेटा कमाने लगेगा तो वो और उसका पति निर्माण कार्य छोड़ देंगे। यही सोच कर निर्माण कार्य करते थे। परन्तु, उनकी किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था ,पिता की तबियत ख़राब होने की वजह से माँ और उसका बेटा ठेकदार के साथ निर्माण कार्य में गये थे। छत पर लेंटर का काम चल रहा था। जहाँ आशा का बेटा तसले में कंकड़ से भरा तसला डालने के लिए गया था। छत पर बिजली की तार पड़ी हुई थी। पानी में पड़ी होने की वजह से छत पर करंट आ गया। छत पर आशा का बेटा गया तो वो करंट के झटके में आ गया। जिस वजह से वो आधे शरीर से विकलांग हो गया था। बेटे के इंलाज और घर के खर्चे में पति की सहायता के लिए आशा पुनः निर्माण कार्य में आ गई।[75]

JNU में चल रहे निर्माण कार्य में काम करने वाली सीमा कहती है कि-

"गाँव में उनके ससुर के पास जमीन थीबंटवारे के बाद जो जमीन हिस्से में आई , वो खेती के लिए बहुत कम थी। इसलिए हमलोगगाँव से ठेकेदार के साथ दिल्ली आ गये। निर्माण कार्य में दोनों के वेतन को मिलकर रूपये बनते हैं जो की 600 गाँव की कृषि से आई आय से अधिक हैं। इस इनकम से हम अपने बच्चो को दोनों टाइम खाना दे सकने में समर्थ हैं। अभी बच्चे छोटे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है।"[76]

इस तरह निर्माण महिला मज़दूर गरीबी ,कृषि पर आधारित रोजगार में कमी ,अशिक्षा , कृषि में मुनाफे में लगातार कमी आने के वजह से अपने परिवार के साथ शहरों के तरफ पलायन करने के लिए विवश है। निर्माण क्षेत्र में कार्य करती हुई महिलाओं के अनुभव कई तरह के समस्याओं को सतह पर उभार कर ला देती है ,जिनको सूत्रबद्ध करते हुए , -कहा जा सकता है कि

---

[74] सुमन रोहिणी में बनने निर्माण झोग्गी के पास ही त्रिपाल का टेंट बना कार अपने पति और एक बेटे के साथ रहती हैं। एक बेटा जो विकलांग हैं, उस बेटे के इलाज के लिए सुमन अपने पति के साथ निर्माण कार्य करती हैं रोहिणी में ही निवास स्थल के पास ही ताकि लंच के दौरान अपने बेटे की देखरेख के लिए आ सके।

[75] सुमन से हुई बातचीत के आधार पर

[76] सीमा जेएन यु में फूटपाथ के निर्माण कारे में शामिल महिला मज़दूर थी जो ग्वालियर की रहने वाली हैं। यह अपने बच्चो के भविष्य को लेकर बहुत चिन्तितं थी।

1. निर्माण कार्य में शमिल महिला मज़दूर विवाह के बाद ही इस कार्य में शामिल होती हैं।
2. निर्माण कार्य वह कार्य-स्थल हैं जहाँ पति-पत्नी और बच्चे पूरा परिवार एक साथ रोजगार के लिए पलायन करता हैं। जबकि अन्य कार्यों में पहले पति रोजगार के लिए शहर आता हैं और पत्नी गाँव में पति के चले जाने के बाद घर की देखभाल करती हैं।
3. निर्माण कार्य-स्थल में शामिल महिला मज़दूर के साथ उसका पूरा परिवार कार्यस्थल पर होता हैं, कार्य-स्थल पर महिला मज़दूर एक श्रमिक,पत्नी और माँ सब की भूमिका एक साथ अदा कर रही होती हैं। जबकि अन्य कार्य-स्थल में कार्यरत महिला को इसतरह की भूमिका से आजादी मिल जाती है।
4. कार्यस्थल पर भी महिला मज़दूर के पास अपने श्रम और उसकी कीमत को तय करने की स्वतंत्रता नहीं होती। इस कार्य क्षेत्र में महिला के श्रम की मजदूरी उसका पति या परिवार का सदस्य तय करते है।

3.3 **निर्माण महिला मज़दूरों के रहनसहन का वातावरण-**

आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य ही नहीं जानवरों के लिए भी किसी न किसी प्रकार के आवास की आवश्यकता होती है किंतु मनुष्य को आवास के साथ ही उसमें कुछ सुविधाओं का होना भी अपेक्षित है। यदि आवास सुविधाजनक होता है तो वहां मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक रहती है वहीं उसकी कार्यक्षमता पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अनुपयुक्त आवास की स्थिति में श्रमिक में असंतोष का वातावरण निर्मित होता है साथ ही उसकी कार्यक्षमता के उपर

भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। जिसका कि मृत्यु दर पर भी असर पड़ता है। औधोगीकरण के दौर में श्रम के क्षेत्र में संगठित क्षेत्र में आवास संबंधी स्थिति तो कमोबेश अच्छी दिखती हैं किंतु असंगठित क्षेत्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

मैंने अपने शोध अध्धयन के लिए महिला मज़दूर के साक्षात्कार की शुरुआत दिल्ली के JNU की नव निर्माण बिल्डिंग से की। JNU दिल्ली के पूर्व दक्षिण दिशा में महरौली रोड मुनिरका के पास स्थित है| JNU में पहुंचने के लिए यातायात की सुविधा बहुत ही अच्छी है। JNU एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, यहां पर टीचर और विद्यार्थी दोनों ही निर्माण मज़दूरों के हित के लिए प्राय प्रयासरत रहते हैं।

सीमा व रामकली जो JNU के निर्माण कार्य स्थलों पर काम करती है।-सीमा का इंटरव्यू 20 नवंबर 2017 को जेएनयू के उत्तरी वीसी गेट के समीप लिया गया .। सीमा के अलावा इस कार्यस्थल पर अन्य और चार महिलाएं JNU में बने फूटपाथ पर पेंट का कार्य कर रही थी। पास में पेड़ के नीचे 5 बच्चो में से से दो बच्चे सो रहे थे तथा बाकी के तीन बच्चे सर्दी की धूप में आधे-अधूरे पहने हुए कपड़ो में खेल रहे थे। एक बच्चा बनियान में खेल रहा था। बाकी के बच्चे फटे हुए निक्कर में थे। एक भी बच्चे के तन पर पूरा कपड़े नहीं था। महिला मज़दूर के भी वस्त्र फटे हुए थे और गंदे थे।

महिला मज़दूर के कपड़े गंदे होने का कारण एक तो यह हो सकता हैं कि इन मज़दूर का कार्य ही धूल मिट्टी वाला होता हैं। पूरे दिन ही धूल मिट्टी में कार्य करना पड़ता हैं। दूसरा कारण यह भी हैं कि निर्माण मज़दूर खुली जगह पर रहते हैं। वही पर नहाते

धोते हैं। पुरुष मज़दूर तो खुले में स्नान आसानी से कर लेते हैं परन्तु महिला मज़दूर स्नान भी नहीं कर पाती क्योंकि निवास स्थल खुल रहता हैं। JNU में कार्य कर रही सभी महिला मज़दूर से बात नहीं हो सकी क्योंकि सभी मज़दूर अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। केवल सीमा का ही साक्षात्कार लेना संभव हो सका। यह मज़दूर अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हमारी और सीमा के बीच होने वाले बातचीत को सुनने के लिए बाकी की चार महिलाएं भी अपना कार्य छोड़कर आ गई। परंतु ,5 मिनट बाद पुनः वो मज़दूर अपने काम पर पुनः वापस चली गई।

सीमा व अन्य 4 महिलाओं की बोली भाषा व परिधान लगभग एक जैसे थे। लगभग 4 महीने पश्चात JNU में मैंने पुनः एक अन्य निर्माण महिला मज़दूर का इंटरव्यू लिया। रामकली JNU में पश्चिमबाद बस स्टॉप की सड़क के दूसरी किनारे पर मज़दूरों के लिए बनी 3 कच्ची झुग्गियों में से एक में रहती हैं। बाकी की दो झुग्गियां खाली थी। 26 मार्च को शाम के 5:00 बजे मैं इस महिला मज़दूर के पास अपनी एक दोस्त के साथ गई। यह महिला झुग्गी के बाहर चारपाई पर लेटी हुई थी।

मैंने पूछा- क्या हुआ ?

रामकली ने बताया कि -पिछले 2 सालों से लगातार हड्डियों में दर्द होने की वजह से बीमार थी जिस कारण पिछले 2 वर्षों से रामकली ने निर्माण कार्य करना छोड़ा हुआ था।

रामकली बुंदेलखंड की रहने वाली थ। वह अपने मातापिता के साथ बचपन से दिल्ली में - रही थी। इसलिए वह हिंदी भाषा में बात कर रही थी। कच्ची ईट व मिट्टी से बनी झुग्गी जिसकी छत पर सीमेंट की चादर पड़ी हुई थी। बाहर मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था तथा चूल्हे के पास सूखी हुई झाड़ियां पड़ी हुई थी। एक पानी की टंकी रखी हुई थी। इनके तीन

बच्चे दो लड़कियां एक लड़का जो JNU में विद्यार्थियों के द्वारा इन मज़दूरों के बच्चों) पढ़ने के लिए जा रहे थे (को फ्री में ट्यूशन दी जाती थी। इस महिला मज़दूर ने व इन के बच्चों ने अन्य निर्माण मज़दूरों की तुलना में साफसुथरे पूरे वस्त्र- पहने हुए थे।

अन्य दो झुग्गियां खाली होने की वजह बताते हुए रामकली कहती हैं कि अभी बाकी के निर्माण मज़दूर अपने गांव गए हुए हैं। क्योंकि JNU में अभी निर्माण कार्य नहीं चल रहा। रामकली का पति दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के पास कार्य करने के लिए जाता है। यदि JNU से बाहर यदि कहीं रहेंगे तो वहां पर JNU की तरह सुरक्षित वातावरण व पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। बाहर रहने के लिए किराया भी देना पड़ेगा, इसलिए ठेकेदार की मदद से यह लोग JNU कि इस झुग्गी में रह रहे हैं।

इसी ठेकेदार का कार्य पलाम एयरपोर्ट के पास चल रहा हैं। JNU में जब निर्माण कार्य चल रहा था तब इनका पति ठेकेदार से ठेका ले कर अन्य मज़दूरों से टाइल लगाने का कार्य करवाता था। ठेकेदार 300 रू .रामकली के पति को मजदूरी देता है। रामकली पहले निर्माण कार्य क्षेत्र में बेलदारी का काम करती थी।

को अन्य निर्माण म 2017 नवंबर 21हिला मज़दूर के इंटरव्यू के लिए एक दोस्त के बताए गए सराय काले खां बस अड्डा के फ्लाईओवर के नीचे निर्माण मज़दूरों के चौक गई। मेरे दोस्त ने बताया था कि सराय काले खां बस अड्डे चले जाओ वहां पर फ्लाईओवर के नीचे निर्माण मज़दूरों का चौक है। जहां पर बहुत सारे मज़दूर कार्य की तलाश में वहां पर आते हैं और कार्य ना मिलने पर कई मज़दूर वहीं पर रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मज़दूर प्रवासी मज़दूर है जो गांव से शहर में रोजगार की तलाश में आते हैं। शहर में रोजगार व रहने की व्यवस्था ना होने तक यह लोग इसी फ्लाईओवर के

नीचे बनने इस चौक में रहने लगते हैं। निर्माण कार्य करने के लिए किसी तरीके की कोई योग्यता की आवयश्कता न होने कारण व सरलता से उपलब्ध होने की वजह से ज्यादातर प्रवासी मज़दूर निर्माण कार्य क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं।

मैं सराय काले खां इंटरव्यू के लिए बस से गई थी। इस चौक के आसपास गाड़ियों, यात्रियों की बहुत आवाजाही थी। इस फ्लाईओवर के पास में ही सराय काले खां बस अड्डा हैं। मैं इस स्थान पर करीब 2: ,बजे पहुची 00इस समय इस चौक से कई निर्माण मज़दूर,ठेकेदार के साथ निर्माण कार्य क्षेत्र में चले गए हुए थे। बाकी के निर्माण मज़दूर फ्लाईओवर के नीचे कोई सो रहा थे2 तो कोई ,-मज़दूर समूह बनाकर आपस 4 में बातचीत कर रहे थे। मेरा निर्माण कार्य शोध अध्ययन महिला मज़दूर पर आधारित है। इस वजह से मैं महिला मज़दूर की तलाश करने लगी|। 10-15 मिनिट इधर उधर महिला मज़दूर की तलाश करने के पश्चात मुझे 3 -4 महिलाओं व पुरुषों का एक समूह दिखाई दिया। एक पुरुष से पूछने पर की निर्माण महिला मज़दूर कहां मिलेंगी ? तो उस पुरुष को लगा कि हम उन्हें निर्माण कार्य क्षेत्र में ले जाने के लिए आए हैं। तो उन्ही चार पांच महिलाओं व पुरूषों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ बैठे लोगोंजिनको मैंने पहले ही देख लिया था परन्तु अपना शक यकींन में बदलने के) निर्माण कार्य करते हैं (लिए मैंने उस आदमी से पूछा था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी कार्य स्थिति पर शोध अध्ययन कर रही हूं। उन्होंने मुझे पास पड़े पत्थर पर बैठने का इशारा किया तथा पानी के लिए पूछा। इस समूह में नूरजहां नाम की मुस्लिम महिला मज़दूर ,जो उस समूह में युवा थी, उसने बतचित करना शुरू किया।

इस समूह में नूरजहां अपनी सास पति व बहनोई के साथ बैठी हुई थी। इनके जैसे और भी कई मज़दूर कुछ दूरी पर बैठे थे। इसी समूह के पास बैठी अन्य महिला मज़दूर जो दिखने में बहुत ही कमजोर थी। इस महिला का नाम तारा था, इस वृद्ध महिला से कुछ मज़दूर हंसी मजाक कर रहे थे। जब मैंने इस महिला से बात की तो यह बहुत ही गुस्से में प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। बार -बार यह कह रही थी कि-

> निर्माण कार्य के लिए मुझे"ले चलो मैं बेलदारी कर लूंगी जो मर्जी हो उतना वेतन दे देना।"[77]

नूरजहां ने बताया -

> "इस महिला को बच्चे नहीं होने की वजह से पति ने घर से निकाल दिया और पति ने दूसरा विवाह कर लिया। इस महिला का गांव में कोई रिश्तेदार ना होने की वजह से यह महिला अन्य मिस्त्री के साथ गांव में शहर रोजगार के लिए आ गई। किसी और काम की योग्यता ना होने के कारण यह महिला निर्माण कार्य क्षेत्र में शामिल हो गई। परंतु, उम्र अधिक हो जाने की वजह से जल्दी कोई ठेकेदार इस महिला को काम नहीं देते। यह महिला पूरे दिन इसी फ्लाईओवर के नीचे बैठी रहती है।"[78]

नूरजहाँ और तारा जो सराय काले खां बस अड्डे के पास फ्लाईओवर के नीचे बने मज़दूर चौक पर रहती हैं। इनके जैसे और भी अन्य मज़दूर रहते हैं। इस चौक के आसपास गड़ियों और लोगो का शोर-शारबा रहता हैं। चौक के दोनों और हाईवे के रोड बननी हुई हैं। जहाँ पर हर वक्त गाडीयो और हॉर्न की आवजे आती रहती हैं। लोगों की आवाजाही हर वक्त बननी रहती है। इस चौक पर जहाँ साधारण आदमी आधे एक घंटे से अधिक - खड़ा नहीं हो सकता। वहां यह निर्माण मज़दूर यही पर रहते हैंखाते बनाते हैं और यही , पर सोने को मज़बूर हैं। यहाँ पर रहने वाली महिला मज़दूर खुले में इस स्थल में रहने

---

[77] तारा से हुई बातचीत के आधार पर

[78] नूरजहाँ से हुई बातचीत के आधार पर

को मज़बुर रहती हैं। कितना मुश्किल होता होगा इन महिला मज़दूर के लिए जो रोड़ पर ही रहती हैं और यही पर सोती हैं। सराय काले खां मके मज़दूर चौक पर रहने वाली नूर जहां इस बारे में बताती हैं।

रेना बसेरे में स्थायी मज़दूरों का कब्जा बना रहता हैं ,वो लोगो गावं से शहर में रोजगार की तलाश में आने वाले मज़दूरों को यहाँ पर रहने नहीं देता। चोकीदार भी उन लोकल मज़दूरों को नहीं भागता वो प्रवासी मज़दूरों को ही परेशान करता हैं। कई बार पुलिस वाले भी रोड में रहने वाले हम मज़दूरों को ही भागती हैं। इस तरह हमको रोड पर पुलिस वाले नहीं रहने देते और रेनाबसेरा में यहाँ के लोकल मज़दूरों का कब्जा रहता हैं। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए ?कही किराये पर मकान भी नहीं ले सकते इतनी आमदनी नहीं होती की किराय भी दे सके और अपना गुजरा भी कर सके। इसलिए हम लोग यही पर रहते हैं ,काम मिलता हैं तो ठेकेदार के साथ चले जाते हैं और वंही रहते हैं ,और जब काम खत्म हो जाता हैं तो दुबारा इस चौक पर ही रहने लगते हैं।

इसी बीच एक मज़दूर मजाक करते हुए कहता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है। अन्य महिला मज़दूर बोलती है कि आंटी मेकअप करके रखा करो तब आपको ठेकेदार ले जाएगा।“[79] तो यह महिला इस लड़की को बुरा भला कहते हुए कहती है किइसने “ शराब पिए हुए हैं। यह गंदी लड़की है मज़दूरों के साथ हंसी मजाक करती है। तो उस महिला को भी ऐसा ही समझ लिया है।“[80]

[79] इसे मैंने खुद देखा और नोट किया

[80] इसे मैंने खुद देखा और नोट किया

सुभाष भटनागर जो निर्माण मज़दूर पंचायत संगम यूनियन के सचिव हैं। उन्होंने रोहिणी सेक्टर में बसी झुग्गियों में रहे रहे निर्माण मज़दूरों का पता बताया था 12। 9 मार्च को मैं व दिल्ली विश्विद्यालय के दोएम .ए.सोशल वर्क के दो विदार्थी सुजीत और नेना के साथ मेट्रो से उत्तरई बैटरी रिक्शा के द्वारा पहुंची ,। नेना और सुजीत अपने सोशल वर्क के तहत इंटरव्यू आधरित प्रोजेक्ट के लिए आये थे। रोहिणी सेक्टर का 12 बड़े भवन बने हुए हैं-इलाका बहुत ही विकसित क्षेत्र है तथा यहां बड़े। विकसित क्षेत्र से मिनट की दुरी पर बसी निर्माण मज़दूरों की झुग्गीया 20ं के लिए उबाडखाबड़ रास्ते से - होकर जाना पड़ता हैं। जगह-जगह गदां पानी भरा हुआ था व कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। बहुत ही छोटी छोटी झुगिया बननी हुई थी ,इस इलाके में बहुत भीड़ थी। जगह-जगह पानी के बर्तन रखे हुए थे।

कई निर्माण मज़दूर इन झुग्गियो में स्थाई रूप से रह रहे थे तो कई मज़दूरों ने त्रिपाल का एक कैंप बना कर रहा रहे थे। झुग्गियों में रहने वाली अधिकतर घरो के इंटरव्यू पर यह निष्कर्ष आया इनमे रहने वाली अधिकतर महिला ने निर्माण कार्य छोड़ दिया था। यह महिलाएं घर से पीस रेट पर काम करती थी इनके पति खुद ठेकदार या मिस्त्री का कार्य करते थे ,यहाँ रहने वाली महिला जो निर्माण कार्य करती भी थी वो लोग काम पर जा चुकी थी। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज़ आई ,जो वहीँ पर अन्य बच्चो के 2 साथ खेल रही थी। पास आकर वो बच्ची बोलती हैं दीदी आप हमारे यहाँ चलिए"। उसकी मम्मी काम पर नहीं गई थी। "आगे-आगे कूदती हुई वो बच्ची मुझे अपने घर ले गई। जहाँ उसके घर के बाहर दो लड़किया पीस बना रही थी, एक कमरे की झुग्गी में एक लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ था। मिट्टी से कमरे का फर्श लिपा हुआ था। एक छोटा पंखा छत पर था जिसका चलना न चलना एक बारबार था। जो हवा कम और आवाज़ ज्यदा

कर रहा था। चौकी पर लेती हुई महिला थी। माँ माँ 2- बोलने पर वो 4महिला ने हम्म में जवाब दिया ,मुझे देख कर जग गई। मैंने कहा कि -सुभाष सर ने भेजा हैं वो जग गई। क्योंकि सुभाष सर और उनकी यूनियन ने इस झुग्गी के निर्माण मज़दूरों के हित में बहुत से कल्याणकारी काम किए हैं।

इस महिला का नाम सुमन था जब इसको बताया कि सुभाष सर ने भेजा है तो इस महिला को यह लगा कि किसी फॉर्म से संबंधित बातचीत के लिए भेजा होगा। क्योंकि 1 दिन पहले ही यह महिला सुभाष भटनागर सर के ऑफिस में श्रमिक मज़दूर से संबंधित फॉर्म को भरने गई थी। यह महिला विधवा महिला थी जिसकी लड़कियां थी 5। इस महिला की दो बड़ी लड़कियां जिनकी उम्र के बीच थी 17 से 15। यह दोनों लड़कियां घर पर नहीं थी। पूछने पर इस महिला ने बताया कि वह लड़कियां झुग्गियों के पास बने फ्लैट में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। वहां पर दोनों लड़कियों को 800रु. प्रतिमाह वेतन मिलता है। इतने कम वेतन पर भी लड़कियों को क्यों काम करने देती हैं? यह पूछने पर सुमन बताती है कि वहां पर कुछ काम नहीं करती बस साफसफाई करती है-। पूरे दिन वही पर रहती हैं। उन्हें दोनों टाइम का खाना मिल जाता है। दिन भर वही पर रहती हैं और शाम को 5:00 बजे आ जाती हैं। कभी-कभी मालिक लड़कियों को कपड़े और कुछ पैसे भी दे देता है। लड़कियां अभी छोटी है इसलिए कोई और काम भी नहीं मिलता।

अन्य तीन लड़कियो के बारे में सुमन आगे बताती हैं 14 से 12 में से दो जिनकी उम्र 3 बीच हैं यह दोनों लड़कियां घर में ही रहती हैं तथा घर में ही पीस रेट के आधार पर कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं। वी लड़की जो हमें लेकर गई थी 5। इस बच्ची की आयु वर्ष की थी 7। यह महिला बताती हैं कि इसके पति की मृत्यु 2013 साल पहले 5 में हो गई थी। इनके पति की मृत्यु कार्यस्थल पर मजदूरी का काम करते हुए हुई थी।

वह सीढ़ियों से ईटे ऊपर ले जा रहे थे जहां पांव फिसलने से सीढ़ियों से नीचे गिर गए। गिरने के पश्चात पास में रखे बड़े पत्थर पर सिर लग गयाजिस कारण उनके सर पर , काफी चोट आई। अस्पताल में एक दो माह इलाज कराने के पश्चात घाव ठीक होने की बजाय और बढ़ गया था। पैसे ना होने के कारण जो दवाइयां डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती थी वह समय पर ना दी जा सकी। जिस कारण घाव और ज्यादा गहरा हो गया। समय पर दवाइयां ना मिलने के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। पति के साथ निर्माण कार्य में ही महिला कार्य करती थी। इसलिए पति की मृत्यु के पश्चात पुनः यह महिला निर्माण कार्य करने लगी। उस दिन विधवा पेंशन का फार्म भरवाना था। इसलिए यह महिला काम पर नहीं गई थी।

इनके घर से निकलने के बाद मेट्रो की तरफ आते समय बने हुए कैंप में एक महिला बर्तन धो रही थी। बात करने पर उस महिला ने बताया कि वह निर्माण महिला मज़दूर है। इस महिला का नाम आशा था। आशा और उसका पति दोनों निर्माण कार्य करते हैं। इनका एक लड़का साल का है 19। कार्यस्थल पर छत मैं मलवा डालते समय बिजली की चपेट में आ गया था। जिस वजह से वह विकलांग हो गया। इसलिए महिला कैंप के आसपास ही काम करती है और लंच के समय अपने बेटे को देखने के लिए चली आती है। सुबह अपने बेटे के लिए खाने व पानी बेटे के पास में रख कर चली जाती है। कैंप में अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि कैंप बहुत ही छोटा था जहां पर मुश्किल से एक इंसान खड़ा हो सकता था। कैंप के बाहर चूल्हा बना हुआ था। बाहर एक डब्बे में पानी पड़ा हुआ था तथा बर्तन पड़े हुए थे। जिससे महिला धो रही थी। इस महिला को पुनः अपने कार्य स्थल पर जाना था इसलिए इस महिला से मिनट से अधिक बातचीत नहीं हो स 15की।

शोध कार्यस्थल में यह बात उभरती हैं कि इस कार्य में शामिल मज़दूर महिला अपने परिवार के साथ कार्यस्थल में यह फिर रोड के किनारे त्रिपाल से टेंट बना कर रहते हैं। इस तरह निर्माण महिला मज़दूर खुले में ही रहने को मज़बुर रहती हैं। उनका कार्य ही ऐसा हैं जिसकी वजह से वो एक जगह स्थायी नहीं रह पाते। अधिकांश महिला श्रमिक जिन जगहों पर रहती है उनको आवास कहना ही कठिन है। अधिकांश महिला मज़दूर कार्यगत परिस्थितियों के कारण और नियोक्ता के उचित आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण बस किसी तरह रहने को मजबूर है।

3.4 **निर्माण महिला मज़दूर के कार्य और बच्चे**

निर्माण कार्य क्षेत्र में महिला मज़दूर के साथ उसके बच्चे भी आते हैं जो कार्यस्थल पर ही आसपास मौजूद होते है या खेलते रहते हैं। जाहिर है निर्माण कार्य क्षेत्रों में महिला मज़दूरों के बच्चो के लिए कार्यस्थल में क्रेच की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। गौरतलब है कि महिला मज़दूरों के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा की मांग आजादी के पूर्व के दशकों से ही प्रमुखता से रही है। जो आजादी के बाद कहींकहीं संगठित महिला मज़दूरों के लिए - असंगठित महिला मज़दूरों के बच्चों के लिए यह सुविधा नहीं के ,तो उपलब्ध है परंतु बराबर है।

एक जगह पर स्थायी पता ना होने के कारण यह महिला मज़दूर के बच्चों की स्थिति के बारे में सुजाता माधोक लिखती है कि हैं इस कार्य स्थल में निर्माण कार्य भी एक

विरासत के रूप में पीढी दर पीढी चलती रहती हैं।[81] निर्माण मज़दूरों के स्थाई पता ना हो पाने की वजह से उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रहा जाते हैं। जिन मज़दूरों का अपना स्थायी पता होता भी हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उनके बच्चो को शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। वजह यह कि निर्माण मज़दूर अपने बच्चो की शिक्षा या भोजन में से किसी एक का खर्चा उठा सकते हैं। इस तरह निर्माण मज़दूर के बच्चे भी अशिक्षित रहा जाते हैं। लडकिया घरेलू कार्य करती हैं व अपने छोटे भाई बहन या-परिवार के घरेलू देखभाल करती है।

नहीं तो बच्चों को अपने माता-पिता के साथ कार्यस्थल पर जाना पड़ता है। कभीकभी - देखते-धीरे देखते-पिता को कार्य करते देख धीरे-वह माताकुशल कारीगार बन जाता हैं जबकि लड़कीयां सर पर उठा कार मिस्त्री को देना ईट पत्थर को तोड़ना इत्यादि का कार्य करती हैं और अकुशल कारीगर ही बनी रहा जाती हैं।

नूरजहाँ और रामकली बताते हैं कि

> "बचपन में उनके घर में यह कार्य उनका परिवारिक कार्य के रूप में चला आ रहा हैं। यह कार्य उनके माता पिता करते थे और वो घर व छोटे भाई बहनों की - देखभालकरती थी। कभी काम पर जाती तो कभी घर संभालती थी। शादी हो जाने के बाद निर्माण कार्य में शमिल हो गई।"[82]

सराय काले खां में निर्माण कार्य करने वाली नूरजहाँ जो अपने परिवार के साथ रहती हैं उनका परिवार भी उनके साथ ही रहता है।

---

[81] sujata madhok,Natioanl commision for women,Rep[ort on the status of women workers in construction Industry,New delhii,p.30

[82] नूरजहां और रामकली के बातचीत के आधार पर

शहर में तो प्रतिदिन कुआं खोदते हैं पानी पीते हैंयह इस मुहावरे का नूरजहाँ इस बात के) लिए किया की शहर मेंदैनिक आय में रोज काम करते हैं और जो आय आती हैं उसको जीवन के निर्वाह के लिए रोज खर्च कर देते हैं। जिस वजह से कोई बचत नहीं हो पाती। यदि कोई बचत होती भी तो बच्चो को स्कूल भी भेज देते और थोड़ी बहुत जो बचत होती हैं भी उसको देर सवेर की पड़ने वाली मुसीबात से निपटने के लिए रखते हैं।

आशा की लडकिया हैं उ 5नके बारे में वह बताती है कि-

> "उसकी दो बड़ी लड़कीया फेल्ट्स में घर का कार्य/नौकरानी का कार्य करती हैं। जहाँ पर उनकी लकडियो को रुपया मिलता हैं और खाने को खाना और पहने को 800 कपड़े मिल जाते हैं। जब वो कार्य(प्रेमलता)पर चली जाती हैं और बड़ी दोनों लड़कियां भी काम पर चली जाती हैं तो वो घर के कार्य करती हैं और घर से ही पीस रेट काम करती है। छोटी उम्र हैं जिस वजह से वो उन लड़कियों को कोई काम पर भी नहीं रखता। एक छोटी लड़की हैं जो सिर्फ पांच साल की ही हैं वो स्कुल नहीं जाती हैं।"[83]

आशा आगे कहतीं हैं कि-

> वह" किसी भी लड़की को नहीं पढ़ा सकी। विधवा औरत के बच्चों की परवरिश करे या उनको स्कुल भेजे। दोनों का खर्च नहीं उठा सकती इसलिए सभी लडकियों को काम पर लाग् दिया ताकि घर का गुजारा हो सके।"[84]

JNU में निर्माण कार्य करने वाली अन्य महिला मज़दूर सीमा बताती हैं-

> "जब भी हम यहाँ पर पढे-लिखे लोगो को देखते हैं तो दिल में एक ही सवाल उठता हैं कि क्या हम भी अपने बच्चो को इस काबिल बना पायेगे ?क्या कभी उनको स्कूल भेज पायेगे। गावं में यदि रोजगार होता तो अपने बच्चो को स्कूल भेज देते। परन्तु शहर में पति-पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं फिर भी बच्चो को स्कूल भेजना तो दूर उनको दोनों समय अच्छा भोजन भी नहीं दे सकते।[85]

---

[83] आशा से हुई बातचीत के आधार पर

[84] आशा से हुई बातचीत के आधार पर

[85] सीमा से हुई बातचीत के आधार पर

भवन निर्माण क्षेत्र में महिला मज़दूरों के साथ बच्चों को लेकर कई तरह की समस्याएं और चिताएं हमेशा लगी रही है। घर की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण या घर होने के बाद भी घर पर कोई बच्चों का देखभाल करने वाला सदस्य नहीं होने के कारण अपने साथ कार्य स्थल पर ही ले जाना पड़ता है। घर पर अगर बड़े बड़ों के सहारे छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाएतो बड़े बच्चे स्कूल नहीं जा सकते है। इन , कारणों से बच्चे के भविष्य पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह कभी शिक्षित ही नहीं हो वे बाजार में नहीं ,पाते। शिक्षा के अभाव में उनको भी उसी क्षेत्र में आना पड़ता है और उन्हें भी अकुशल मजद ,टीक पाते हैूरी करनी पड़ती है। जाहिर तौर पर एक कुचक्र के सरीखे है जिसमें फंस गये तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। भारतीय राजनीति या देश के अन्य कई व्यवसाय में वंश के काम को संभालना गौरवशाली माना जाता है पर असंगठित क्षेत्र का श्रम वह क्षेत्र में जहां उनके बच्चों के पास ,अन्य कोई विकल्प ही नहीं हैवह चाहकर भी अन्य विकल्पों को नहीं अपना सकता है। ,

3.5 **निर्माण कार्य की खोज**

निर्माण कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या महिलाओं को काम मिलने की रहती है। क्या पता काम मिलेगा या नहीं मिलेगाइस आस में महिलाएं विभिन्न ? चौकया नाके पर खड़ी रहती हैयहां पर भी कुछ महिला विरोधी लोग उनको खड़े , रहने नहीं देते है। ठेकेदार को अगर जरूरत होती है तो लेने आता है जिसमें भी वह अधेड़ उम्र वाली महिला को काम पर नहीं ले जाता है क्योंकि उनका सोचना है कि अधिक उम्र वाली महिला काम ढंग से नहीं कर सकतीी है। कई ठेकेदारों का भी कहना

है कि महिलाओं की आवश्यकता होती है पर महिलाएं अकेले काम नहीं जाना चाहती इस वजह से भी काम नहीं मिल पाता। निर्माण मज़दूर कार्य के लिए विभिन्न चौक वा नाका में जाकर खड़े हो जाते हैं सुबह के समय| कई मज़दूरों को ठेकेदार के द्वारा कार्य का पता चलता है।

भवन निर्माण क्षेत्र में काम मिलने के संबंध में नूरजहां बताती है कि-

> "वह लोग सुबह 8:बजे काले खां बस अड्डे के पास बने चौक में परिवार के साथ 00 चले जाते हैं। यहां पर बहुत से ठेकेदार आते हैं जिस ठेकेदार को मज़दूर की आवश्यकता होती है वह अपने साथ ले जाता है। ठेकेदार के द्वारा शहर में नहीं लाए गए हैं। इसलिए कई बार नूरजहां के परिवार को नियमित रूप से काम मिलने में मुश्किल होती है। "[86]

इसी तरह कुसुम बताती है कि -

> सालों से बीमार होने के कारण 3 उसका पति खुद ठेकेदारी का काम करता था परंतु" उसके पति नेकाम छोड़ दिय। कुसुम अपने पति के द्वारा दूसरे ठेकेदार से काम दिलाया जाने पर निर्माण कार्य क्षेत्र में शामिल हो गई। कुसुम को सरकारी काम मिला। कुसुम ने रानी को भी अपने साथ काम पर रखवा लिया था।[87]

कुसुम आगे बताती है कि -

> "बीच में कई वर्षों तक निर्माण कार्य में शामिल ना होने की वजह से वह किसी मज़दूर को नहीं जानती थी। इसलिए उसने रानी को भी साथ में काम पर लगवा लिया ताकि दो महिलाएं जानकार होंगी तो साथ का मज़दूर या मिस्त्री कार्यस्थल पर गलत बात नहीं करेगा।"[88]

आशा बताती है कि -

---

[86] नूरजहां से हुई बातचीत के आधार पर
[87] कुसुम से हुई बातचीत के आधार पर
[88] कुसुम से हुई बातचीत के आधार पर

"वह लोग शुरू से ही एक ही ठेकेदार के पास कार्य करते हैं। ठेकेदार ही निर्माण कार्य क्षेत्र में कार्य बताता है इसलिए कार्य की खोज के लिए उसको को कहीं आना जाना नहीं पड़त। कार्य के होने पर ठेकेदार ही अपने कार्यस्थल पर ले जाता है।"[89]

सुमन काम मिलने के विषय में अपना अनुभव साझा करती है कि -

"बिना घर के किसी पुरुष के उसे कार्य खोजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है विधवा महिला चौक पर भी नहीं खड़ी हो सकती। वहां पर पुरुष चारों और होते हैं और वह लोग घूरने लगते हैं व गालीगलौज में बात करते हैं-। जहां भी निर्माण भवन का कार्य चल रहा होता है वहां पर खुद जाकर कार्य में रखने की बात करती है। जिसके साथ शुरू में ठेकेदार के पास काम करती थी पति की मृत्यु हो जाने पर ठेकेदार ने सुमन के साथ गलत रवैया अपना लिया था। कार्यस्थल पर गाली गलौज करता था इसलिए सुमन ने उस ठेकेदार के साथ काम करना छोड़ दिया था। यदि ठेकेदार के साथ काम करते तो एक बात का अवश्य लाभ रहता हैं। प्रतिदिन कार्य मिल जाता हैंज्यादा दिन बिना कार्य के नहीं रहना पड़ता ,।" [90]

जाहिर है भवन निर्माण श्रम क्षेत्र में महिलाओं को रोज के रोज काम मिलना कठिन यथास्थिति की व्याख्या है। सामाजिक परिस्थितियां भी उनको काम से दूर रखती है। अकेली महिला काम पर नहीं जा सकती। महिलाओं मज़दूरों का केवल महिला मात्र होना ही उनके लिए विपरीत परिस्थिति बना देता है। परिणामस्वरूप कई बार दिनभर काम के तलाश में चौक पर खड़े रहकर शाम को खाली हाथ घर भी लौट जाना पड़ता है।

3.6 **निर्माण कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कार्यस्थिति-**

महिला श्रमिक को लैंगिक भेदभाव व जेंडर आसमानता का सामना दूसरे कार्य क्षेत्र की तुलना में इस कार्य क्षेत्र में अधिक करना पड़ता हैं जैसे की इस कार्य में निर्माण महिला मज़दूर को वो अवसर ही नहीं मिलता की वो अपनी योग्यता व प्रशिक्षण में सुधार कर

---

[89] आशा से हुई बातचीत के आधार पर

[90] सुमन से हुई बातचीत के आधार पर

वेतन व अपने काम के दर्जे में उन्नति कर सके।[91] निर्माण क्षेत्र में महिलाएं प्रमुख रूप से तगारी उठाना व बोझा ढ़ोनारोड निर्माण का कार्य करती हैं। इसमें से ,मसाला बनाना , ,लगभग एक प्रतिशत भी महिलाएं ऎसी है जो कारीगरी का काम भी करती हैं मगर वह निरतंर यहीं काम नहीं करती हैं। अधिकांश महिलाओं को सभी तरह का काम करती है , ये महिलाएं कभी कभी काम नहीं मिलने ,कुछ महिलाएं छत भराई का काम भी करती है पर निर्माण क्षेत्र में अन्य काम भी करती है।

कार्य में होने वाली समस्या के बारे में छतरपुर में निर्माण कार्य करने वाली महिला श्रमिक कुसुम[92] बताती हैं

> उस हिसाब से कम हैं(वेतन) इस कार्य में मेहनत बहुत अधिक हैं परन्तु पैसा"।अन्य काम में सप्ताह में एक दिन छुट्टी तो मिलती है जिसमे हम एक दिन अपने घर परिवार को देख लेते थे। इस कार्य में शामिल होने के बाद हमे एक दिन भी आराम करने को नहीं मिलता। इस कार्य में यदि एक दिन की छुट्टी भी करते हैं तो पूरे , एक दिन की दिहाड़ी चली जाती हैं। तबियत ख़राब होने पर भी कई बार कार्य के लिए आना पड़ता हैं। यदि हम गरीब इंसान एक दिन भी कार्य करने नहीं जाते तो अगले दिन गुजरा करना भारी पड़ा जाता हैं। मज़दूर को रोज कुआ खोदना पड़ता हैं फिर पानी मिलता हैं।"[93]

निर्माण कार्य में सप्ताह में कोई भी अवकाश नहीं दिया जाता। जिसका सबसे अधिक नकरात्मक प्रभाव महिला मज़दूर पर पड़ता हैंकार्य से आ जाने के बाद पुरुष मज़दूर | ,आराम कर लेता है उस पर घरेलू कार्य को करने की कोई बंदिश नहीं होती। परन्तु,

---

[91] इस कार्य में महिला कभी भी मिस्त्री /पंटर नहीं मिलती जबकि दुसरे कार्य में महिला को दकार्य से जुड़े अन्य कार्य भी सिखाएं जाते है। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का पुरुष हो या महिला किसी को भी कार्य सिखने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। परन्तु पुरुष अपने साथ कार्य करने वाले मिस्त्री राज मिस्त्री के साथ लग कार काम सीख लेता हैं। जबकि महिला श्रमिक के लिए यह हो पाना आसन नहीं हैं।

[92] कुसुम एक निर्माण महिला मज़दूर हैंजो छतरपुर में सडक के किनारे बन रहे फूटपाथ से जुड़े कार्य में शामिल थी।

[93] कुसुम से हुई बातचीत के आधार पर

महिला मज़दूर पर घरेलू कार्य करने की भी जिम्मेदारी होने के कारण महिला मज़दूर को घर का कार्य व बच्चो की भी देखभाल करनी पडती हैं। जिसकी वजह से महिला पर कार्य का बोझ बढ जाता हैं।

सप्ताह में अवकाश नहीं मिल पाने की वजह से महिला मज़दूर को आराम करने का भी समय नहीं मिल पातालगातार कार्य करने से महिला मज़दूर के स्वस्थ पर नकरात्मक | प्रभाव पड़ता हैं। महिला शरीरिक रूप से जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। JNU में निर्माण कार्य करने वाली रामकली[94] बताती हैं-

> साल से पीठ की हड्डी में दर्द होने की 2 पिछले"वजह से कार्य में नहीं जा पाती। जिस वजह से एक दिहाड़ी का नुकासन हो रहा हैं। पति जो भी कमाता हैं वो घर के खर्च में चला जाता और जो बचता हैं दवा में खर्च हो जाता हैं।"[95]

आशा[96] बताती हैं -

> "कार्य से आ जाने के बाद उनकी हाथ पैरो व रीड की हड्डी में बहुत दर्द होता हैं। जवानी में तो बिना थके 3-मंजिल ऐसे ही चढ़ उतर लेते थे सर पर तसला रख 4 कर पर अब तो हाथ पैरो ने जवाब दे दिया हैं। कार्यस्थल पर केवल मसाला तेयार करते हैं या आसपास झाड़ू लगा देते हैं। इतने कार्य से ही हाथ पैरो में हल्का हल्का

---

[94] रामकली और उसका पति दोनों जे एन यू में ठेकेदार के पास कार्य करते थे। रामकली को जे एन यू के पश्चिमबाद बस स्टॉप के सडक के किनारे बनने 4 कच्ची झोंपड़ी में से 1 झोंपड़ी में ठेकेदार के द्वारा रहने के लिए जगह दी गई हैं। रामकली व उसका पति दोनों यहाँ पर टाईल लगाने का कार्य करते थे। जे एन यू में कार्य खत्म होने के बाद रामकली का पति उसी ठेकेदार के साथ पालम में कार्य करता हैं रामकली ने बीमार होने की वजह से कार्य में जाना छोड़ दिया हैं

[95] रामकली से बातचीत के आधार पर

[96] आशा रोहिणी में निर्माण मज़दूरों के लिए बनी झुग्गियो में से एक में रहती हैं। यह विधवा श्रमिक महिला हैं जिसके पांच बेटियों हैं। जिनमे से दो बड़ी लड़कीया रोहिणी में बनने फलेस्ट्स में नोकारानी का कार्य 800 रुपया प्रति माह वेतन पर करती हैं और दो लडकियों की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हैं इसलिए घर पर से ही पीस रेट पर कार्य करती हैं और एक अन्य लड़की की आयु अभी काफी छोटी हैं जो कुछ नहीं करती।

दर्द बना रहता हैं। कई बार तो सुबह काम पर भी जाने का मन नहीं करता। परन्तु अपने बच्चो की सोच कर अपना दर्द भूल देते हैं और काम के लिए आ जाते हैं।"[97]

महिलाओं के बारे मे अक्सर यही कहा जाता है कि महिलाए शरीरिक रूप से कमजोर होती हैं ,इसलिए वो ज्यादा भारी काम नहीं कर सकती। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो निर्माण कार्य में महिला मज़दूर एक साथ 8-जिसमे हर ईट का वजन) ईटो 10 (किलो के आसपास होता हैं 2 लगभगजिसको सर पर रखकर महिला चलती हैं। इस कार्य में मासिक धर्म में और गर्भावस्था के अंतिम चरण तक भी महिला मज़दूर सर पर सीमेंट से भरा तसला और ईटो का बण्डल बना कर कई मज़िलो तक पहुचती हैं। इन दिनों में महिला को कोई अवकाश भी नहीं दिया जात। जिस कारण से इन दिनों में कार्य करने से महिला के स्वस्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं।

गर्भावस्था में इतना भरी बोझ उठाने से महिला के गर्भपात होने की सभावना अधिक बढ़ा जाती हैं। जबकि निर्माण कार्य में मातृत्व लाभ का कानून कार्य स्थल के लिए बनाया गया हैं परन्तु किसी भी निर्माण कार्यस्थल में सरकारी व निजी में से कहीं भी इन कानूनों का पालन नहीं होता है। यहाँ तक किसीकार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की " कोई चिकित्सा सुविधा या प्राथमिक उपचार का बॉक्स भी उपलब्ध नहीं होता है। जबकि इस कार्य स्थल पर सबसे अधिक दुर्घटना होती हैं और जिसकी सबसे अधिक शिकार महिला मज़दूर होती हैं।[98] इसतरह कमज़ोर महिला ही निर्माण स्थल पर कठोर परिश्रम करती हैं व उसके श्रम को श्रम तक नहीं मना जाता हैं। यह कह जाता हैं ये कार्य तो अकुशल कार्य हैं। प्रेमलता व रामकली के अनुसार उनके हाथपैर में हमेश दर्द बना रहता

---

[97] आशा से हुई बातचीत के आधार पर

[98] सुजाता माधोक"नेशनल कमीशन रिपोर्ट ओं वीमेन स्टेटस,2005

हैं। घुटनों में गठिया की वजह से उनसे जल्दी उठा नहीं जाता इसलिए निर्माण कार्य - छोड़ दिया हैं या बहुत कम ही कार्य पर जाती हैं। नूरजहाँकुसुम बताते,रानी, हैं कि -

> निर्माण"कार्य से आने के बाद इनके पैरो व हाथ में बहुत दर्द होता हैं और चक्कर आने लगता हैं। कभी-कभी तो कार्य स्थल पर ही चक्कर आने लगते हैं। परन्तु, जल्दी कार्य से छुट्टी नहीं ले पाती है, आराम के लिए। जिस वजह से शरीर को आराम नहीं मिल पाता है।"[99]

3.7 **निर्माण कार्य क्षेत्र में महिला मज़दूरों का वेतन**

निर्माण कार्य से जुड़ी महिलाओं के काम को अकुशल श्रेणी में रखा जाता है इसलिए उनको अकुशल श्रेणी की मजदूरी मिलती है। इस तरह के काम में कार्य करने वाली तीन चौथाई महिलाएं है जिनको ,100 रुप्रतिदिन मिलते है। क .ुछ महिलाओं को तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान दिया जाता हैं। यहां पुरुष एंव महिला मजदूरी के बीच भेदभाव नजर आता है। श्रमिक कानूनों में पुरुष व महिला श्रमिक को समान कार्य का समान पारिश्रमिक पाने का अधिकार हैपरंतु श्रम बाजार में व्याप्त अव्यवस्था के , चलतेऎसा नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव महिलाओं पर आर्थिक रूप से पड़ता है। इसके पीछे जो कारण है वह इन श्रमिकों का महिला होना भी है। महिलाओं को घर का खर्च निकालना बहुत कठिन हो जाता है। लगातार काम नहीं मिलने और कम मजदूरी के कारण महिला श्रमिक हमेशा मानसिक तनाव में रहती है। इसके साथसाथ ठेकेदार - वह कमजोर है वह ,एंव मालिक यह भी सोचते है कि महिला काम नहीं कर पायेंगी भारी वजन उठा नहीं सकती है।

---

[99] निर्माण कार्यक्षेत्र में महिल मज़दूरों से बातचीत के आधार पर

दिल्ली में कुछ निर्माण कार्य स्थलों पर महिला और पुरुषों को कुछ काम के लिए एक समान वेतन भी मिलता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह की महिला व पुरुष दोनों को एक ही कार्य के लिए एक ही समान वेतन दिया जा रहा हैंतो यह नहीं मान लेना , चाहिएकि दिल्ली में महिला मज़दूर के कार्य स्थिति में सुधार हुआ है। दिल्ली में भी में भी अन्य राज्यों की तरह महिला मज़दूर को अन्य महिला मज़दूर की तरह समस्या को झेलना पड़ता हैं जैसे की कार्य स्थल में इनको कार्य से जुड़े अन्य कार्य जैसे की राजमिस्त्रीप्लंबर इत्यादि का कार्य से जुड़ा प्रशिक्षण नहीं सिखया जाता जिस ,पेंटर, वजह से महिला मज़दूर केवल बेलदारी व मजदूरी ही का कार्य करती हैं। जोसेफ अपने लेख बताती है कि-

> निर्माण क"ार्य में कभी भी महिला मज़दूर राजमिस्त्री के रूप में नहीं पाई जाती। महिला और पुरुष मज़दूर दोनों अपने कार्य की शुरुआत में बेलदारी का कार्य करती हैं। परन्तु, पुरुष मज़दूर निर्माण कार्य से जुड़े अन्य कार्य को करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता हैं जिसकी वजह से उसके वेतन व पद में उन्नति हो जाती हैं। जबकि महिला मज़दूर अपने पूरे कार्य अवधि में निर्माण कार्य में केवल एक ही प्रकार का करती रहती हैं।"[100]

इस तरह महिला मज़दूर का वेतन अप्रत्यक्ष रूप से पुरुष की तुलना में कम रहता है क्योंकि इस कार्य में महिला को वो अवसर ही नहीं मिल पाता, जिससे उसके कार्य व वेतन में उन्नति हो सके। जिन महिलाओं के पास निर्माण कार्य में अन्य कार्य कार्य को करने का प्रशिक्षण और योग्यता होती हैं उनकी सामाजिक स्थिति में भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। प्रशिक्षित महिला मज़दूरों की कार्य स्थिति के बारे में सुभाष भटनागर बताते हैं कि-

---

[100] Annette barnabas,d.joseph anbarasu paul s.cilford ,A study on the empowerment of women construction workers as masons in Tamilnadu,journal of inetrnational women's studies ,18(2|)setamber 2009,

इन महिलाओ के पास यदि योग्यता व प्रशिक्षण होता भी हैं तो बहुत ही कम " महिलाओ को इस योग्यता के आधर पर काम मिलता हैं। प्रशिक्षण व योग्यता के बाद भी महिलाओ को बेलदारी का ही कार्य दिया जाता हैं।"[101]

निर्माण कार्य स्थल पर महिला को और भी कई समस्या का समाना करना पड़ता हैं। कार्यस्थल पर पीने के पानी व शौचालय तथा महिलाओ के लिए सेनेटरी नैपकिन[102] की जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं होती है। इस कार्य में ठेकेदार व साथ काम करने वाले पुरूष मज़दूर भी कई बार महिला मज़दूरों को शारीरिक व मानसिक शोषण का शिकार करते है। निर्माण कार्य में इतनी असुविधा के बावजूद भी महिला मज़दूरों के सख्यां में इजाफा ही हो रहा है।

निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के सरकार के तरफ से कुछ जनकल्याण कारी योजनाएं जारी है। इन योजनाओं के लाभ लेने की प्रक्रिया जटिल और कठिन है। अशिक्षा के अभाव में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूर महिला इसका कोई लाभ नहीं ले पाती है। यह कल्याणकारी योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं के साथसाथ औ-र कुछ मामलों में उपलब्ध है। मसलन, विकलाग सहायता के लिएलड़की के विवाह के लिए। आशा बताती , -है कि

"सुभाष भट्टनागर ने बताया कि सरकार निर्माण मज़दूरों के लड़की विवाह के लिए पैसे देती हैं।जब आशा फॉर्म जमा करने ऑफिस गई तो वहां पर फॉर्म में कमी निकल दी। हर दूसरे दिन बोलते हैं यह फार्म ले कर आओ फलां के हस्ताक्षर लाओ।"[103]

---

[101] सुभाष भटनागर से हुई बातचीत के आधार पर

[102] निर्माण महिला मज़दूर, महावारी के दौरान सैनेटरी नैपकीन का इस्तेमाल कर पाती है या नहीं, सैनटरी नैपकिन के विषय, या महावारी के बारे में वो कितना जागरूक है, इसकी पड़ताल शोध के दौरान नहीं किया गया है।

[103] आशा निर्माण कार्य बोर्ड के यहाँ अपनी लडकी के विवाह के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए फॉर्म को जमा करने गई थी परन्तु हर बार फॉर्म में कमी निकला दी जाती हैं।

कई बार कार्य स्थल पर इन सरकारी नीतियों के बारे में ठेकेदार व पुरुष मज़दूर को भी कोई जानकारी नहीं होती है।

3.8 **निर्माण कार्य क्षेत्र में ठेकेदार का रवैया**

भवन निर्माण क्षेत्र में चाहे वह सरकार द्वारा कराया जा रहा हो या निजी व्यक्तियों के द्वारा जो भी व्यक्ति कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैवे या तो स्वतंत्र रूप से या , किसी ठेकेदार के अधीन रहकर कार्य कर रहे है। इन श्रमिकों की कार्य दशाओं की एंव क्योंकि सरकार ने इन श्रमि ,सेवा शर्तों के अत्यधिक दयनीय हैकों की सुरक्षा के कानूनों परजिससे भवन ,ठेके पर श्रम कानून ने बंधन लगा दिया है। ठेकेदार ही वह माध्यम है , निर्माण क्षेत्र में रोजगार संभव है।

भवन निर्माण क्षेत्र में महिला मज़दूरों के लिए यह यथास्थिति थोड़ी कठिन है क्योंकि रोजगार के लिए वह ठेकेदार से बैर नहीं रख सकती है। तारा[104] बताती है कि-

> -कभी ,ठेकेदार जिन मज़दूरों को शहरों में लाता है उनको नियमित काम मिलता है" कभी रहने और कार्यस्थल पर जाने का किराया भी बच जाता है। क्योंकि ठेकेदार ही उसकी व्यवस्था करता है। ठेकेदार मजदूरी कम तो देता है पर काम भी तो वही देता है।"[105]

नूरजहाँ व आशा दोनों यह मानती है कि

> वही ,ठेकेदार के साथ काम करने पर उनलोगों को प्रतिदिन काम मिल जाता है" बिना ठेकेदार के शहर में काम मिलना मुश्किल है। ठेकेदार को तो काम भी मिल "मज़दूरों को तो कोई मजदूरी पर भी नहीं रखता है। ,जाता है

---

[104] तारा से हुई बातचीत के आधार पर

[105] नूरजहां और आशा से हुई बातचीत के आधार पर

निर्माण कार्य में महिला मज़दूरों से साक्षात्कार के दौरान यह बात सामने आई कि जो भी महिला मज़दूर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई हैअधिकतर ठेकेदारों के अधीन कार्य करती है। , महिला मज़दूरों के साथ कार्यस्थल पर ठेकेदार एंव साथी कामगारों के द्वारा छेड़खानी एंव यौन शोषण जैसी घटनाएं होतीरहती है। महिला मज़दूर कार्यस्थल पर अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती है। महिला होने के नाते इनके ठेकेदार एंव साथी कामगार को रवैया कुछ इस तरह का रहता है कि वह मानसिक रूप से परेशान रहती है। शोध के दौरान महिला मज़दूरों ने यह भी बताया कि पुरुष के द्वारा यौन संकेतों से भरी टिप्पणी , महिला श्रमिकों से अपनी पत्नी के ,मां बहन की गालियों का प्रयोग ,सांकेतिक टिप्पणीयां समान्य बात होती है। ,विषय में बात करना

कार्यस्थल में होने वाली समस्या के बारे में बताते हुए रोहिणी में कार्य करने वाली,आशा कहती हैं-

> "बिना पुरुष के घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता हैं यह समस्या और विशाल रूप तब लेती हैं जब महिला आशिक्षित हो ,उसके पास किसी अन्य कार्य को करने का कोई कौशल न हो। जिस वजह से इस कार्य में ठेकेदार व साथी (निर्माण कार्य में) ,श्रमिक के छेड़छाड़ को नजरअंदाज करना पड़ता हैंताकि बच्चो को पाल सके।[106]

आशा पर पति की मृत्यु के बाद पांच बेटियों को पालने की जिम्मदारी हैठेकेदारों के , व्यवहार के बारे में आशाबताती हैं -

> "पति के मर जाने के बाद जब कार्य के लिए उसी ठेकेदार के पास जाती हैं ,तो उस ठेकेदार की हेवानियत सामने आती हैं। पति के जिन्दा रहने होने पर जो ठेकेदार जेठ

---

[106] रोहिणी में रहने वाली आशा एक विधवा निर्माण श्रमिक हैं।वर्तमान समय में प्रेमलता की पाच लडकियों में से 2 बड़ी लड़किया रोहिणी में बने फलेट्स में घरेलू कार्य 800 रुपया प्रति माह के वेतन में कार्य करती हैं।2 लड़कियां घर में ही पीस रेट पर कार्य करती है।अन्य छोटी लड़की लड़की की आयु वहुत कम हैं तो वो कुछ नहीं करती। आशा कभीकभार निर्माण कार्य करती हैं पर नियमित रूप से कार्य ना मिलने पर घर पर ही रहती हैं।

> की तरह व्यावहार करता था वही पति की मौत हो जाने परठेकेदार ने कई बार साथ , में शारीरिक सबंध बनाने के लिए जोर देता हैं। जब इसके लिए मना किया तो ठेकेदार ने कार्य देने से मना कर दिया। पांच बेटियों को पालना था इसलिए उसका विरुद्ध नहीं किया परन्तु एक दिन तो उस मज़दूर ने हद कर दी थी वो अपने साथ एक अन्य आदमी को लेकर आया था और बोलता हैं इसके साथ चली जाओ यह तुमको बहुत सारा पैसा देग। उस आदमी के साथ जाने पर इतना पैसा मिलेगा की | ,तुम अपने बच्चे आसानी से पाल सकती हो बिना आदमी के पांच लडकियों को कैसे पालोगी?"[107]

उस मज़दूर के साथ आया वो आदमी दलाल था। निर्माण कार्य में परिवार के पुरुष के बिना मज़दूर व ठेकेदार दोनों अकेली महिला की मज़बूरी का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। शुरू में किसी और कार्य के विकल्प के ना होने के कारणव कार्य के लालच में, अन्य महिला मज़दूर की तरह साथ में होने वाली अश्लील बातचीत व छेड़छाड़ को नजरअंदाज किया था। परन्तु, सर से ऊपर पानी चले जाने पर मजबुरी में उस ठेकदार के यहाँ से कार्य को छोड़ना पड़ा।

JNU में निर्माण कार्य करने वाली महिला रामकली ठेकेदार के साथ अलग तरह के संबंध की बात करती है और बताती हैं कि-

> "हमारा ठेकेदार बहुत अच्छा आदमी हैं,पति के कार्यस्थल पर होने पर कभी भी ठेकेत्दार घर में पीछे से नहीं आता। कार्य से जुड़ी जो भी बात करनी होती हैं ,पति से करता हैं। इस कार्य में -निर्माण)कार्य ठेकदार व साथ के मज़दूरों से कोई दिक्कत(नहीं हैं क्योंकि सभी एक ही गावं के रहने वाले हैं। समय पर एकदूसरे- की मदद कर देते हैं। कार्य में केवल यह दिक्कत हैं कि काम बहुत अधिक लेते हैं पैसा बहुत कम देते हैं। अपने कार्य में ,रुपए प्रतिदिन वेतन मिलता था परतु 400 ठेकेदारी से रुपए प्रतिदिन वेतन पर क 300ार्य कर रहे हैं। ठेकेदार के साथ पर काम करने से एक लाभ होता हैं की कार्य प्रतिदिन मिल जाता हैं। कार्य तलाशने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। शहर में किसी को नहीं जानते तो ठेकेदार के बिना कार्य प्राप्त

[107] आशा से हुई बातचीत के आधार पर

करना मुश्किल हो जाता हैं ,ठेकेदार ही रहने व कार्य में ले जाने की व्यवस्था करता हैं।[108]

JNU में निर्माण कार्य करने वाली अन्य महिला मज़दूर सीमा बताती हैं कि-

"शहर में जरूरत पड़ने पर किस से पैसा मांगे शहर में तो कोई जान पहचान का भी नहीं हैं। ठेकदार के पास काम करने का एक फायदा होता हैं पैसा उधार दे देता हैं और काम भी नियमित रूप से मिल जाता हैं।"[109]

जाहिर तौर पर निर्माण कार्य की मौजूदा सूरतेहाल यह है कि बिना ठेकेदार से जुड़े - निर्माण कार्य में रोजगार नहीं पा सकेते है। इस माध्यम में अगर थोड़ी चौकसी बरतनी तो श्रमिकों स्थिति में सुधार की गुजांइश है। क्योंकि ठेकेदारी ,शुरू किया जाएव्यवस्था के चलते श्रमिको को सरकारी नीतियों का कोई लाभ नहीं मिल पाता है।

3.9 **निर्माण कार्य क्षेत्र में एकल व वृद्ध महिला की स्थिति**

निर्माण कार्य में अनौपचारिक कार्य क्षेत्र का वह हिस्सा है जहां अन्य कार्यो की तुलना में अधिक वेतन मिलता हैं और जिसमे महिलाए अधिक भी पाई जाती हैं। यहाँ एक बात सोचनीय योग्य हैं कि निर्माण कार्य में आने वाली अधिकतर महिला मज़दूर शादी के बाद ही इस कार्य में शामिल होती हैं। इस कार्य में अधिकतर शादीशुदा व युवा

---

[108] रामकली जे एन यू में बनी झुग्गी में ही रहती है। जिसमे ठेकेदार के द्वारा ही रखवाया गया हैं। ठेकेदार ने रहने की व्यापस्था की हैं इसलिए वो 300 रुपया वेतन देता हैं।जब यह निर्माण मज़दूर महेंद्रगाद में खुद से कार्य की खोज करता था तो चार सौ रूपया दिहाड़ी मिलती थी। रामकली के शब्दों में "ठेकेदार के द्वारा दिल्ली में रामकली व उसके पति जैसे बहुत से श्रमिको को गावं से लाया गया था। इसलिए ठेकेदार इनका वेतन समय में दे देता हैं। अगर नहीं देगा तो गावं में बदनाम हो जायेगा कोई भी मज़दूर उसके साथ कार्य नहीं करेगा।

[109] सीमा से हुई बातचीत के आधार पर

महिला अधिक पाई जाती हैं। निर्माण कार्य में महिला मज़दूर शादी के बाद ही क्यों शामिल होती हैं ?नूरजहाँरानी के अनुसार यह ,सीमा ,प्रेमलता,आशा,तारा,रामकली,कुसुम, लोगो गाँव से शहर में शादी के बादआई और निर्माण क्षेत्र में कार्य करने लगी।

मेरे शोध में मैंने जिन महिला मज़दूरों से बात की उनमें ,रानी को छोड़कर सब महिला मज़दूर के माता पिता भी-इस कार्य में शामिल थे। परन्तु इन लोगो ने शादी से पहले निर्माण कार्य नहीं किया था। यह लोग शादी से पहले माता पिता के काम पर चले जाने के बाद छोटे भाईबहन व घर के कार्य करती थी-। इस कार्य में क्यों एकल महिला नहीं पाई जाती? इसका कारण आशा बताती हैं कि-

> "कार्यस्थल में यदि लड़की के साथ उसके परिवार का कोई पुरुष नहीं होता। तो ठेकेदार व मज़दूर उस लड़की को बातो में फांसना शुरू कर देते हैं। उनको छोटी-छोटी चीजों का लालच देकर उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं।"[110]

नूरजहाँ बताती हैं कि-

> "खुले में कार्यस्थल में मर्द के बीच कार्य करना अविवाहित लड़की के लिए सुरक्षित नहीं होता। कोई भी उसके साथ आसानी से दुर्व्यवहार कर सकता है। मज़दूर और ठेकेदार हर पल अश्लील बाते करते हैं तो ऐसे माहौल में जवान लड़की कहां सुरक्षित रह सकती हैं। जिस महिला के साथ उसका परिवार का कोई पुरुष होता हैउसको , देखकर डर सेबदमिजाज नहीं करते।"[111]

निर्माण कार्य में शमिल ठेकेदार का मनाना हैं कि महिला मज़दूर काफी मेहनत करती हैं। परन्तु कार्य स्थल पर महिला मज़दूर को रखने के लिए अलग से व्ययवस्था करनी पडती हैं। इसलिए वो कार्य में महिला मज़दूर को नहीं रखते है। पुरुष मज़दूर को एक ही हॉल लेकर एक ही जगह पर खुले में रह सकते हैं,खुले में नाहा धो सकते है। परंतु,

---

[110] आशा से हुई बातचीत के आधार पर

[111] नूरजहां से हुई बातचीत के आधार पर

जब महिला मज़दूर साथ में होती हैं तो उनके लिए आलग से व्यावस्था करनी पडती है,जिसमे काफी पैसा खर्च हो जाता हैं और बचत कुछ नहीं हो पाती। इसलिए महिला मज़दूर को काम में कम रखने की कोशिश करते हैं।

निर्माण कार्य महिला मज़दूर के बारे में ठेकेदार यह भी मानता है कि महिलाएं मेहनत का कार्य करती है बहुत ,ही कम मज़दूर औरतें चरित्रहीन होती होती हैं। वो लोग अपने घर परिवार की देखभाल करती हैं। महिलाएं निर्माण कार्य में तभी आती है जब उसके परिवार की जरूरते नहीं पूरी हो पाती है। वह जो भी करती है अपने परिवार और बच्चों के लिए ही करती है। बहुत कम महिला मज़दूर अपने पति को छोड़कर भटकती है। जब किसी महिला मज़दूर का पति शराब पीकर मारपीट करता है उस महिला के साथ , तो हालात को संभालना मुश्किल हो जाता है।महिला मज़दूर के बारे में घरेलू कार्य करने वाली महिला रत्ना [112]बताती हैं कि-

> "निर्माण कार्य में महिला का कार्य बहुत ही कठिन होता हैं। यह लोग काफी मेहनत करती हैं ,परन्तु इन कार्य को करने वाली महिला का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है महिल मज़दूर कई बार ,चंद चीजों के लिए किसी भी पुरुष के साथ भी भाग जाती है। "[113]

निर्माण कार्य में महिलाओं के समस्याओं के बारे में शारदा[114] बताती है कि-

> बहुत ही गरीबी में कुछ पैसे कमाने ?निर्माण कार्य करने वाल महिला भी क्या करे" कभी गलत -के लिए शहरों में ठेकेदार के भरोसे आती है। पैसा कमाने के लिए कभी रास्ते पर निकल जाती है। उनको सही गलत रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं होता

---

[112] यह जे नें यु में बनने फल्ट्स में घरलू कार्य करती हैं।

[113] रतना से हुई बातचीत के आधार पर

[114] शारदा जेएनयू में घरेली कार्य करती है

है। वैसे भी इस कार्य में अधिक आमदनी नहीं है और मेहनत बहुत अधिक होता है।"[115]

तारा व आशा दोनों निर्माण मज़दूर कार्य स्थल में होने वाले शोषण के बारे में बताती हैं कि

ठेकेदार युवा महिलाओ को ही काम पर रखता हैं"और कार्यस्थल पर यदि कोई जवान महिला मज़दूर अकेली होती है तो ठेकेदार या साथ के मज़दूर उससे मजाक करते हैं। उसको फंसाने की कोशिश भी करते हैकभी काम देने के भरोसे -कभी , "उसको ब्लैकमेल भी करते है।[116]

अगर कोई महिला मज़दूर ठेकेदार या पुरुष मज़दूर के इन गतिविधियों का विरोध करती है तो उसको काम से निकालने की धमकी मिलती है या दूसरे दिन काम पर आने से मना कर देते है।

स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में महिला मज़दूरों क गरीबीनिरक्षरता और बेरोजगारी की , समस्या को दोहन किया जाता है। जिससे निपटने के लिए उसके पास कोई विकल्प ही दूसरे से गुंथी हुई है। वह चाहकर भी इससे मुक्त नहीं हो -नहीं है क्योंकि हर समस्या एक पा रही है। आर्थिक अवसरोंशिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता में ,रोजगार की व्यवस्था , बदलाव के बारे में कुछ बेहतर स्थिति का निर्माण ही इस क्षेत्र में महिलाओं के पक्ष में कुछ बेहतर कर सकते है।

इस परिदृश्य में सरकारों को महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करने और उनके अधिकारों एंव विशेषाधिकारों की रक्षा एंव सुरक्षा हेतु रणनीतियां और योजनाएं बनाकर ही इस

---

[115] शारदा से हुई बातचीत के आधर पर

[116] तारा और आशा से बातचीत के आधार पर

समस्या के समाधान के दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। निर्माण क्षेत्र में महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए अनेक नीतिगत पहल की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :निर्माण कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साक्षात्कार से प्राप्त हुए अनुभव बताते है कि इस कार्य क्षेत्र में मज़दूर महिलाएं आर्थिक अधिकारिता प्राप्त करने के लिए सामाजिक पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों से संघर्ष तो कर ही रही है। बाज़ार की मुनाफाई प्रवृत्ति महिला मज़दूरों को समान्य मज़दूरों से अधिक काम करने पर भी समान मज़दूरी तो दूर उचित मज़दूरी भी नहीं मिल पाता है। इसके साथसाथ सरकारी नीतियों और हित संरक्षण में - बने कानून भी प्रभावी रूप से काम नहीं करते। क्योंकि उनको लागू करने कि व्याख्या सीमित रूप में परिभाषित है। ठेकेदार मुनाफा बनाने के चक्कर मंे सुरक्षा संबंधी तमाम नियमों की अनदेखी करता है। वही अगरसामाजिक संगठन या सिविल सोसाइटी , पर ,के सदस्य इन चीजों पर थोड़ी बहुत नकेल कंसते है तो स्थिति बहुत अच्छी नही थोड़ा समान्य जरूर हो जाती है। जाहिर है निमार्ण क्षेत्र में महिला मज़दूरों के हितों के रक्षा के लिए जरूरी है कि व्यापक स्तर पर रूप रेखा के साथसाथ नीतियों और प्रावधानों - साथ ही साथ नीतियों के निर्माण में लैंगिक हितों के ,को सख्ती से लागू किया जाए अनदेखी को नहीं टाला जाए। महिला मज़दूर अपने सुरक्षा हितों में बने कानूनों के प्रति सजग हो इसके लिए भी ठोस प्रबंध की जरूरत हैताकि ठेकेदार अपनी मनमानी नहीं , चला सके।

अध्याय 4

निष्कर्षनिरंतर संघर्ष :

भारत जैसे देश मेंजिसके कंधों पर समस्य विकास ,एकमात्र कामगार वर्ग श्रमिक ही है , कार्यों का उत्तरदायित्व रहा है। कामगार वर्ग श्रमिक ने अपने जिम्मेदारियों का निवार्ह भले ही देश में श्रमिक वर्ग के हितों की ,तमाम विरोधाभासी परिस्थितियों में किया भी है अनदेखी हमेशा होती तही है। आजादी के बाद देश ने समजवादी समाज के परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुएश्रमिकों के हितों पर थोड़ा बहुत ध्यान रखा और कुछ नीतियों , का निर्माण मज़दूरों के हित में भी हुए।

परंतु ,90 के बाद के दशकों में बदलती हुई अर्थव्यवस्था के दौर मेंजिसे द ,ेश की हर आर्थिक समस्या के हल के बतौर देखा गयाउसका प्रभाव मौजूदा दौर में स्पष्ट रूप से , देखा जा सकता है। आर्थिक बदलाव के दौर ने आर्थिक प्रगति और समाज कल्याण के बीच के विरोधाभास को अधिक सुर्ख कर दिया। ढ़ांचागत समायोजन विकास ने मानवीय दृष्टिकोण को पीछे ढ़केल दि्या। स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश कि जाए , तो यह दिखता है कि उदारीकरण और विकास की नई परिभाषाओं में श्रम से जुड़ी सारी बहसों को1)श्रम का लचीलापन,2)श्रम का अनौपचारिकरण ,3) श्रम का महिलाकरण और 4) निजीकरण को प्रोत्साहित किया। जिसने समाजिक क्षेत्र चल रहे विकास की समाजवादी नीतियों को हाशिए पर ढ़केल दिया।

परंतुइसका एक सच यह भी है कि उदारीकरण ने भारत की बहुसंख्यक आबादी और , विकास की नवीनतम परिभाषाओं की अवधारणा में श्रमिकों के लिए भवन निर्माण भले ही भवन निर्माण के ,कामगार क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं पैदा की तकनीक रोजगार के क्षेत्र में यह धारणा बना दी गई हो कि इंजनियरिंग के क्षेत्र में

सिविल इंजिनियर का भविष्य खत्म हो चुका है। भवन निर्माण क्षेत्र में मज़दूर कामगार की स्थिति मौजूदा समय में यह है कि अगर सौ व्यक्तियों की जरूरत है तो हजार व्यक्ति रोजगार की आस में कतार लगाए खड़े मिलेगे। इस कतार में महिला मज़दूरों की भागीदारी भी रहेगी क्योंकि उदारीकरण के तमाम विचार विमर्शों ने महिलाओं को घरों से निकाल कर श्रमिक के रूप में भागीदारी दर्ज करने के लिए विवश कर दिया है। जिसको तमाम सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़कर के रूप में प्रचारित "पोस्टर वूमन" भी करती है इनसवालों के पड़ताल के बिना की श्रमिक के रूप में महिला मजदूरों की भागीदारी और उनको मिलने वाली मजदूरी उस महिला के विकास में या उस महिला के यथास्थिति के बदलाव में कितनी सहायक हो पाती हैक्या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ? उसकी साथ जुड़ी सारी स ,होने की उस महिला की चाहामाजिक समस्याओं का दमन कर पाती हैजातीय और धार्मिक अस्मिता की चुनौति उसके ,वर्गीय ,या उसकी लैंगिक ? संघर्ष को अधिक जटिल बना देती है।

मौजूदा समय में श्रम के भवन निर्माण क्षेत्र में महिला मज़दूरों की बढ़ती भागीदारीइस , बात का संकेत है कि महिला मज़दूर अपने परिवार के जीवन निवार्ह की जद्दोजहद - असुरक्षा और सुविधाओं के कमी के बीच संघर्ष करते हुए काम कर रही है। भवन निर्माण सास्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं उनके सघर्ष को ,क्षेत्र में समाज की पारंपरिक निर्माण कार्यक्षेत्र में ठेकेदार के अधीन ,दुविधापूर्ण तो बनाते ही है रहकर कार्य करना उनके लिए चुनौतिपूर्ण बना रहता है। क्योंकि निर्माण कार्य क्षेत्र की कार्यदशा एंव सेवा शर्तों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। सरकार द्वारा महिला मज़दूरों के हितों में दिए गये कानूनी और नीतिगत प्रावधान ठेके के श्रम कानून द्वारा बंधन में कैद हो कर रह जाते है।

इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जिन निर्माण कार्यक्षेत्र में मज़दूर संगठित होकर श्रम कर रहे है या बाहरी लोककल्याणकारी संस्था का सहयोग मिलता हैवहां स्थिति कुछ बेहतर , है।

भवन निर्माण क्षेत्र में महिलाओं के श्रम के स्थिति के लिए जरूरी है कि उनके लिए बनाए गए कानून प्रभावी रूप से काम करें जिसके लिए उनका सार्वभौमिक रुप से लागू किया जाना जरूरी है। श्रम बाजार में व्यापक नीति विकसित किए बिना एक विधायी हस्तक्षेप असंभव है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को पहले श्रमिक मुद्दों पर राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा को लेकर आम सहमती बनाने पर ध्यान देना चाहिएबजाए की , कंपनियों को खुश करने के लिए श्रम कानूनों के कुछ प्रावधान लागू करते रहने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहने के।

भवन निर्माण क्षेत्र में महिलाओं मज़दूरों के साथ जो अनिश्चिताओं का भंवर हैउसमें वह , आर्थिक रूप से कुछ पैसे कमा कर भी सशक्तीकरण की मौजूदा तय की गई परिभाषा से कोसों दूर है। भवन निर्माण क्षेत्र में महिला मज़दूरों के साथ समस्या यह भी है कि वह अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष भी नहीं कर पा रही हैप्रतिरोध की बात करना तो दूर , की कौड़ी लाने के बराबर है। इस क्षेत्र में महिलाओं के समस्या का समाधाने खोजने के लिए सत्ता और नियोजक को एक साथ आना जरूरी है। महिलाओं के श्रम कानूनों में संसोधन या किसी भी श्रम कानून में संसोधन पर विचार करते वक्त संसोधनों के व्यापक लैंगिक प्रभावों पर भी विचार करने की जरूरत है।

इसके साथसाथ यह भी जानना- जरूरी है कि श्रम के हर क्षेत्र में अगर भवन निर्माण के क्षेत्र को ही लेवर्ग और ,तो क्या महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समाज में व्याप्त जाति ,

उसको तोड़ने में सफल रही ,धर्म की अवधारणा जिसकी जड़े समाज में काफी गहरी है अगर भवन निर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागी ?हैदारी बढ़ रही है तो क्या महिलाएं अपने जातिगतअगर हो ?वर्गीय या धार्मिक अस्मिताओं के पहचान से मुक्त हो सकी है, क्या भवन ?सकी है तो किस तरह और अगर नहीं हो सकी है तो इसके क्या कारण है निर्माण क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक उपार्जन से महिलाओं की सामजिक या पारिवारिक यथास्थिति में कोई बदलाव आता हैया श्रम के क्षेत्र में महिलाओं को लेकर जो भी ? जातिय या धार्मिक ,कानूनी या नीतिगत हालत है क्या उसका फायदा लेने में लैंगिक ये सारे सवाल शोध को नए दिशा में देखने समझने के लिए ?अस्मिता भी बाधक है विवश करते है क्योंकि इनके जवाबअभी भी अनुउत्तरित है। श्रम के हर क्षेत्र में महिला मज़दूर मोमबत्ती के मानिंद के तरह नहीं जलती रहे इसलिए भविष्य में इन सवालों का जवाब खोजना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

प्राथमिक स्त्रोत) Primary Sources)

रिपोर्टस

- Governments of India, Ministry of Labour and Employment "Report on Fourth Annual Employment" Unemployment survey, (2013-14) volume1,Labour Bureau Chandigarh.

  URL: https://labour.gov.in/sites/default/files/Report_Vol_1_final_0.

- Government of India, Ministry of Labour and Employment, "Report of the Second Labour Commission",(2002) Chapter-7 Final A:Unorganized Sector,New Delhi.

  URL: http:/ /labour.nic.in/lcomm2/2nlc-pdfs/Chap-7finalA.pdf

- Government of India, Ministry of labour and Employment, "Report of the Second Labour Commission",(2002), Chapter 7 Final B:Unorganized sector,New Delhi

  URL: http://labour.nic.in/lcomm2/2nlc-pdfs/Chapter-7finalB.pdf

- Government of India, Ministry of Labour and Employment, Report of the Second National Commission of Labour,(2002), Chapter-XI,Women and Children,New Delhi.

  URL:http://labour.nic.in/lcomm2/2nlc-pdfs/Chap-9partA.pdf

- National Commission on Labour,"Report of the Group on Women Workers and Child Labour",(2001) Part I, New Delhi: Government of India
- National Sample Survey Organisation,Employment and Unemployment Situation in India,(2001),NSS 55th Round, NSSO, New Delhi
- Madhok, S. (2005). *Report on the status of women workers in the construction industry*. National Commission for Women.

URL:*ncw.nic.in/pdf***reports/Women** *WorkersinConstruction**ndustry.pdf*

- Census of India Population Totals, New Delhi: Registrar General & Census Commissioner, (2001) GOI.
- Government of India, Economic survey 2005-2006. Chapter 8 - Social Sector. Retrieved on October 25, 2009

  URL: http://indiabudget.nic.in/es2005- 06/esmain.htm

- Government of India, Planning Commission. Volume II: Social Sector, Chapter 6: Towards Women's Agency and Child Rights. Eleventh five year plan 2007 - 2012. Oxford University Press: (2008), New Delhi.
- Government of India, Planning Commission, Volume III: Agriculture, Rural Development, Industry, Services and Physical Infrastructure, Chapter 8- Services and Construction. Eleventh five year plan, 2007-2012. Oxford University Press: (2008) New Delhi.
- Il, O. (2001). The construction industry in the twenty-first century: Its image, employment prospects and skill requirements. *ILO*.
- **श्रम शक्ति**,स्व-नियुक्त महिलाएं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय कमीशन की रिपोर्ट, (1988) नई दिल्ली
- Towards Equality: Report of the Committee on the status of women in India, New Delhi, Department of Social Welfare, Ministry of Education & Social Welfare, 1975
- SEWA, Labouring Brick by Brick: A Study of Construction Workers,Self Employed Women's Association,(2000) Ahmedabad
- People's Union for Democratic Rights fettered lives: contract labour in Jawaharlal Nehru university, (June 2007) (PUDR) Delhi

साक्षात्कार

- Mr. Subhash Bhattnagar, (National Coordinator of the National Campaign Committee for Construction Labour), Delhi.
- Interviews of women construction workers, domestic workers and contractor

द्वितीयक स्रोत

बुकलेट\पत्रिकाएं

- उपाध्याय,रमेश (सं.) "**श्रम का भूमंडलीकरण**" शब्दसंधान, नई दिल्ली, 2004
- उपाध्याय,रमेश (सं.) "**उत्पादन श्रम और आवारा पूंजी**" शब्दसंधान, नई दिल्ली, 2010
- उपाध्याय,रमेश (सं.) "**आज का स्त्री आंदोलन**" शब्दसंधान, नई दिल्ली, 2011

अखबार

- Srivastava, R., & Sutradhar, R. (2016). Labour migration to the construction sector in india and its impact on rural poverty. *Indian Journal of Human Development*, *10*(1), 27-48.
- Sharma Vibha,"Enforce law on construction workers", The Tribune, Chandigarh, 27.10 2004
- Pankaj Ashok &Bhattacharya Monidra, "How Manrega Can Be Re - Engineered For Doubling of Farmers' Income, the Indian Express 13.april 2018
- Chandrasekhar C.P Jayati Ghosh, women workers in urban India**,** Business line, the Hindu 6 FEBURY 2007

बेवसाईट

- Construction workers 'Funds Spent ON Laptops'; SC Anguished, 6 November 2017

- URLhttps://realty.economictimes.indiatimes.com/news/regulatory/construction-workers-funds-spent-on-laptops-sc-anguished/61525774

- International Labour Organization
  URL: http://www.ilo.org, accessed on Jan 20 2018

- Feminist perspectives on class and work, 1 Oct 2004
  URLhttps://stanford.library.sydney.edu.au/archives/sum2010/entries/feminism-class/ accessed on Jan 20 2018

- Rajan, R. S., & Park, Y. M. (2000). Postcolonial feminism/postcolonialism and feminism. *A companion to postcolonial studies*, 53-71.
- Nath.Tripati.'The forgotten women behind the commonwealth games sites,2010
  URL:*www.boloji.com/index.cfm?md=Content&sd=Articles&ArticleID=8048* accessed on 28 august, 2017
- https://indianexpress.com/article/cities/delhi/workers-welfare-board-sits-on-rs-2000-crore-spent-rs-70-crore-this-year-5118960/

लेख

- Mani lata.**sex and The singal free corridor :rethinking the feminist imaginary** economic and political weekly,1 february,2014
- sahni rohini ,v.kalyan shankar,H**emant apte prostitution and beyond :an analysis of sex work in india**,angha tambe" different issues/different voices;organization of women in prostitution in India, new delhi :sage publication india pvt ltd, 2008
- joshi,chitra. "Histories of Indian labour: predicaments and possibilitie", history compass, vol 6(2), 1 march 2009

- Neetha N."Making Female Breadwinners. Migration and Social Networking of Women Domestics in Delhi", Economic and Political Weekly, 24 April 2004
- Gopal, M. (2012). Caste, sexuality and labour: The troubled connection. *Current Sociology*, *60*(2), 222-238.Gothoskar, sujata,
- The plight of Domestic workers confluence of Gender,Class and caste Hierarchies,economic & political weekly vol.48 (22), 1 June 2013
- Barnabas.Annette, D. joseph Anbarasu and Paul s .Clifford, A study on the empowerment of women construction workers as masons in Tamil Nadu' India ,journal of international women's studies ',vol .11(2)8,sep 2009
- Baruah, B.Gender and globalization-Opportunities and constraints faced by women in the construction industry in India. Labour Studies Journal, 2010
- Bennet, L. Women, Poverty, and Productivity in India Construction.Retrieved August 14, 2009
- Jhabvala, R. and Kanuri, R."Globalization and Economic Reform as Seen from the Ground: Sewa's Experience in India". Paper presented to the Indian Economy Conference, Cornell University, April19-20, 2002.
- Joseph, C., & Prasad, K. E. (1995). Women, Work and Inequality The Reality of Gender. *Noida: VV Giri National Labour Institute*.
- Laskar, A., & Murty, C. V. R. (2004). Challenges before construction industry in India. *Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Kanpur (www. iityk. ac. in)*.
- Suchitra, J. Y. and Rajasekar, D. One size does not fit all: Employment insecurity of unorganized workers in Karnataka, The Indian Journal of Labour Economics, 49(3) July- September, 2006
- Krishnaraj, M. (1990). Women's Work in Indian Census: Beginnings of Change. *Economic and Political Weekly*, 2663-2672.

- Mazumdar,indrani.women workers and globalisation; Emergent contradiction in India, street, Kolkata,2007
- Acharya sanghmitra and sunita Reddy'Migrant women in construction work; Examining issues and challenges in Delhi, New Delhi: amity journal of healthcare management, 2016
- Dalmia .j, aardhana'strong, Women, Week bodies, Muted voices; women construction worker in Delhi',economy &political weekly, vol 57(26-27), 30 June 2012

- John, M. E. (2013). The problem of women's labour: Some autobiographical perspectives. *Indian Journal of Gender Studies*, *20*(2), 177-212.

- Wallaby Sylvia.Theorising Patriarchy, sage publication .ltd. sociology .vol 23(2), May 1989
- Agarwal.Bina.'Gender and land Rights Revisited: Exploring new prospects via the state family and market ', journal of agrian change, vol 3(1-2) Blackwell publishing ltd, January 2003
- Jain, Devaki. 'Valuing work: Time as a measure', economic and political weekly, vol.31 (43)26 October. 1996
- Fernandez Leela 'Beyond public spaces and private spheres: Gender.family and workingclass, politics in India 'feminist studies, Inc., vol 23(3). 1997
- Hartmann Heidi, The Historical roots of occupational segregation capitalism ,patriarchy and job segregation by sex, The university of Chicago press journals vol 1(3)part 2, 1976
- Sen, Samita. 'Women in Indian Industry 1890-1990', Modern Asian studies vol.42 (1) January. 2008
- N Neeta, Women's Work in the Post Reform Period: An Exploration of macro data, occasional paper no 52, CWDS, February, 2009

- Mazumdar Indrani, Neetha N. Gender Dimensions; Employment Trends in India, 1993-94 to 2009-10", Occasional Paper no 56, August, 2011
- Jagori, "Right & Vulnerabilities: A Research Study of Migrant women workers In the Informal Sector in Delhi", New Delhi: jagori, 2004

कॉन्फ्रेंस पेपर

- "Women in the world of labour :Interdisciplinary and Intersectional perspectives" collaborative seminar,centre for women's studies,school of development studies TISS Mumbai, centre for women's new delhi, 21-22,2014, TISS Mumbai
- Prasad Archana, Some Methodological issues in assessing tribal women's work, paper presented at national workshop on women and work at centre for women's development studies, 26-27 April 2013, New Delhi
- National seminar, Resisting caste and patriarchy building alliances, women against sexual violence and state repression, New Delhi.10-11 December 2015
- निर्माण मज़दूर पंचायत संगम, **दिल्ली के सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कैसे मिल सकेगी**, अप्रैल 2015

Books

- Kotiswaran .Prabha, "Dangerous Sex, Invisible Labour", New Delhi: Oxford University Press 2012
- Geetha, V. Gender, Kolkata: Street 2002
- Menon, Nivedita. Seening Like a Feminist. New Delhi: Penguin Books, 2012
- John .E, Mary (Ed)"Women's studies in India", New Delhi, Penguin Random house India.2008

- कुमार,राधा. "**स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800-1990"** ,रमा सिंह "दिव्यदृष्टि' (अनु), वाणी प्रकाशन,नई दिल्ली, 2002,
- जोशी,गोपी. "**भारत में स्त्री असमानता"**, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली. 2006..
- कृष्णराज,मैत्रेयी,अरुणा कांची, **"भारतीय महिला किसान",**अरविन्द कुमार सिंह ,रजनी कुमारी (अनु), निदेशक ,राष्ट्रिय पुस्तक न्यास ,भारत, नई दिल्ली 2012
- आर्य ,साधना,निवेदिता मेनन ,और जिनी लोकनीता,"**नारीवादी राजनीति :संघर्ष एंव मुद्दे",** हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली. 2001
- देसाई नीरा और ऊषा ठक्कर, "**भारतीय समाज में महिलाए**',(अनु.) नेशनल बुक ट्रस्ट ,इंडिया, नई दिल्ली 2001
- डोगरा.भारत "**आलिशान बावन बनाने वाले झोपडी में रहने को मज़बुर क्यों ?"**नई डेल्ही :सी -27,रक्षा कुंज,पश्चिमी विहार, 2004
- परमार.शुभ्रा**,** "**नारीवादी सिध्दांत और व्यवहार**",नई दिल्ली :ओरियंट ब्लैकस्वोंन प्राईवेट लिमिटिड,2015
- उपाध्याय .रमेश,और संज्ञा उपाध्याय "**श्रम का भूमंडलीकरण",** शब्द संधान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004
- उपाध्याय,रमेश और संज्ञा उपाध्याय2010, "**उत्पादक श्रम और आवारा पूंजी**", शब्द संधान प्रकाशन, नई दिल्ली,2010
- सिंह.एन .वी और जनमेजय सिंह "**आधुनिकता एंव महिला सशक्तिकरण",** रावत पब्लिकेशन इंडिया, जयपुर, 2010
- खेतान. प्रभा, "**उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की दस वार्ताएं",** राजकमल प्राकाशन प्राईवेट लिमिटिड,नई दिल्ली,2003
- देसाई .नीरा और ऊषा ठक्कर,"**भारतीय समाज में महिलाए"**,डॉ सुभी धुसिया(अनु),:नेशनल बुक ट्रस्ट ,इंडिया, नई दिल्ली, 2008
- Joseph, A. (2004). Dalit women in India: Issues and perspectives.
- Sarkar, S., & Sarkar, T. (Eds.). (2008). *Women and social reform in modern India: a reader*. Indiana University Press.
- Sharmila, R. (2006). Writing Caste/Writing Gender, Narrating Dalit Women's Testimonios.
- Bhaduri, A. (2006). *Development with dignity: a case for full employment*. National Book Trust.
- Agarwal, B. (1994). *A field of one's own: Gender and land rights in South Asia* (Vol. 58). Cambridge University Press.

- Banerji, A., & Sen, R. K. (Eds.). (2000). *Women and Economic Development*. Deep and Deep Publications.
  Murty, S. (2001). *Women and employment*. Egully. com..
- Sen, S. (1999). *Women and labour in late colonial India: The Bengal jute industry* (Vol. 3). Cambridge University Press.
- Padhi, R. (2012). *Those who did not die: Impact of the Agrarian Crisis on Women in Punjab*. SAGE Publications India.
- Kundu, A., & Sharma, A. N. (Eds.). (2001). *Informal sector in India: Perspectives and policies*. Virago Press.
- Ghosh, J. (2001). Urban Indian women in informal employment: Macro trends in the 1990s. *Informal Sector in India: Problems and policies, Institute for Human Development: New Delhi*.
- Rao, M. K. (Ed.). (1994). *Growth of Urban Informal Sector and Economic Development*. Kanishka Publishers.
- Shah, S. P. (2014). *Street corner secrets: Sex, work, and migration in the city of Mumbai*. Duke University Press.
- Engels, F. (1972). The Origin of the Family, Private Property and the State: In the Light of the Researches of Lewis H. Morgan, ed. Eleanor Burke Leacock.
- Sahni, R., Shankar, V. K., & Apte, H. (Eds.). (2008). *Prostitution and Beyond: An Analysis of Sex Workers in India*. SAGE Publications India.
- Walby, S. (1989). Theorising patriarchy. *Sociology*, *23*(2), 213-234.